

आवास भारती

वर्ष 14, अंक 53, अक्तूबर-दिसम्बर, 2014



राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK



आपकी पाती

महोदय,

आपके बैंक की गृह पत्रिका "आवास भारती" का अंक 52 प्राप्त हुआ। पत्रिका में चयनित सामग्री का प्रकाशन कर आपने अंक को सचमुच सुंदर बनाया है। इसमें सतर्कता क्या है? आवास नीति, मंगल मिशन और मीडिया की प्राथमिकताएं पर दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक है। इसके अलावा, डा0 अमर सिंह सचान का "स्वास्थ्य एवं तनाव" एवं विनीत सिंघल का "सेहत का खजाना" काफी ज्ञानोपयोगी लगा। कविता "आशा की किरण" एवं "मुझे बचपन का बस्ता फिर से दे दो मां" अच्छी लगी। यह प्रसन्नता की बात है कि आपके द्वारा कर्मचारियों की रूचि का ख्याल रखा जाता है। पत्रिका में प्रकाशित सामग्री के बीच में छायाचित्रों ने इसे जानदार बनाया है। आशा है कि भविष्य में भी आपकी पत्रिका नियमित रूप से प्राप्त होती रहेगी। पत्रिका के प्रकाशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीय,

(राकेश कुमार सुन्दरियाल)

हिंदी अधिकारी

सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

जवाहर व्यापार भवन, जनपथ,

नई दिल्ली-110001

महोदय,

हम इस तथ्य से अवगत हैं कि राजभाषा हिंदी के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने तथा अपने स्टाफ-सदस्यों की हिंदी भाषा में रचनात्मक अभिव्यक्ति को एक मंच प्रदान करने के लिए आपके बैंक द्वारा हिंदी/द्विभाषी गृह पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। हम अपने स्टाफ-सदस्यों के लाभार्थ आपकी हिंदी/द्विभाषी गृह पत्रिका की प्रति अपने पुस्तकालय में प्रदर्शित करना चाहते हैं। अतः आप से अनुरोध है कि आप अपने प्रधान कार्यालय से प्रकाशित होने वाली हिंदी/द्विभाषी गृह पत्रिका की डाकसूची में हमें शामिल कर लें और पत्रिका की एक प्रति नियमित रूप से भेजने की व्यवस्था करें। भवदीया,

(सावित्री सिंह)

उप महाप्रबंधक

भारतीय रिजर्व बैंक,

बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केन्द्रीय कार्यालय,

विश्व व्यापार केन्द्र, केन्द्र 1, कफ परेड, कोलाबा,

मुंबई - 400005

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित हिंदी पत्रिका "आवास भारती" का अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन विशेषांक प्राप्त हुआ। बहुत-बहुत धन्यवाद। पत्रिका में विभिन्न बैंकों के राजभाषा अधिकारियों के द्वारा "सूचना प्रौद्योगिकी के युग में राजभाषा का महत्व" विषय पर दिए गए लेख राजभाषा के बढ़ते आयाम को दर्शाते हैं। लेख पाठकों के लिए ज्ञानवर्धक है। आपको एवं संपादक मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं। यह सुंदर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन विशेषांक को प्रकाशित करने के लिए और वर्ष 2011-12 तथा 12-13 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हिंदी गृह पत्रिका प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए आपको एवं संपादक मंडल को हार्दिक बधाई। मैं कामना करता हूँ कि पत्रिका की यह उत्कृष्टता सदैव बनी रहे और इसकी प्रतियां हमें अवश्य मिलती रहेंगी।

भवदीय

(अम्बरीष कुमार सिंह)

मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)

कारपोरेशन बैंक

डा.पे.सं. 88,

मंगलादेवी मंदिर मार्ग,

पांडेस्वर, मंगलूर-575001

कर्नाटक राज्य

महोदय,

हमें आपकी हिन्दी गृह पत्रिका आवास भारती को पहली बार पढ़ने का मौका मिला। पहली बार में ही इसकी पृष्ठसज्जा और रचनाओं के संकलन ने मुझे प्रभावित किया है। आपकी पत्रिका के मौजूदा अंक में जिसतरह से तिरंगे के तीन रंगों के बीच भारत और इंडिया को दर्शाया गया है वह आपकी इस भावना को दर्शाता है कि आप किस प्रकार से देश का दिल कहे जाने वाले गांवों की ओर ध्यान दे रहे हैं या फिर यूँ कह लें कि दोनों के बीच एक सेतु का कार्य कर रहे हैं। आपकी पत्रिका की सबसे बड़ी विशेषता है इसमें संकलित रचनाएं जो न केवल ज्ञानोपयोगी हैं बल्कि हमें भी कई विषयों पर अपने राय बनाने में मदद करते हैं। जहां तक लेखों और रचनाओं की बात है तो व्यक्तिगत रूप से मुझे "सतर्कता क्या है", "आर्यभाषा-हमारी राजभाषा", "आवास नीति", "मंगल मिशन", "ध्यान और योगासन" तथा "किसना" काफी अच्छी और रोचक रचनाएं लगी। इसके अलावा पाठक के तौर पर मेरे कुछ सुझाव हैं, मसलन, यदि आप आवास और हिंदी भाषा से संबंधित अधिक से अधिक लेख प्रकाशित करें तो हमें भी इनके बारे में ज्यादा जानने और समझने का मौका मिलेगा और पत्रिका का उद्देश्य भी पूरा होगा। आशा करता हूँ कि आगे भी नियमित रूप से मुझे यह पत्रिका पढ़ने का अवसर मिले।

डॉ. सुधीर कुमार सिंह

(प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग)

एस.पी.कॉलेज, दुमका

झारखंड

संपादकीय

प्रिय पाठकों,

अंतर्राष्ट्रीय मुद्राक्रोष का आकलन है कि अगले वर्ष भारत की विकास दर चीन से भी अधिक होगी। साफ है कि देश की तस्वीर बदलने वाली है। कोई भी देश तभी तेज गति से विकास कर सकता है जब उस देश का नेतृत्व उस दिशा में सतत प्रयत्नशील है। सौभाग्य से हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटने से हमारी सरकार को व्यापार घाटा और महंगाई कम करने में मदद मिली है। विश्व के कई देशों में अभी मंदी का समय चल रहा है। निश्चित ही हमें इसका कुछ फायदा मिलेगा। हम अपनी विकास दर बढ़ा पायेंगे। तीव्र विकास का लाभ हम सब को मिलेगा। भाषा के मामले में भी तीव्र विकास की आवश्यकता है क्योंकि पहले ही हमारी स्वदेशी भाषाओं को काफी क्षति पहुंची है। अब तो मोबाइल से मैसेज देने में अधिकाधिक रोमन हिंदी का प्रयोग होने लगा है।



मोबाइल में शॉर्टहैण्ड टेलिग्राफिक भाषा का प्रयोग युवाओं की अपनी निज भाषा से कोसों दूर ले जाएगा। प्रश्न सहज उठता है कि देवनागरी के स्थान पर हम रोमन लिपि का प्रयोग क्यों सीख रहे हैं? पहले ही लिपि नहीं होने की वजह से हमारी अनेक देशी भाषाएं मृतप्राय हो गई हैं। देश के विकास के लिए स्वदेशी भाषा एक उपकरण है। भाषा का उत्तम लिखित रूप नई सृजनात्मक दुनिया का मार्ग खोलता है। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के विकास के साथ हिंदी अनेक दृष्टि से प्रभावी होनी चाहिए। हिंदी देवनागरी में जीवित रह सकेगी, रोमन में नहीं। हमें प्रमाणिकता के साथ स्पष्ट हिंदी का प्रयोग करना चाहिए।

कायदे से गणतंत्र के 15 वर्ष बाद यानि कि 1965 में हिंदी को भारत की राजभाषा बन जानी चाहिए थी। मगर भाषा नीति के मामले में दुर्भाग्य से हमारे पास 'कमालपाशा' नहीं था। दक्षिण में चक्रवर्ती राजगोपालचारी राजभाषा के रूप में हिंदी के हिमायती थे। राष्ट्र दक्षिण में दूसरा राजाजी पैदा न कर सका। राजभाषा नीति प्रारंभ से ही दुलमुल रही है। राजभाषा अधिनियम जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं तो राजभाषा नियम तमिलनाडु पर लागू नहीं। आज, इसलिए आवश्यकता है कि राजभाषा नीति को स्थिर, गंभीर बनाया जाए। राजभाषा लक्ष्य प्राप्ति के आंकड़ों को छूने की होड़ से हिंदी को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ा नहीं जा सकता। प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी को हिंदी सेवा एक मिशन बनाना होगा। हिंदी बनाम शुद्ध हिंदी यह एक अघोषित युद्ध है। यदि हिंदी के साथ अन्याय हो रहा है तो हम सब दोषी हैं। नए शब्द और नए अर्थ के लिए हमें अपने विश्व कोष को समृद्ध करना होगा। हिंदी चंद महापंडितों की नहीं करोड़ों देशवासियों की भाषा है। इसे शुद्ध करने में न जाने कितने वर्ष लगेगें। कोई भी व्यक्ति घर में साहित्यिक हिंदी नहीं बोलता। व्यवहारिक और सरल हिंदी से ही हम सबको एक सूत्र में बांध कर रख सकते हैं। अध्यापकों, आलोचकों, साहित्यकारों, संपादकों एवं लेखकों को इस दिशा में कार्य करने की जरूरत है।

यह अंक आपके समक्ष रखते हुए मुझे आपसे कहना है कि अब 'किसना' और 'चमत्कारी बाबा' जैसे लेखों को इतिश्री करने का वक्त आ गया है इसलिए आगामी अंकों में ये स्तंभ शायद नजर नहीं आयेंगे। हिंदी से तमिल सीखने-सिखाने का नया स्तंभ प्रारंभ किया जा रहा है। आशा है पाठकों को पसंद आएगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान तथा सेवानिवृत्त राजभाषा से संबंधित अधिकारियों के जीवन परिचय तथा अनुभवों को जानने हेतु एक कॉलम प्रारंभ किया जाए जिन्होंने अपना जीवन हिंदी के लिए समर्पित कर दिया और बैंकिंग जगत में वे अपनी पहचान बना पाएं। सेंट्रल बैंक के स्वर्गीय श्री तिवारी जी तथा डॉ० सोहन शर्मा, महाराष्ट्र बैंक के डॉ० दामोदर खडसे, स्टेट बैंक के डॉ० अग्निहोत्री जी, पंजाब नेशनल बैंक के श्री लाल प्रसाद जी, रिजर्व बैंक के श्री भाया जी तथा श्री रमाकांत गुप्ता जी, बैंकिंग प्रभाग के डॉ० वेद प्रकाश दुबे, कारपोरेशन बैंक के डॉ० जयंती प्रसाद नौटियाल कई-कई नाम हैं जिन्हें मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ। राजभाषा के मामले में सारा बैंकिंग जगत इनका सदैव आभारी रहेगा।

धन्यवाद।

डॉ० जी.एन. सोमदेवे

सहायक महाप्रबंधक एवं संपादक

मोबाइल नं० 9560900451

ई-मेल: gmsomdeve@nhb.org.in



आवास भारती

राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका

(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)

पंजी. संख्या, दिल्ली इन/2001/6138

वर्ष 14, अंक 53, अक्टूबर-दिसम्बर, 2014

विषय सूची

विषय	पृष्ठ सं.	* विषय	पृष्ठ सं.
राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार	3	निगमित सामाजिक दायित्व	23
पुरस्कार वितरण समारोह	5	ठंड (सर्दी) के रोग तथा उपाय	25
प्रधानमंत्री जन धन योजना	6	गृह ऋण फायदेमंद कब होता है?	28
एकमात्र ज्ञान क्या है?	7	साधना से सिद्धि का मर्म	30
भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार	8	चमत्कारी बाबा	31
अहंकार	10	तीन महीने का सतत प्रयोग	36
क्रेडिट कार्ड एवं एटीएम कार्ड का विवेकपूर्ण ...	11	हिंदी साहित्य और सिनेमा	37
भ्रष्टाचार	12	आधार	40
बढ़ते ई-बाजार की पहुंच	13	रेडियो की दुनिया और मन की बात	41
शिक्षण प्रयास- तमिल सीखें	14	संतुलित आहार - स्वस्थ जीवन का आधार	43
वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिंदी	15	धर्म क्षेत्रे कुरु क्षेत्रे समवेता युयुत्सवः.....	46
प्रबंधन की बढ़ती मांग	17	काव्य सुधा	47
किसना	19		

प्रधान संरक्षक

मो. मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संरक्षक

अर्णव रॉय
कार्यपालक निदेशक

संपादक

डॉ. जी.एन. सोमदेवे
सहायक महाप्रबंधक

सहायक संपादक

डॉ. अमर सिंह सचान
राजभाषा अधिकारी

संपादक मंडल

एस.के. पाढ़ी, सहायक महाप्रबंधक
रंजन कुमार बरून, सहायक महाप्रबंधक
मोहित कौल, क्षेत्रीय प्रबंधक
पंकज चड्ढा, प्रबंधक
रवि कुमार सिंह, प्रबंधक
संजीव कुमार सिंह, उप प्रबंधक
सुश्री स्तुति रूचा, उप प्रबंधक
अड्डा लीला विजयकृष्ण, सहायक प्रबंधक



राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK

(भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)

कोर-5 ए, 3-5 तल,
इंडिया हैबिटेट सेंटर
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार, मौलिकता एवं तथ्य आदि लेखकों के अपने हैं।
संपादक या बैंक का इनके लिए जिम्मेदार अथवा सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार सभाचार

आवास वित्त में उन्मुखीकरण पर 15 से 17 अक्टूबर, 2014 तक नई दिल्ली में प्रशिक्षण कार्यक्रम

नई दिल्ली में दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 को आवास वित्त में उन्मुखीकरण के तीन दिवसीय प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण एवं प्रतिभागियों के स्वागत के पश्चात परस्पर परिचय के साथ मेलजोल बढ़ाने की दिशा सत्र को आगे बढ़ाने के बाद प्रथम सत्र का शुभारंभ हुआ। प्रथम सत्र को राष्ट्रीय आवास बैंक के विनियमन एवं पर्यवेक्षण विभाग के उप महाप्रबंधक श्री वी. राजन ने संबोधित किया, जिसमें आपने भारत में आवास वित्त तथा विनियमन एवं पर्यवेक्षण में रा.आ.बैंक की भूमिका तथा आवास वित्त कंपनियों के पंजीयन एवं प्रोत्साहन के बारे में प्रकाश डाला गया। प्रशिक्षण का द्वितीय सत्र साइनीज परामर्श प्रा. लि. के निदेशक श्री एस. स्वामीनाथन ने लिया, जिसमें आपने आवास ऋण-क्रेडिट मूल्यांकन के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि ऋण आवेदन की प्रक्रिया

बताया कि लाभप्रदता पर एनपीए का क्या प्रभाव पड़ता है। चूककर्ताओं के विभिन्न प्रकार होते हैं, इनकी वसूली में क्या महत्वपूर्ण चरण शामिल हैं तथा परस्पर समझौतों के माध्यम से वसूली कैसे की जा सकती है।

इस प्रशिक्षण का छठवां और आज दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 का तीसरा सत्र हडको के पूर्व कार्यपालक निदेशक श्री एस.एस. गौर ने संबोधित किया जिसमें आवास ऋण और इसके कानूनी मूल्यांकन पक्ष को चर्चा के केन्द्र में रखा गया। आपने ऋण संबंधी दस्तावेज, स्वत्वविलेख दस्तावेज तथा अन्य पत्रादि की जांच-पड़ताल आवास ऋण हेतु कानूनी कागजादों तथा कानूनी मूल्यांकन रिपोर्ट की तैयारी आदि के बारे में बताया। आज का अंतिम और प्रशिक्षण का सातवां सत्र भी आपने ही लिया जिसमें आपने ऋण वसूली के लिए कानूनी समर्थन को मुख्य बिंदु बनाया। आपने मार्टगेज मामले (सूट), मुद्रा मामले, एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत विभिन्न कार्रवाइयां तथा सरफेसाई एक्ट के तहत वसूली प्रक्रिया पर प्रकाश डाला।



क्या है, ऋण की मात्रा एवं भुगतान क्षमता के आधार पर मूल्यांकन कैसे किया जाता है, ऋणकर्ता की जांच-पड़ताल तथा साक्षात्कार तथा ऋण संवितरण से पूर्व परिसंपत्ति का सत्यापन आदि शामिल होता है। श्री स्वामीनाथन ने ही प्रशिक्षण का तीसरा सत्र भी लिया, जिसमें आपने आवास ऋण के तकनीकी मूल्यांकन पर प्रकाश डाला। इसमें आपने विभिन्न प्रकार के निर्माण की प्रगति के आधार पर परिसंपत्ति का मूल्यांकन तथा प्रत्येक किस्त के हिसाब से ऋण संवितरण आदि की जानकारी प्रदान की।

दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 को प्रशिक्षण का चौथा सत्र स्टेट बैंक अकादमी, गुड़गांव के सहायक महाप्रबंधक एवं संकाय श्री ए. सचदेवा ने "परियोजना वित्त - प्राथमिक तकनीकें" विषय पर लिया। इस परिचर्चा में लाभप्रदता (व्यवहार्यता) अध्ययन तथा संवेदी विश्लेषण को ध्यान में रखा गया। आज के प्रशिक्षण का दूसरा सत्र गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए) के प्रबंधन पर था, जिसे बैंक ऑफ इंडिया एएटीसी नोएडा के उप प्राचार्य श्री अरुण कुमार जी ने संबोधित किया, आपने परिचर्चा में

प्रशिक्षण के तीसरे दिन दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 का पहला एवं प्रशिक्षण का आठवां सत्र सरसाई (सेंट्रल रजिस्ट्री फार सिक्योरटाइजेशन असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटररेस्ट ऑफ इंडिया (सीईआरएसआईए) पर था, जिसे हडको के पूर्व कार्यपालक निदेशक श्री एस.एस. गौर ने संबोधित किया। आपने भारत सरकार की इस केन्द्रीय रजिस्ट्री के संस्थान के निर्माण, उद्देश्य एवं प्रतिफलों पर प्रकाश डाला और यह बताया कि किस प्रकार से यह संस्था परिसंपत्तियों की बिक्री में होने वाली धोखा-धड़ी, छल-कपट को रोकने की दिशा में कारगर हथियार साबित हो सकता है।

प्रशिक्षण का नौवां सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक के उप महाप्रबंधक श्री राजन ने लिया जिसमें आपने रा.आ.बैंक द्वारा संचालित परिवाद पंजीयन एवं सूचना डाटा बेस (ग्रिड-जीआरआईडी) के बारे में जानकारी प्रदान की। आपने बताया कि किस प्रकार से पारदर्शिता के आधार पर शिकायत का पंजीकरण होगा एवं उसका निराकरण भी निर्धारित अवधि के भीतर होगा। आज प्रशिक्षण के तीसरे दिन का अंतिम सत्र रा.आ.बैंक की उप प्रबंधक सुश्री शालू देशपांडे ने लिया जिसमें आपने "निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास" के बारे में जानकारी प्रदान की। आपने बताया कि अब गरीब वर्ग के उन लोगों को भी 5 से 8 लाख तक ऋण आसानी से मिल सकता है जिसके लिए बैंकों की ओर से दिए जाने वाले ऋण की गारंटी यह न्यास लेगा। इसका उद्देश्य निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए ऋण मुहैया कराने में सहजता लाना है। इस वर्ग के लोगों के लिए बिना किसी स्वत्व विलेख के भी ऋण दिया जा सकेगा। अंत में सभी प्रशिक्षार्थियों एवं प्रशिक्षकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रशिक्षण का समापन किया गया।

थाणे, महाराष्ट्र में 28-30 अक्टूबर, 2014 तक “ग्रामीण आवास वित्त” पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

महाराष्ट्र राज्य के थाणे जिले में दिनांक 20 से 30 अक्टूबर, 2014 तक ग्रामीण आवास वित्त पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें महाराष्ट्र राज्य के बैंकों एवं आवास वित्त संस्थानों के कार्यपालकों ने भाग लिया। परस्पर परिचय एवं स्वागत के पश्चात् प्रशिक्षण का प्रथम सत्र कल्याणारमन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंसलटेंट के सीओओ श्री एस.के. अय्यर ने लिया जिसमें आपने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा आवास ऋणों के विपणन तथा आवास वित्त की व्यावसायिक लाभप्रदता के बारे में जानकारी प्रदान की। इस प्रशिक्षण का दूसरा सत्र भी आपने ही लिया, जिसमें आपने आवास ऋणों के आवेदनों के प्रक्रमण एवं ऋण मूल्यांकन के बारे में बताया और इसका प्रयोगात्मक प्रशिक्षण भी प्रदान किया।

भोजनावकाश के पश्चात् प्रशिक्षण का तीसरे सत्र में कानूनी पक्ष के साथ आवास ऋणों के दस्तावेजीकरण के बारे में जानकारी प्रदान की गई, जिसे आईएमएसजी (इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सर्विसेज ग्रुप) के श्री सुरेश चांदनानी ने प्रस्तुत किया। श्री सुरेश जी ने प्रशिक्षण का चौथा



सत्र भी लिया जिसमें आपने आवास ऋणों के संदर्भ में होने वाली जाल-साजियों के बारे में जानकारी दी तथा मार्टगेज (बंधक ऋण) फ्राड के प्रबंधन के कौशल पर जानकारी प्रदान की।

प्रशिक्षण के दूसरे दिन पांचवे सत्र की शुरुआत बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक एवं संकाय सदस्य श्री डी.एस. पई ने की, जिसमें आपने रोल प्ले एवं केस स्टडी के माध्यम से आवास ऋण के आवेदनों की प्रक्रियात्मकता और तकनीक/विधिक मूल्यांकन के बारे में प्रकाश डाला। आपने ही प्रशिक्षण का छठवां सत्र संबोधित किया, जिसमें आपने प्रशिक्षुओं को ग्रामीण आवास ऋणों के संवितरण, अनुपालन एवं वसूली के बारे में परिचर्चा की।

प्रशिक्षण का सातवां सत्र अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) – उचित आचार संहिता (एफपीसी) दिशा-निर्देशों के बारे में था, जिसे बैंक ऑफ इंडिया के संकाय सदस्य श्री अनिल शर्मा ने संबोधित किया। आपने उन्हें बताया कि ग्राहकों के बारे में जानकारी जुटाना एवं उनके प्रति उचित आचार संहिता का पालन करना एक अनिवार्य प्रक्रम है। आज का आठवां सत्र भी श्री अनिल शर्मा जी ने ही लिया, जिसमें आपने उपभोक्ता सेवाएं एवं व्यवसाय बेहतर बनाने में इसकी महत्ता पर प्रकाश डाला।

प्रशिक्षण का नौवां सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री वी. सांबामूर्ति ने लिया जिसमें आपने “निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम निधि न्यास” (सीआरसीएफटीएलआईएच) के बारे में जानकारी प्रदान की, जिसमें आपने बताया कि अब निम्न आय वाले वे लोग, जिनके पास पक्के दस्तावेज आदि नहीं हैं उन्हें भी ऋण प्राप्त हो सकता है और इस ऋण के चूक होने के जोखिम को यह न्यास वहन करेगा। यह गरीब वर्ग के लिए भारत सरकार की विशिष्ट पहल है। श्री वी. सांबामूर्ति जी ने ही आज का अंतिम व प्रशिक्षण का दसवां सत्र लिया, जिसमें आपने रा.आ.बैंक के द्वारा ग्रामीण आवास ऋण संबंधी प्रयासों एवं योजनाओं के बारे में बताया तथा देश में ग्रामीण आवास परिदृश्य पर प्रकाश डाला। आपने ग्रामीण आवास की उन योजनाओं पर भी प्रकाश डाला जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए उपयोगी एवं प्रयोजनीय है।

प्रशिक्षण के तीसरे दिन 30 अक्टूबर, 2014 को इस प्रशिक्षण का 11वां सत्र रा.आ.बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री वी. सांबामूर्ति ने लिया आपने सरसाई (हिंदी) पर प्रकाश डाला और यह बताया कि केन्द्रीय रजिस्ट्री में पंजीकरण के बाद परिसंपत्तियों की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी। इसका दायरा ज्यों-ज्यों बढ़ेगा, त्यों-त्यों सभी के लिए आसान पहुंच में सूचनाएं आ जाएंगी ताकि लोग खरीदने से पहले मालिकाना हक संबंधी विवरण पा सकेंगे। श्री वी. सांबामूर्ति के साथ ही अगले सत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के उच्च प्रबंधकों द्वारा प्रशिक्षुओं को संबोधित किया गया और उन्हें यह भी बताया गया कि ऐसे प्रशिक्षणों की क्या महत्ता है तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आकलन भी किया गया। प्रमाणपत्र वितरण एवं धन्यवाद के साथ प्रशिक्षण समापन किया गया।



बधाई

आवास भारती के संपादक डॉ० जी.एन. सोमदेवे के परिवार में सुपुत्र श्री विजय कुमार सोमदेवे (सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई) तथा पुत्रवधु श्रीमती सुमन को दिनांक 14-10-2014 को महालक्ष्मी स्वरूप पुत्रीरत्न प्राप्त हुई। बधाई!

पुरस्कार



भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रधान कार्यालय, मुंबई द्वारा 13 नवंबर, 2014 को पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस पुरस्कार का वितरण माननीय गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक श्री रघुराम राजन के कर कमलों द्वारा किया गया। बैंक की गृह पत्रिका – आवास भारती को अखिल भारतीय स्तर पर लगातार दूसरी बार भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।

इस पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय से कार्यपालक निदेशक (श्री अर्णव रॉय), सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) डॉ० जी.एन. सोमदेवे तथा राजभाषा अधिकारी डॉ० अमर सिंह सचान तथा बैंक के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय से सहायक महाप्रबंधक श्री मिलिन्द देशपांडे जी ने भाग लिया।

प्रधानमंत्री जन धन योजना



संजीव कुमार सिंह,
उप प्रबंधक

प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा 15 अगस्त, 2014 को लाल किले की प्राचीर से की गई तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त, 2014 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए आम जनता तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने का वादा किया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) भारत में वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है और जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। वैसे तो पहली बार इस तरह की पहल नहीं हुई। इससे पहले भी यूपीए सरकार ने वित्तीय समावेशन के नाम से नोफ्रिल यानी मामूली रकम से खुल जाने वाले खाते खोलने का अभियान चलाया था। वर्तमान सरकार ने इसे व्यापक स्तर पर विकास की दिशा में एक मिशन के रूप में अभियान चलाया जिसका परिणाम यह रहा कि दिसंबर 2014 की समाप्ति तक लगभग 10 करोड़ खाते खोले जा चुके थे।

जन धन योजना की खास बातें, सरकार की इस योजना से आम लोगों को क्या लाभ होगा और कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, उस पर एक नजर—

- आर्थिक रूप से पिछड़े जिन परिवारों के पास बैंक खाता नहीं है उनके बैंक खाते खुलवाए जाएंगे।
- योजना के तहत बैंक खाता खुलवाने वाले को पांच हजार के ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी।
- इस योजना के तहत खाता खुलवाने पर व्यक्ति को 1 लाख रूपए की दुर्घटना बीमा मिलेगी और तीस हजार रूपए के जीवन बीमा का लाभ मिलेगा।
- खाता खुलवाने के साथ ही ग्राहक को “रूपे” डेबिट कार्ड की भी सुविधा दी जाएगी।
- इस योजना में बिना न्यूनतम रूपये जमा करवा कर बैंक खाते खोले जाएंगे यानी जीरो बैलेंस पर खाते।
- इस खाते को खुलवाने के लिए आधार कार्ड या उसका नंबर, मनरेगा जॉब कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन,

ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली या टेलफोन बिल, जन्म या विवाह प्रमाण पत्र, सरपंच का लिखा पहचान पत्र और किसी मान्यता प्राप्त संस्था का पहचान पत्र जरूरी है।

- सरकार खाता खुलवाने के बाद लक्षित लोगों को ही सब्सिडी देने पर विचार कर सकेगी। इससे आम आदमी को आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी और वह बचत भी करेगा, जिससे सरकार को फायदा मिलेगा।

इस परियोजना की औपचारिक शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने सभी बैंकों को ई-मेल भेजा जिसमें उन्होंने ‘हर परिवार के लिए बैंक खाता’ को एक ‘राष्ट्रीय प्राथमिकता’ घोषित किया और कम से कम सात करोड़ से भी अधिक परिवारों को इस योजना में प्रवेश देने और उनका खाता खोलने के लिए सभी बैंकों को कसर कसने को कहा। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और योजना सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, नतीजा ये हुआ की योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए और दिसंबर के अंत तक लगभग दस करोड़ खाते खुल चुके थे।

जन धन के दावे और हकीकत

प्रधानमंत्री जन धन योजना का जिक्र करते हुये बताते हैं कि किस तरह उनकी सरकार अगले साल 26 जनवरी तक साढ़े सात करोड़ बैंक खाते खोलना चाहती थीं। लगभग आठ करोड़ खाते तोनवंबर के अंत तक ही खुल चुके हैं। इस योजना के तहत बैंक खाता खुलवाने वाले को पांच हजार के ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी, एक लाख



रूपए के दुर्घटना बीमा और तीस हजार रूपए के जीवन बीमा का लाभ मिलेगा।

लेकिन तथ्यात्मक रूप से ये सभी लाभ उन्हें ही मिलेंगे जिनके पास रूपे डेबिट कार्ड होगा और जिनके खातों में छह महीनों में कम से

कम एक बार पैसों का लेन-देन होगा। अभी तक जन धन योजना में जितने बैंक खाते खुले हैं उनमें से छह करोड़ खातों में एक भी पैसा नहीं है और लगभग आधे लोगों के पास रुपे डेबिट कार्ड नहीं है।

5.7 करोड़ खातों में शून्य बैलेंस है। यानी करीब तीन चौथाई खाताधारकों के खातों में एक भी पैसा नहीं है। इसके अलावा एक अन्य समस्या यह है कि 4.4 करोड़ रुपे कार्ड अभी तक दिए गए हैं जो खुद लक्ष्य का तैंतालीस फीसदी है। लेकिन इसमें से भी 1.5 करोड़ कार्ड ही एक्टिवेट किए गए हैं। बैंकों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि उन्हें खाताधारकों को कार्ड देने हैं और साथ ही कार्ड को एक्टिवेट भी करना है। इस योजना के तहत सबसे बड़ी चुनौती सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंचने की रही है। ऐसे चौहत्तर हजार गांवों तक पहुंचने का लक्ष्य है। परेशानी यह है कि जब तक ये कार्ड एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक इन्हें दुर्घटना बीमा के तहत लाभ नहीं दिया जा सकता साथ ही बीमे का लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है की रुपे डेबिट कार्ड का 45 दिनों में कम से कम एक बार उपयोग अवश्य किया जाये। दुर्घटना बीमा योजना का फायदा अठारह से साठ साल से ऊपर की आयु के लोगों को ही मिलेगा। वित्त मंत्रालय का कहना है कि उनसठ साल की उम्र में अगर किसी ने खाता खुलवाया तो उसे केवल एक साल के लिए इसका फायदा मिलेगा। बताया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आएंगे। एक घर से एक ही सदस्य इसका फायदा उठा सकेगा। आयकर देने वाले और टीडीएस देने वाले भी इसके दायरे से बाहर रखे गए हैं। इसके अलावा जिस किसी के पास भारत सरकार की तरफ से प्रायोजित कोई अन्य बीमा योजना की पालिसी होगी, उन्हें भी जन धन योजना के तहत तीस हजार रुपए की जीवन बीमा योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। यहां तक कि किसी भी तरह की जीवन बीमा पालिसी रखने वालों को भी लाभ नहीं मिला।

यह कहा जा सकता है कि केन्द्र सरकार की ओर ग्रामीण दूर-दराज के लोगों तक विकास का सही लाभ पहुंचाने की दिशा में जन-धन योजना को एक लंबी छलांग कहा जा सकता है। सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के बैंक के प्रयासों के साथ-साथ आम जनता के बीच अपने अधिकारों को पाने की चाहत तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के लाभ पाने की आकांक्षा निश्चित ही इस योजना को सफल बनाने में कामयाब होगी। इसके साथ ही जो खाते अभी जीरो बैलेंस हैं, उनमें कुछ समय बाद थोड़ी-थोड़ी और छोटी-छोटी बचतें बूंद-बूंद के रूप में होकर एक सागर का रूप लेने की संभावना भी रखती है। इस अर्थ में प्रधानमंत्री जन धन योजना में असीम संभावनाएं एवं निहितार्थ समाहित है, जो देश की आम जनता के जीवन में सार्थक बदलाव लाने की दिशा में एक कारगर कदम साबित हो सकते हैं।



एकमात्र ज्ञान क्या है?

ज्ञान क्या है? ज्ञान है बाहरी विषयों का आत्मसात। यह व्यक्ति को स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाता है। अर्थात् जहां इस प्रकार की मानसिकता पाई जाती है, उसे ज्ञान कहा जा सकता है और जहां यह नहीं है, वहां ज्ञान नहीं है। ज्ञान का आधार क्या है? जहां ज्ञान भौतिक है, वहां ज्ञान का आधार मन है। जहां वह पूरी तरह आध्यात्मिक है, वहां उसका आधार आत्मा है। ज्ञान, मन को आत्मा के साथ जोड़ने का काम करता है। यह ज्ञान की अपने आप में एक बड़ी विशेषता है। जो मन को आत्मा के साथ नहीं मिलाता है, वह ज्ञान नहीं है, बल्कि ज्ञान का भ्रम है। इसी कारण तथाकथित ज्ञान से मन में अहंकार पैदा होता है। यदि तुम एक अहंकारी व्यक्ति को देखते हो तो तुम्हें अवश्य समझना चाहिए कि उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं, बल्कि ज्ञान की भ्रांति है।

एक बार दो बड़े पंडितों में बहस छिड़ी, 'पहले ध्वनि पैदा होती है या पहले ताड़ गिरता है।' वाद-विवाद महीनों चलता रहा, किन्तु किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका। तब उन लोगों ने निश्चय किया कि इसे एक रात पेड़ के नीचे बैठ कर ही व्यावहारिक रूप से देखा जाए कि पहले ताड़ गिरता है या पहले ध्वनि होती है। अगली सुबह पाया गया कि माथे पर ताड़ गिरने के कारण दोनों पंडित मरे पड़े हैं। अतः यह तथाकथित ज्ञान बिल्कुल ज्ञान नहीं है, बल्कि ज्ञान की भ्रांति है, जो तुम निश्चय ही अर्जित करना नहीं चाहोगे।

प्रथम स्तर पर मन स्वयं ज्ञान का आधार है। मन क्या है? मानव संरचना बहुकोशीय है। मानव मन के तीन भाग हैं। प्रथम है सामूहिक एक कोशीय मन, द्वितीय है सामूहिक बहुकोशीय मन और तृतीय है उसका अपना मन। इन तीनों को मिला कर मानव मन है। जिस प्राणी में बहुकोशीय मन जितना विकसित रहता है, वह प्राणी उतना ही विकसित होता है। मनुष्य का अपना मन, उसका एककोशीय मन और उसका बहुकोशीय मन मिल कर ही सम्पूर्ण मानव अस्तित्व है। जानते हो कि कौरवों और पाण्डवों के बीच युद्ध के समय कौरवों को युद्ध का परिणाम समझाने की बहुत कोशिश की गई। यहां तक कि युधिष्ठिर ने उन लोगों में परिवर्तन लाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। वहां परमात्मा की अनुकम्पा भी थी, किन्तु अहंकार एवं जड़ भाव होने के कारण वे इसको समझ नहीं सके।

सांसारिक ज्ञान अपने प्रथम स्तर पर भौतिक मानसिक होता है और इसके बाद मानसिक। जब इस ज्ञान को भौतिक जगत में कार्यान्वित किया जाता है, तब यह मानसिक-भौतिक होता है। इस भौतिक-मानसिक ज्ञान का इस भौतिक जगत में बहुत कम मूल्य है, किन्तु इसका मूल्य बदलते रहता है। जो सिद्धांत आज पसंद किया जाता है, वह कल बदल जाता है। तब यथार्थ ज्ञान क्या है? यथार्थ ज्ञान उस सत्ता का ज्ञान है, जिसमें देश, काल और व्यक्ति में परिवर्तन से भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता।

इस जगत में सभी कुछ सकारण है, अर्थात् कार्य, कारण का परिणाम होता है और कारण का परिणाम कार्य होता है। यह इसी तरह चलता रहा है। एक स्तर पर कार्य दूसरे स्तर पर कारण बन जाता है। जहां कार्य-कारण तत्व काम करता है, वहां अपूर्णता रहती है। इस ज्ञान से अथवा इस ज्ञान के आने वाले स्रोतों पर कोई अहंकार नहीं कर सकता। वेद में कहा गया है - 'मैं कहता हूं कि मैं नहीं जानता हूं और न यह कहता हूं कि मैं जानता हूं, क्योंकि वह परमसत्ता सिर्फ उसी के द्वारा जानी जाती है, जो जानता है कि परमात्मा जानने और नहीं जानने के परे है।' यह इसलिए कि जानना एक विशेष मानसिक धारा है। परमसत्ता देश, काल और व्यक्ति के परे है। जिस आध्यात्मिक-मानसिक ज्ञान का अंतिम बिन्दु आध्यात्मिक ज्ञान हो, वही एकमात्र ज्ञान है।

संकलन : नारायण सहाय, प्रबंधक

भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार



नवीन चौधरी,
प्रबंधक

एक अच्छी तरह से विकसित पूंजी बाजार इक्विटी और बांड बाजार को मिलाकर बनता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका के साथ डिप और लिक्विड बांड बाजार एक कुशल पूंजी बाजार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जहां एक ओर भारत एक विश्व स्तरीय इक्विटी बाजार का दावा करता है वहीं दूसरी ओर अपने बांड बाजार में अभी भी अपेक्षाकृत अविकसित है जिसमें सरकारी बॉन्ड बाजार का ही प्रभुत्व है। साल 2010 में भारत में बकाया सरकारी बांड की हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 39.5% थी एवं अन्य एशियाई देशों जैसे कि चीन (27.6 फीसदी) और दक्षिण कोरिया (47.2 फीसदी) से अनुकूल दृष्टि से तुलनात्मक है। भारत में बकाया कॉर्पोरेट बॉन्ड का हिस्सा है, तथापि, केवल सकल घरेलू उत्पाद का 1.6% था जिसकी तुलना में तुलनीय अवधि में मलेशिया (27 फीसदी) और दक्षिण कोरिया (फीसदी 37.8) था।

एक बेहतर विकसित पूंजी बाजार में इक्विटी एवं बांड मार्केट समाहित होता है। कॉर्पोरेट बांड मार्केट संवर्ग को महत्वपूर्ण भूमिका के साथ एक गहन एवं लिक्विड बांड मार्केट एक सक्षम पूंजी बाजार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि भारत एक विश्व-स्तरीय इक्विटी बाजार का गौरव केन्द्र है वहीं बांड बाजार अपेक्षाकृत अभी भी अविकसित या अर्धविकसित अवस्था में है और सरकारी बांड बाजार के द्वारा दमित एवं प्रचुरता पूर्ण है। वर्ष 2010 में भारत के सरकारी बांड की हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद का 39.5% थी जो तुलनात्मक रूप से अन्य एशियाई देशों, यथा चीन (27.6 प्रतिशत) तथा दक्षिण कोरिया (47.2 प्रतिशत) की अपेक्षा अनुकूल है। हालांकि भारत में वर्ष 2010 में कॉर्पोरेट बांड का बकाया सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.6 प्रतिशत था जबकि इसी अवधि की तुलना में यह मलेशिया (27 प्रतिशत) तथा दक्षिण कोरिया (37.8 प्रतिशत) था।

हालांकि कुछ क्षेत्रों जैसेकि स्टाम्प शुल्क में सुधार की गुंजाईश है, कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार पर विभिन्न समितियों की सिफारिशों को लागू करने में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एवं भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों के कारण भारत के कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में काफी विकास हुआ हुआ है। प्राथमिकता और माध्यमिक कॉर्पोरेट बांड बाजार से जुटाए संसाधनों में वर्षों से वृद्धि जारी है। कॉर्पोरेट बॉन्ड बकाया राशि 2010 में 25 अरब डॉलर तक 2005 में 3.8 अरब डॉलर से बढ़ गया है (2010 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.6 प्रतिशत एवं 2005 में सकल घरेलू उत्पाद का 0.5 फीसदी) द्वितीयक बाजार ट्रेडों में 2007-2008 में 59 अरब डॉलर से 2012-13 में 7386 अरब

डॉलर तक की वृद्धि हुई। कॉर्पोरेट बॉन्ड बकाया राशि में वृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के हिस्से के रूप में, भारत में सुधार की प्रक्रिया का क्रमिक प्रभाव का संकेतक है।

यद्यपि, यहां पर कुछ खास क्षेत्रों में भावी सुधार का दायरा है जैसे कि स्टांप ड्युटी में संशोधन तथा स्थाईत्वपूर्ण विकास आदि ने भारत के कॉर्पोरेट बांड बाजार जगह बनाई है और इसके लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार ने उपयुक्त कदम उठाए हैं ताकि विभिन्न कॉर्पोरेट बाजारों में विभिन्न कमेटियों की संस्तुतियों के क्रियान्वित किया जा सके। वर्षों-वर्षों में प्राथमिक से द्वितीयक कॉर्पोरेट बांड बाजार में संसाधन संग्रहण में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2005 में 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कॉर्पोरेट बांड का बकाया बढ़कर वर्ष 2010 में 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (वर्ष 2005 में जीडीपी का 0.5 प्रतिशत था जो, वर्ष 2010 में जीडीपी का 1.6 प्रतिशत हो गया)। यह दर्शाता है कि भारत में सुधार प्रक्रिया का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है।

भारत अन्य उभरते और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं जैसे जापान, कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया और ब्राजील (एडीस) जोकि भारतीय कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में विकास के समान स्तर पर हैं, उनके अनुभव से सीख सकते हैं। जापानी अनुभव से सुझाव मिलता है कि बांड बाजार योजनाबद्ध हो और एक उचित अनुक्रम के साथ एक लंबी अवधि के आधार पर लागू हो और आर्थिक विकास एवं बैंकिंग सुधारों के साथ मिलकर होना चाहिए। कोरियाई अनुभव दिखता है कि सरकारी नीतिगत सुधारों और जीवंत सरकारी बांड बाजार का विकास कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कोरियाई प्रयोग और बॉन्ड गारंटी योजना की असफलता दूसरी ओर भारतीय कॉर्पोरेट बांड बाजार के विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। म्युचुयल फंड उद्योग संग्रहण एवं धन प्रणालन का विकास ब्राजील में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार और चिली में बांड बाजार के समर्थन में पेंशन फंड के विकास का भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के



विकास पर दिलचस्प निहितार्थ है। मलेशिया में Sukuk बांड का मुद्दा संकेत देता है कि भारत खुदरा निवेशक बाजार में सुधार के लिए अभिनव तरीके ढूंढ सकता है। सिंगापुर में हुए स्थानीय मुद्रा बांड में विदेशी निवेश में सुधार महत्वपूर्ण सबक लिया जा सकता है।

भारत जापान, कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया एवं ब्राजील जैसी उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईडीईज) के अनुभवों से बहुत कुछ सीख सकता है क्योंकि यह ठीक वैसी ही विकास सीढ़ियों पर है जैसे कि

भारतीय कॉरपोरेट बांड बाजार है। जापानी अनुभव सुझाता है कि बांड मार्केट का विकास सुनियोजित होना चाहिए एवं तार्किक क्रमबद्धता के साथ दीर्घकालिक आधार पर क्रियान्वित किया जाना चाहिए और साथ ही साथ आर्थिक विकास एवं बैंकिंग सुधारों के साथ-साथ बढ़ना चाहिए। कोरियाई अनुभव यह दर्शाता है कि सरकारी नीतिगत सुधार एवं विकास उदीयमान सरकारी बांड बाजार कॉरपोरेट बांड बाजार के विकास हेतु अत्यंत निर्णायक था। कोरियाई अनुभव और बांड गारंटी योजनाओं की सतत असफलता एक दूसरे स्वरूप में भारतीय कॉरपोरेट बांड बाजार के लिए महत्वपूर्ण ढंग से क्रियान्वयन बहुत मायने रखता है। ब्राजील में कॉरपोरेट बांड बाजार में निधियों के संग्रहण एवं प्रणालीगत करने में म्युचुअल फंड उद्योग का विकास महत्वपूर्ण होता है तथा चिली में बांड बाजार पेंशन फंड को समर्थन प्रदान करता है, जिसमें भारत में कॉरपोरेट बांड बाजार के विकास रोचकतापूर्ण क्रियान्वयन भी किए हैं। मलेशिया में 'सुकूक' बांड का निर्गमन यह दर्शाता है कि भारत में रिटेल निवेशक बाजार के सुधार में नवाचारी उपाय खोज सकता है। इसके साथ सिंगापुर में किए गए सुधार स्थानीय मुद्रा बांड में विदेशी निवेश में बेहतरी ला सकते हैं।

रिजर्व बैंक के दिशानिदेशों द्वारा विशेष रूप से किसी भी तरह के बांड या ऋण उपकरणों पर गारंटी से बैंकों को हतोत्साहित करता है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रणालीगत निहितार्थ हो सकते हैं और एक कुशल कॉरपोरेट बांड बाजार के विकास में बाधा पहुंचा सकते हैं। लंबे समय के बॉन्ड की गारंटी रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ को बिगाड़ सकता है एवं बांड बाजार के विकास में बाधा पहुंचा सकता है और संसाधन जुटाने के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक चैनल के रूप में कार्य कर सकता है।



सेबी के द्वारा ट्रेडिंग लाट्स के आकार में वृद्धि तथा कॉरपोरेट बांड बाजार में विदेशी निवेशकों की सीमा वृद्धि जैसे सुधारों के बावजूद, भारत के कॉरपोरेट बांड बाजार में फुटकर निवेशकों की उपस्थिति अभी भी अपर्याप्त है। हाल ही में, यूरोपीय सरकारों तथा बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों एवं नागरिकों के लिए "नेशनल सोलिडैरिटी बॉन्ड" जैसे देशभक्ति पूर्ण बांड जारी किए गए हैं। भारत में भी कॉरपोरेट बांड विस्तार के लिए

यह विचार भी एक व्यापक आधार साबित हो सकता है। इसी प्रकार से निधि प्रबंधन के एडवांसमेंट के माध्यम से भी म्युचुअल फंड उपभोक्ताओं के रूप में निवेशकों का आधार बढ़ाया जा सकता है। भारत में म्युचुअल फंड उद्योग खाते से सीबीएलओ तथा मार्केट रेपो संवर्ग में ऋणों की व्यापक भागीदारी है यहां पर भी फुटकर निवेशकों के लिए और आगे दायरा बढ़ाने की अपेक्षा है। म्युचुअल फंड उद्योग में फुटकर निवेश क्षेत्र में सुधार से कॉरपोरेट बांड सेक्टर में नकदी प्रवाह बढ़ाने में मदद मिल सकती है। स्थानीय मुद्रा बांडों में भी विदेशी निवेशकों को बढ़ावा देकर भी निवेशकों की व्याप्ति बढ़ाई जा सकती है। भारत सरकार ने गहनता के साथ कॉरपोरेट बांड बाजार का गहन अध्ययन किया है तथा विदेशी निवेश की सीमा की संशोधित किया है तथा इस बाजार संवर्ग को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु समय-समय पर निवेश अवधि में बदलाव किए हैं। हाल ही में भारत सरकार ने समीक्षा की है तथा निवेश की अधिकतम सीमा एवं निवेश अवधि को भी संशोधित किया है। इससे पूर्व 3 वर्ष की निवेश समयावधि भारत में कॉरपोरेट बांड बाजार के विकास में एक बहुत बड़ी अड़चन थी।

बहुत सारे विकासशील देशों की भांति भारत भी "विदेशी निवेश" जैसे भूत के भूत डर से ग्रस्त था और विकासशील देशों में अनिश्चितता एवं अस्थिरता के कारण विदेशी निवेशक स्थानीय मुद्रा बांड में निवेश करने से घबराते थे। हालांकि ये विदेशी मुद्रा बांड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड (आईडीएफ) के रूप में जारी कर सकते थे, किंतु मूल भूत डर एक बड़ी समस्या था। भारत भी सिंगापुर की भांति स्थानीय मुद्रा बांड में विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करके तथा घरों में छूट आदि प्रदान कर और विगोपन आवश्यकताओं से संबंधित विनियमनों को सरल बनाकर विदेशी निवेशकों की भागीदारी बढ़ा सकता है। हाल ही में, भारत सरकार ने एक सकारात्मक कदम उठाते हुए इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में दीर्घकालिक नैगमिक ऋण में निवेश की उदारनीति अपनाई है जो निवेशकों के मूल भूत डर को मिटाने में सहायक सिद्ध होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सीडीएस (क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप्स) तथा रेजीडेंसल मार्टगेज बैंकड सिक्क्योरटीज (आरएमबीएस) हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा आवास वित्त कंपनियों, बैंकों जैसे प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों के लिए ऋण संवर्धन जैसे उपाय सही दिशा में उठाए गए कदम हैं। एक अन्य तरीके से भी भारतीय कॉरपोरेट बांड बाजार में सुधार लाया जा सकता है जैसे कि प्रतिभूतिकरण में संवर्धन तथा (सीबीओ) कोलैटरालाइज्ड बांड आब्लीगेशन्स या फिर (सीएलओ) कोलैटरालाइज्ड लोन आब्लीगेशन्स के माध्यम से। हालांकि हाल ही में सब प्राइम संकट ने सीबीओ/सीएलओ के समुख कुछ समस्याएं खड़ी की है। इसलिए ऐसी समस्याओं के प्रति सुरक्षात्मक उपायों को अपनाकर सीबीओ/सीएलओ को अवतरित किया जा सकता है, जो कॉरपोरेट बांड बाजार को और आगे विकसित कर सकते हैं। कुल मिलाकर इसके लिए एक स्वतंत्र क्रेडिट एनालिसिस (विश्लेषण) तथा क्रेडिट रेटिंग की आवश्यकता है और साथ ही बेहतर विगोपन (डिस्क्लोजर) मानदंडों की भी जरूरत है। यद्यपि, भारत में ठोस क्रेडिट मूल्यांकन क्षमता तथा बेहतर ट्रैक रिकार्ड वाली रेटिंग एजेंसियां विद्यमान हैं तथापि और अधिक विशेषज्ञता वाली क्रेडिट

रेटिंग एजेंसियों के निर्माण से रेटिंग की विश्वसनीयता में और अधिक वृद्धि होगी।

पीकिंग आर्डर थियरी (चामोत्क्रम सिद्धांत) के अनुसार लाभदेय फर्म सबसे पहले आंतरिक स्रोतों से वित्त सहायता देने की प्रवृत्ति रखती है, बाद में



बाहरी स्रोतों से। इन बाहरी स्रोतों में से कंपनियां उधारी से वित्त सहायता देती है या फिर पहले कॉरपोरेट बांड जारी करती हैं और बाद में इक्विटी। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा गैर सरकारी गैर वित्तीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की निधियों के स्रोत हेतु वर्ष 1990-1991 से 2010-2011 के दौरान किए गए एक अध्ययन के आधार पर हुए विश्लेषण से यह बात उभर कर आई है कि भारत में ऐसी कंपनियां पीकिंग आर्डर थियरी (वर्मोत्कर्ष सिद्धांत) का अनुपालन नहीं करती हैं, बल्कि इसकी बजाय ये आंतरिक स्रोतों की अपेक्षा बाहरी स्रोतों पर अधिक निर्भर होती है। इन बाहरी स्रोतों में से सबसे अधिक प्रचुरता से यह कंपनियां बैंकों से प्राप्त करती है। उदाहरण के लिए वर्ष 2006-2010 की पांच वर्ष की अवधि में कुल उधार प्राप्तियों में से बैंकों की हिस्सेदारी 76.4 प्रतिशत थी और केवल 7 प्रतिशत वित्त प्राप्तियां डिबेंचर्स के माध्यम से हुई थीं। वर्ष 2010-11 में यह भागीदारी और अधिक बढ़ी जहां क्रमशः 71.1 प्रतिशत (बैंक ऋण) और 10.7 प्रतिशत (डिबेंचर्स) रही। यह दर्शाता है कि सभी कंपनियों हेतु बैंक ऋण निरंतर बढ़ा हिस्सा रहे, जहां पर वास्तव में एक कॉरपोरेट के नकद प्रबंधन का असली काम बैंकों के द्वारा होता है। यह बात प्रकट करती है कि कंपनियों को अपने निवेश की वित्त सहायता के लिए कॉरपोरेट बांड का एक अर्थक्षम या व्यावहारिक स्रोत बनने में काफी लंबी यात्रा करनी होगी।

भारत में प्रक्षेत्रीय आधार पर विश्वसनीय डाटा न उपलब्ध होने के कारण कॉरपोरेट बांड बाजार पर बहुत ही कम विश्लेषणात्मक कार्य मौजूद है। हालांकि, इसके बावजूद भी उपलब्ध सीमित आंकड़ों के आधार पर अनुसंधान कर्ताओं का काम करते हुए रोचक निष्कर्ष निकाले हैं। भारत में, यद्यपि कॉरपोरेट बांड बाजार के विकास में सरकारी बांड मार्केट की वृद्धि में एक सकारात्मक प्रभाव डाला है। जबकि अन्य देशों के मामलों में, जैसे कि दक्षिण कोरिया में सरकारी घाटे में वित्तीय सहायता घरेलू ऋण विस्तार में प्रतिबिंबित होती है और इसके विकास में नकारात्मक प्रभाव के

रूप में प्रादुर्भूत हुआ है। इसके अलावा अन्य घटक जैसे अर्थव्यवस्था का आकार, उन्मुक्तता, स्टॉक मार्केट का आकार तथा सांस्थानिक घटक जैसे भ्रष्टाचार आदि बहुत नाममात्र को या बिल्कुल ही नहीं प्रभाव डालते हैं।

कॉरपोरेट बांड बाजार में सुधार प्रक्रिया प्रोत्साहक है, किंतु इसकी क्रियान्वयन प्रक्रिया बहुत धीमी है। कंपनियां आज भी अपने निवेश हेतु निजी क्षेत्र या बैंकों के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं, अपेक्षाकृत अपना पब्लिक इश्यू लाने और कॉरपोरेट बांड के यह सब बावजूद इसके है कि हमारी क्रियान्वित नीतियां फुटकर और सांस्थानिक हिस्सेदारी को बढ़ावा देती है। आज आवश्यकता है कि निर्गमन प्रक्रियाओं को सरलीकृत किया जाए तथा एक नया एवं अदृश्य बाजार को सार्थक बनाकर पटल पर लाया जाए। आशा है जल्द ही भारत इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाते हुए सभी मोर्चों पर तेजी से आगे बढ़ेगा। हाल ही में सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों से आशा की नई किरणें दृश्यमान होने लगी हैं।

अहंकार

वृक्ष सूखते रहते हैं और अमर बेल फलती जाती है। बिना जड़ के फलती-फूलती है। अहंकार की भी यही दशा है। एक झूठ का नाम अहंकार है। इस झूठ को गले न लगाओ। अहंकारी बड़ी बेचैनी में समय काटता है क्योंकि उसका जीवन झूठ के धरातल पर टिका रहता है। उसमें अमर बेल की तरह जड़ें नहीं होती। अहंकारी अभद्रता का भी दूसरा नाम है। अहंकारी बाहर से कठोर किन्तु अंदर से बहुत गहराई तक चोट खाया हुआ मनुष्य होता है। अपने आप को राजा, महाराजा, सन्यासी, साधू, उत्तम गृहस्थ कहना भी अहंकार ही है। यह सब गहरी नींद की अवस्था है। भीतर में समाये अनंत प्रकाश को जागृत करो। अपने संबंध को जानने की कोशिश करो। यहां-वहां, इधर-उधर बैठकर चुगली मत करो। स्वयं को अड़चन में मत डालो। भीतर का प्रकाश तुम्हें दैदीप्यमान करने के लिए पर्याप्त है। बाहर के नहीं अंदर के राम से दोस्ती करो। ध्यान रखो कि तुम बिना नाम के पैदा हुए हो। इसलिए अपने आप को एक नाम दो और उसकी पूजा करो। यह बुद्धि, शरीर, तन-मन, सब बहुमूल्य हैं। इसकी कीमत जानो। स्वस्थ जीयो और दूसरों को भी जीने दो। किसी भी जीव के प्राण हरने का तुम्हें कोई हक नहीं। परमात्मा, यदि कहीं है तो, सारा हिसाब किताब में दर्ज हो रहा है। ध्यान रखो यह तुम्हारा हिसाब है। भुगतान के लिए तैयार रहो। यहां इसी सरजमीन पर।

मां ज्ञान सुमन

क्रेडिट कार्ड एवं एटीएम कार्ड का विवेकपूर्ण उपयोग



रवि कुमार सिंह
प्रबंधक

आज कल जिस गति के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में तीव्र विकास हुए हैं, वह अभूतपूर्व है। इसका लाभ सभी क्षेत्र के उद्योगों को मिला है। बैंकिंग क्षेत्र भी इससे वंचित नहीं है। बैंकिंग क्षेत्र में जिस तीव्रगति से कंप्यूटरीकरण हुआ है वह बहुत ही सराहनीय हो गया है। कंप्यूटर और नेटवर्क ने तो आज बैंकिंग व्यवसाय की दुनिया ही बदल दी है। अब बैंकों के अंदर बहुत लंबी लाइनें नहीं लगानी पड़ती हैं क्योंकि कंप्यूटर और नेटवर्क ने जहां समय की बचत कराई है वहीं बैंकिंग घर और जेब तक पहुंच गई है।

क्रेडिट कार्ड का उपयोग : क्रेडिट कार्ड की सुविधा को अनदेखा करना मुश्किल होता है। यह कैश ट्रांजैक्शंस के मुकाबले एक सुरक्षित विकल्प होने के साथ ही रिवाइड या कैश बैंक के तौर पर लाभ भी देता है। हालांकि, क्रेडिट कार्ड चुनने से पहले आपको यह ध्यान देना चाहिए कि इसके साथ मिलने वाले लाभ आपके लिए काम के हैं या नहीं।

कैश बैंक : कैश बैंक कार्ड के मामले में आपको हर बार स्वाइप करने पर खर्च की जाने वाली रकम का निश्चित पर्सेंट वापस मिल जाता है। यह रकम बैंकों और कार्ड जारी करने वाली कंपनियों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। इसमें किसी भी बदलाव को लेकर आपको सूचना भी दी जा सकती है। उदाहरण के लिए, सिटीबैंक क्रेडिट कार्ड मूवी टिकट, टेलीफोन और यूटिलिटी बिलों पर पांच पर्सेंट और अन्य सभी ट्रांजैक्शंस पर 0.5 पर्सेंट का कैश बैंक देता है। इसके साथ ही ज्यादातर बैंक लाभ के लिए क्वालीफाई होने के मकसद से एक न्यूनतम ट्रांजैक्शन रकम तय करते हैं और कस्टमर को मिलने वाले कैश बैंक की एक सीमा रखते हैं। उदाहरण के तौर पर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड सुपर वैल्यू टाइटेनियम कार्ड पर मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट 750 रुपये और मैक्सिमम कैश बैंक प्रति ट्रांजैक्शन 100 रुपये और प्रतिमाह 500 रुपये है।

कैश रिवाइड को रिडीम करने का प्रोसेस भी अलग-अलग हो सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक के एग्जिक्यूटिव वाइस-प्रेसिडेंट ने बताया, 'हमारा बैंक आपके अगले महीने के बिल के बदले कैश बैंक को एडजस्ट करने की अनुमति देता है।' कुछ बैंकों के लिए आपको अपना कैश रिवाइड हासिल करने के मकसद से कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करनी पड़ती है, कुछ अन्य इसे हर महीने या पहले से तय अवधि पर दे सकते हैं। कुछ कैश बैंक ऑफर्स के साथ सीमित वैधता अवधि भी होती है। उन्होंने कहा, 'कैश बैंक कार्ड शर्तों के साथ आते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी बकाया रकम का समय पर भुगतान नहीं कर पाते तो आपके कार्ड पर जमा कैश बैंक क्रेडिट नहीं होगा।'

रिवाइड प्वाइंट्स : कैश बैंक कार्ड्स की तरह आप कार्ड से की जाने वाली खरीदारी पर रिवाइड प्वाइंट ले सकते हैं। कार्ड पर खर्च किए गए

प्रत्येक 100-150 रुपये पर आपको 1-5 प्वाइंट मिलते हैं। उदाहरण के लिए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड प्लैटिनम रिवाइड प्वाइंट्स कार्ड पर आप प्रत्येक 150 रुपये खर्च करने पर पांच प्वाइंट ले सकते हैं। प्रत्येक प्वाइंट की वैल्यू बैंक और प्रॉडक्ट के आधार पर 0.25 से 1 की हो सकती है। एचडीएफसी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट एंड बिजनेस हेड (कार्ड पेमेंट प्रॉडक्ट्स एंड मर्चेंट क्वारिंरिंग सर्विसेज) ने बताया, 'कस्टमर खर्च करने के साथ ही रिवाइड प्वाइंट हासिल करते हैं, जिन्हें नेट बैंकिंग या फोन बैंकिंग के जरिए कई प्रॉडक्ट्स और वाउचर्स के लिए रिडीम किया जा सकता है।' अगर आप समय पर अपने रिवाइड प्वाइंट्स रिडीम नहीं करते तो वे लैप्स हो सकते हैं। सिटी बैंक ने कई कंपनियों के साथ समझौते किए हैं जैसे कि इंडियन ऑयल के साथ। आप जब कभी सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करेंगे तो वे रिवाइड प्वाइंट एकत्र करते हैं, आप उन्हें एक साथ पेट्रोल भराने के लिए रिडीम कर सकते हैं।

सही कार्ड कैसे चुने : कैश बैंक और रिवाइड प्वाइंट कार्ड्स दोनों के अपने फायदे और सीमाएं होती हैं। कैश बैंक कार्ड्स के साथ एक अच्छी बात यह है कि ज्यादातर बैंक इसे बिल की बकाया रकम के बदले एडजस्ट कर देते हैं। रिवाइड प्वाइंट्स को प्रॉडक्ट्स खरीदने के लिए रिडीम करना पड़ता है। आपको अपने खर्च की सीमा और आप कहां खर्च



करते हैं उसके आधार पर कार्ड को चुनना चाहिए।

इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के समय अपनी नजर न हटाएं यदि क्रेडिट कार्ड में पिन नं. डालना है तो उसे किसी दूसरे को न बताएं और न लिखकर ही दें। जहां भी कार्ड इस्तेमाल करें वहां से डिस्चार्ज स्लिप एवं बिल अवश्य प्राप्त करें। थोड़ी सी असावधानी आपको मंहंगी पड़ सकती है और थोड़ी सी चौकसी एवं सावधानी आपको कैशलैस लेन-देन में कुशल एवं सुविधा युक्त बना सकती है।

एटीएम का इस्तेमाल : बैंकिंग लेनदेन का तरीका निरंतर विकसित हो रहा है। पहले बैंक की शाखा पर जाकर वित्तीय लेनदेन का प्रचलन था, आजकल ग्राहक कई अन्य तरीके से बैंकिंग सुविधा ले सकते हैं। एटीएम इसमें से एक है। मोबाइल ओर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ग्राहक कम खर्च में और बेहतर ढंग से बैंकिंग सुविधा का इस्तेमाल करते हैं। एटीएम का इस्तेमाल सिर्फ नकदी के लेन देन के लिए करने और बाकी कार्यों के लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग करने के संबंध में ये सुझाव कारगर हो सकते हैं :

1. गैर-कैश लेनदेन के लिए फ्री मिस्ड कॉल सेवा का इस्तेमाल करें, कुछ बैंक मिस्ड कॉल बैंकिंग की सेवा मुहैया कराते हैं। इसके जरिये

बैलेंस की पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट, चेकबुक मांगने और खतरे का स्टेटमेंट मंगाया जा सकता है।

2. खरीदारी के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग करें कैश लाना ले जाना जोखिम भरा होता है। इसलिए, अगर कुछ खरीदारी करनी है या कुछ भुगतान करना है तो डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें। डेबिट कार्ड से लेनदेन के लिए आजकल पिन की जरूरत होती है। इसलिए गलत हाथों में पड़ने पर दुरुपयोग की गुंजाइश नहीं होती।
3. **मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग जैसे माध्यमों का इस्तेमाल करें:** मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से आप कहीं भी बैठकर कोई भी बैंकिंग लेनदेन कर सकते हैं। यह न सिर्फ बेहतर है, बल्कि सुविधाजनक है। नेट बैंकिंग भी सरल, तीव्र और सुरक्षित तरीका है। कुछ बैंक एमएमएस बैंकिंग के माध्यम से स्मार्ट फोन पर आपके खाते की जानकारी मुहैया कराते हैं। जिन लोगों के पास 2जी कनेक्शन है वे मोबाइल एप का लाइटर वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिन ग्राहकों को अंग्रेजी पढ़ने में कठिनाई होती है वे हिंदी में एप डाउनलोड कर सकते हैं। एनईएफटी और आईएमपीएस सुविधा के जरिये आप थर्ड पार्टी को धनराशि ट्रांसफर कर सकते हैं।
4. **सात दिन में एक बार पैसे निकालिए:** जब तक आपको धन की तत्काल आवश्यकता न हो तो सात दिन में सिर्फ एक बार ही एटीएम से नकदी निकालने का नियम बनाएं। गैर महानगरीय एटीएम में तीन एटीएम जा सकते हैं। वैसे एटीएम का इस्तेमाल सिर्फ कैश निकालने के लिए ही किया जाए तो बेहतर है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक एटीएम इस्तेमाल के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनके अनुसार अलग-अलग बैंक समूह ने माह में तीन से पांच बार तक एटीएम के प्रयोग की छूट दी है तत्पश्चात 15-20 रु0 प्रति लेन-देन व्यय होगा।
5. **जब भी संभव हो सिर्फ अपने बैंक के एटीएम का ही इस्तेमाल करें:** बैंक सिर्फ पांच बार ही अपने एटीएम पर फ्री इस्तेमाल की अनुमति देते हैं। इस तरह हर हफ्ते सिर्फ एक बार ही एटीएम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए अपने खर्च के अनुसार ही एटीएम से धनराशि निकालिए ताकि एटीएम बार-बार जाने की जरूरत न पड़े।

हमारी वर्तमान सरकार कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा दे रही है। जल्दी ही सरकार ऐसे उपायों पर जोर देने की सोच रही है, जिसमें नकदी का 10 हजार से ऊपर का भुगतान कार्ड, इंटरनेट या मोबाइल के माध्यम से हो। इससे जहां नकदी ले जाने संबंधी अपराध रुकेंगे, वहीं काले धन के लेन-देन पर भी रोक लगेगी। आने वाले समय में अधिकांश देश इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों का उपयोग करने को बढ़ावा देंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में हुई प्रगति को अपनाने से विकास की रफ्तार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भ्रष्टाचार को घटने या नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी।

भ्रष्टाचार



भ्रष्टाचार मनुष्य की अंतर्निहित चारित्रिक दुर्बलता है, जो मानव के नैतिक मूल्य को डिगा देती है। यह एक मानसिक समस्या है। भ्रष्टाचार धर्म, संप्रदाय, संस्कृति सभ्यता, समाज, इतिहास और जाति की सीमाएं भेदकर अपनी व्यापकता का परिचय देता है। वर्तमान समय में शासन,

प्रशासन, राजनीति और सामाजिक जीवन भी इससे अछूता नहीं है। इसने असाध्य महामारी का रूप अख्तियार कर लिया है। आचार्य कौटिल्य ने कहा था कि आकाश में रहने वाले पक्षियों की गतिविधि का पता लगाया जा सकता है, किंतु राजकीय धन का अपहरण करने वाले कर्मचारियों की गतिविधि से पार पाना कठिन है। एक राजनीतिक विचारक ने भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय कैंसर की मान्यता प्रदान की है। उनके अनुसार यह विकृत मन-मस्तिष्क की उपज है।

जब समाज भ्रष्ट हो जाता है तो व्यक्ति और संस्थाओं का मानदंड भी प्रभावित होता है। ईमानदारी और सच्चाई के बदले स्वार्थ और भ्रष्टाचार फैलता है। इस परिप्रेक्ष्य में चीन के सक्रिय समाजसेवी नांग-एन-शिन्ह का कहना है कि सामाजिक दुर्व्यवस्था का कारण है कानूनी दोष और व्यक्ति का गलत रास्ते पर चलना। ऐसे समाज में नैतिक मूल्यों का क्षरण होता है और अनैतिक तत्वों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। यहीं से भ्रष्टाचार का अंकुरण होता है। इस्लामी विद्वान अब्दुल रहमान इबन खाल्दुन ने कहा था कि व्यक्ति जब भोगवादी वृत्ति का अनुकरण करता है तो वह अपनी आय से अधिक प्राप्ति की प्रबल कामना करता है। इसलिए वह मर्यादा की हर सीमाएं लांघ जाना चाहता है और जहां ऐसा प्रयास सफल होता है तो भ्रष्टाचार का प्रारंभ होता है राजनीतिक विचारकों के अनुसार मनुष्य के लोभ का बढ़ना मानसिक द्वंद्व को जन्म देता है और पूंजीवादी औद्योगिक व्यवस्था के कारण भ्रष्टाचार का जन्म होता है। भ्रष्टाचार आमतौर पर सार्वजनिक व्यय में घोटाले के दोष को कहा जाता है। इस तरह यह तीन तरह के अर्थों में प्रयुक्त होता है- रिश्वत, लूट-खसोट और भाई-भतीजावाद। ऐसा भ्रष्टाचार एक से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है। भ्रष्टाचार पनपने के कई कारण हैं। नेतृत्व क्षमता में कमी से भ्रष्टाचार पनपता है। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए केवल कानून बनाना ही एकमात्र विकल्प नहीं हो सकता। इसके लिए व्यक्ति के अंदर चारित्रिक सुदृढ़ता, ईमानदारी और साहस का होना अनिवार्य है।

(संकलन : सौरभ शील, सहायक महाप्रबंधक)

बढ़ते ई-बाजार की पहुंच



पंकज कुमार सिंह,
उपप्रबंधक

आजकल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एवं बैंगलूरू सहित देश भर के लगभग 60-70 शहरों में जिस तेजी से ई-बाजार

बढ़ रहा है, वह वृद्धि यह दर्शाती है कि भारत में लोगों की खरीद शक्ति (परचेजिंग पावर) में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है और यह भी कि टी.वी., कंप्यूटर, मोबाइल व इंटरनेट का विस्तार भी तेज गति से हुआ है। अब आप घर बैठे अपनी पसंद की चीजें खरीद सकते हैं। हालांकि, सजे हुए परंपरागत बाजार अभी इतिहास की चीज नहीं हुए हैं, शायद होंगे भी नहीं, पर ऑनलाइन शॉपिंग ने उनको कड़ी टक्कर देनी शुरू कर दी है। परंपरागत दुकानों की तरह ही ऑनलाइन खुदरा व्यापारियों के पास हर सामान उपलब्ध होता है। किताबों से शुरू हुआ यह सिलसिला फर्नीचर, कपड़ों, बीज, किराने के सामान से लेकर फल, सौंदर्य प्रसाधन तक पहुंच गया है। यह लिस्ट हर दिन बढ़ती जा रही है। इस खरीदारी की दुनिया में घुसना इतना आसान है कि आप अपने बेडरूम से लेकर दफ्तर या गाड़ी से, कहीं से भी यह काम कर सकते हैं। ई-कॉमर्स पोर्टलों की बहार है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोशिएशन ऑफ इंडिया व केपीएमजी की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का ई-कॉमर्स का बाजार 9.5 बिलियन डॉलर का है, जिसके इस साल के अंत तक 12.6 बिलियन डॉलर हो जाने की उम्मीद है और 2020 तक यह देश की जीडीपी में चार प्रतिशत का योगदान देगा।

महानगरों में लोगों की व्यस्त दिनचर्या, शहरों में पार्किंग व ट्रैफिक की समस्या, आमदनी में इजाफा और सस्ते इंटरनेट की सुलभता कुछ ऐसे कारण हैं, जिन्होंने लोगों को डिजिटल कॉमर्स का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया है। फॉरेस्टर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 3.5 करोड़ लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, जिनकी संख्या 2018 तक 12.80 करोड़ हो जाने की उम्मीद है। इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है, पर यहां ई-कॉमर्स का भविष्य मोबाइल के हाथों में है। भारत में स्मार्टफोन का बाजार 40 प्रतिशत की गति से बढ़ रहा है। मोबाइल सिर्फ बातें करने, तस्वीरों व संदेशों का माध्यम नहीं रह गए हैं। अब स्मार्टफोन में चैटिंग ऐप के अलावा, ई-शॉपिंग के अनेक ऐप लोगों की जरूरत का हिस्सा बन चुके हैं। अब लगभग उपभोक्ता से जुड़ी हर कंपनी अपना ऐप उपलब्ध कराती है, बस जिसे डाउनलोड कर आप तुरंत जुड़ जाते हैं।

खरीदारी के अनेक विकल्पों और कीमतों का तुलनात्मक रूप से मूल्यांकन की सुविधा और आसान मासिक किशतों में चीजें खरीदने का विकल्प कुल मिलाकर चीजें खरीदने को काफी आसान बना देते हैं। महत्वपूर्ण यह भी है कि ऑनलाइन खरीदारी ने किसी खास सामान की सिर्फ बड़े शहरों में उपलब्धता की स्थिति को समाप्त किया है। आप किसी भी शहर में रहकर कोई भी सामान खरीद सकते हैं। अभी तक बहुत से सामानों के लिए हर

किसी को बड़े शहरों के बाजार पर ही निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन अभी छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों में माल डिलीवरी के अभाव होने के कारण ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रहीं। कदाचित्त इसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी को दोष दिया जा सकता है। आज भी कई राज्यों में रोड एवं परिवहन की हालत खस्ता है। कई राज्यों में बिजली की आपूर्ति इन गांवों एवं कस्बों में मात्र 5 से 7 घंटे होती है। फलतः टी.वी., कंप्यूटर, लैपटॉप एवं इंटरनेट सुविधाएं नहीं चल पाती हैं। यदि ये कमियां दूर हो जाती हैं और ई-बाजार अपनी पहुंच में विस्तार कर लेता है तो अगले दस सालों में 50 करोड़ लोग ई-बाजार की सुविधा का लाभ उठाएंगे और यह करोड़ों की 250 करोड़ बिलियन डॉलर से ऊपर की होगी।

यद्यपि, ऑनलाइन खरीदारी के वे संदर्भ में तस्वीर का दूसरा रुख उतना चमकीला भी नहीं है। एक तो मोबाइल डाटा की कीमत ज्यादा और रफ्तार कम है। फिर बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए, तो छोटे शहरों और कस्बों में इंटरनेट सुविधाजनक नहीं है। अंग्रेजी भाषा पर निर्भरता की वजह से ऑनलाइन कारोबार का दायरा सीमित है। फिर इस क्षेत्र में उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए नियम-कायदे अभी नहीं बने हैं। शिकायत निवारण जैसे इंतजाम भी नहीं हैं। यदि भारत में ई-बाजार को सफल बनाना है तो सरकार को तुरंत ही इस दिशा में स्पष्ट दिशा-निर्देशों से युक्त विनियमन लाने चाहिए, जिसमें क्रेता-विक्रेता के सभी अधिकार स्पष्ट हों और साथ ही उपभोक्ता के हितों को पूरा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। यदि ऐसी खरीददारी से कोई समस्याएं आती हैं तो उनका उपभोक्ता फोरम के माध्यम से तुरंत निर्णय करके दोनों पक्षों को संतुष्टिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराया जाए।

हाल ही में ई-बाजार से जुड़ी कई जानी-मानी बहु-राष्ट्रीय बड़ी-बड़ी कंपनियां भारत में तेजी से निवेश करने के लिए आगे आई हैं। उनका मानना है कि भारत में अगले वर्ष यह बाजार 2014 की अपेक्षा दो गुना हो जाएगा। लोगों की ऑनलाइन खरीददारी पर तेजी से बढ़ती रूचि को देखकर तथा ई-बाजार से जुड़ी कंपनियों के द्वारा खुले बाजार की अपेक्षा 20 से लेकर 50 प्रतिशत तक की मूल्यों में कमी यह दर्शाती है कि शहर ही नहीं, बल्कि कस्बों और देहातों में भी ई-बाजार का विस्तार तेजी से हो रहा है। यदि भारत सरकार एवं राज्य सरकारें बिजली, पानी, सड़क जैसी अवसंरचनाओं (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को तेजी से विकसित करने में सफल हो पाती हैं तो पूरे देश में ई-बाजार का लाभ आसानी से पहुंच सकेगा और ये कंपनियां अपने सामान की डिलीवरी भी आसानी से पहुंचा सकेंगी। यह कंपनियां फिलहाल तो हल्की-फुल्की वे चीजें ही विपणन करती हैं जिन्हें आसानी से हल्के एवं छोटे वाहनों (मोटर साइकिल या स्कूटर) से ले जाते हैं लेकिन जल्द ही वह समय आने वाला है जब यह कंपनियां पूरे देश भर में फ्रिज, वाशिंग मशीन, ए.सी, मोटर साइकिल, स्कूटर एवं कारों आदि की खरीद-फरोख्त का काम सफलतापूर्वक करेंगी। आज तेजी से ऑनलाइन खरीद-फरोख्त का कारोबार बढ़ रहा है। सरकार को तेजी के साथ, जैसा कि प्रधानमंत्री जी का सपना है, हर-गांव, कस्बा इंटरनेट से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि महानगर एवं गांवों के बीच की दूरी और भेद को समाप्त किया जा सके। निश्चय ही अगले 10 वर्षों में भारत ई-बाजार सहित ई-सुविधा के क्षेत्र में अग्रणी देश होगा।

शिक्षण प्रयास- तमिल सीखें



मगेश कुमार
प्रबंधक

हम सभी हिंदी भाषी अक्सर यह आवाज़ उठाते रहते हैं कि भारत की राष्ट्र भाषा हिंदी होनी चाहिए और सही अर्थों में देश की राजभाषा बने। प्रायः राजभाषा सम्मेलनों में यह आवाज़ भी उठाई जाती है और उसी दौरान भारत की अष्टम अनुसूची में शामिल भाषाओं को भी बराबर प्रोत्साहित करने की हिमायत भी की जाती है। हमारे देश के अधिकांश हिंदी भाषी लोग दक्षिण भारत की चार प्रमुख भाषाओं तमिल, तेलगु, कन्नड़ एवं मलयालम को छोड़ कर शेष 'ग' भाषा-भाषी क्षेत्र की भाषाएं यथा - बंगला, पंजाबी, उड़िया, असमी आदि को काम चलाऊ रूप से समझ भी लेते हैं। लेकिन दक्षिण भारत की इन प्रविण भाषाओं को नहीं समझ पाते, क्योंकि भारत की ये भाषाएं द्रविण कुल की मानी जाती हैं, जबकि हिंदी सहित मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगला, उड़िया या असमी आर्य भाषा कुल से पैदा हुई मानी जाती हैं। इसी कारण इन सब की जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है। हम सभी संस्कृत की जड़ों के माध्यम से जुड़कर आर्य भाषाओं को बहुत अधिक नहीं तो काम चलाऊ समझ लेते हैं। राजभाषा हिंदी के सम्मेलनों में हमारे दक्षिण भारतीय साथियों का यह भी मानना है कि हिंदी वाले अपनी भाषा तो सिखाना चाहते हैं पर हमारी भाषाएं नहीं सीखना चाहते, जबकि सौहार्दता की मांग है कि हिंदी भाषी लोग भी अहिंदी भाषी लोगों की भाषाएं सीखें। इन मंचों पर कई बार पुरजोर स्वर में यह समर्थन भी किया गया कि हम सभी को अष्टम अनुसूची की भाषाओं, खासकर दक्षिण भारतीय भाषाओं में किसी एक को सीखना चाहिए। हमारे बैंक ने इस दिशा में सार्थक पहल की है और हमने 'आवास भारती' पत्रिका के माध्यम से इस पहल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इसी क्रम में तमिल शिक्षण प्रयास के नाम से हम तमिल भाषा की प्राथमिक चरण से शुरुआत कर रहे हैं। आशा है हमारा यह प्रयास इस दिशा में प्रेरक एवं मील का पत्थर साबित होगा। इसी आशा एवं विश्वास के साथ।

पहला भाग		व्यंजन-अक्षर	
स्वर - अक्षर		தமிழ் வியன-அక్షर	
(உயிரெழுத்துக்கள்)		தமிழ் கெ 18 வியன ये हैं:-	
अ	अ	க	क
आ	आ	கா	क़
इ	इ	ச	च
ई	ई	சா	अ
उ	उ	ட	ट
ऊ	ऊ	ண	ण
ए	ए	த	त
ऐ	ऐ	ந	न
ऑ	ऑ	ப	प
ओ	ओ	ம	म
अः	अः	ய	य
		ர	र
		ல	ल
		வ	व
		ழ	ळ
		ள	ल
		ற	र
		ன	न



वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिंदी



डॉ. अमर सिंह सचान,
राजभाषा अधिकारी

एक राष्ट्र की महत्ता उसकी जनसंख्या तथा उसकी राजभाषा पर निर्भर करती है। यहां पर उस राष्ट्र या देश की भौगोलिक स्थिति, क्षेत्र तथा समुद्री तटों के अलावा वहां

के निवासियों की संख्या एवं आर्थिक स्थिति तथा शैक्षिक स्तर भी बहुत मायने रखती है। आज दुनिया भर में हिंदी के बोलने वालों की संख्या 80 करोड़ है तथा समझने वालों की संख्या 120 करोड़ से अधिक है। यदि इसमें पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के उर्दू भाषियों की संख्या जोड़ दी जाए तो हिन्दी बोलने व समझने वालों की यह संख्या 150 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी। आज बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व भर में प्रमुख भाषाओं के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

गुगल ने इंटरनेट पर अधिक से अधिक क्षेत्रीय सामग्री उपलब्ध कराने के लिए हिंदी में भी वॉइस सर्च की सुविधा उपलब्ध कराने की पहल करके हिंदी के विस्तार को एक नया आयाम दे दिया है। इस पहल से इंटरनेट का दायरा तो बढ़ेगा ही, हिंदी का आकार और अधिक विस्तृत होगा। स्वाभाविक है कि हिंदी की संघर्ष यात्रा नए पड़ाव पर पहुंचेगी। भाषा और संस्कृति के अंतरसंबंध को समाज विशेष के संदर्भ में ही समझा जा सकता है और भाषा और संस्कृति को समझना बिना किसी समाज को समझना असंभव है। 'हिंदी' शब्द 'हिन्दुस्तान के अंदर रहने वालों और हिंदी भाषा दोनों ही अर्थों में प्रयुक्त है। हिंदी/हिन्दुस्तानी और हिंदवी के रूप में इसका संदर्भ प्राप्त होता है। हिंदी ब्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी, बुंदेली, कुमायुनी, हरियाणवी, दखिनी, मगही, कन्नौजी और छत्तीसगढ़ी आदि तमाम उपभाषाओं से भी उदारतापूर्वक शब्द ग्रहण करती रही है। इसमें अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी के भी अनेकानेक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां भी शामिल हैं। हिंदी निसंदेह संस्कृत से जन्मी तथा पालि, प्राकृत एवं अपभ्रंश की सीढ़ियों से उत्पन्न अत्यन्त भाषा तो है, पर बहुक्षेत्रीय है और अनेक भाषाओं और बोलियों का समुच्चय है। इनके प्रभावों के कारण हिंदी विलक्षण रूप से बहुलता वाली भाषा बन चुकी है।

भारत में जन्मी, पली और बढ़ी हिंदी देश की संस्कृति का अंग भी है और उसके निर्माण में भी संस्कृति की प्रमुख भूमिका है। घन, जाति, क्षेत्र जैसी बाधाएं लांग्घती हिंदी में अमीर खुसरो, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, मीरा, रैदास, रसखान, भारतेन्दु, प्रेमचंद, प्रसाद, निराला जैसे तमाम रचनाकारों का समावेश है। बल्लभाचार्य, रामानुज, विट्ठलदास, रामानंद, केरल के स्वाती तिरुनाल, महाराष्ट्र के संत देवराज, तंजौर के साहजी, मछलीपत्तनम के आंदेल पुरुषोत्तम ने हिंदी में काव्य-रचना की। गुजरात के नरसी मेहता, महाराष्ट्र के नामदेव और ज्ञानेश्वर, पंजाब के गुरुनानक देव, असम के शंकरदेव, बंगाल के चैतन्य महाप्रभु, गुजरात के महर्षि दयानंद और उत्तर दक्षिण के तमाम सूफी संतों ने हिंदी माध्यम से ही देश


के जन-जन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिशें की। इन महान संतों की पदयात्रा और उनकी साखियों, पदों और वाणियों के माध्यम से हिंदी पूरे देश में विचरण करती रही। साथ ही आम जनों के तीर्थाटन, व्यापार, भ्रमण नौकरी, अध्ययन आदि के कारण भी विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर आवाजाही होती रही और हिंदी व्यक्तियों, समुदायों संस्थाओं के बीच रिश्ते बनाने में भी सहायक हुई। यह बात हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद पूरे देश का भ्रमण किया। उन्हें लगा कि हिंदी ही ऐसी भाषा है जो ज्यादातर लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है। इस देश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जानेवाली भाषा हिंदी सभी को आपास में जोड़ने का काम करती है। गांधीजी ने इस भाषा की विशिष्टता को समझा और उसे यथार्थ रूप देते हुए हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनाया। वे सरल हिंदी को चाहते थे। उनके शब्दों में हिंदी उस भाषा का नाम है जिसे हिंदू और मुसलमान कुदरती तौर पर बगैर प्रयत्न के बोलते हैं। हिंदुस्तानी और उर्दू में कोई फर्क नहीं है। देवनागरी में लिखी जाने पर वह हिंदी और फारसी लिपि में लिखी जाने पर वह उर्दू हो जाती है।

भारतीय संसद ने 14 सितंबर, 1949 को इसे राजभाषा स्वीकार किया, पर औपनिवेशिक मानसिकता और सीमित स्वार्थों के चलते हिंदी का प्रचार-प्रसार अभी तक वांछित स्तर तक नहीं हो पाया। संविधान के अनुच्छेद 343 में राजभाषा के रूप में उल्लिखित और अनुच्छेद 351 में वर्णित संविधान की 6वीं अनुसूची में समाविष्ट है। आज हिंदी लगभग साठ करोड़ लोगों की मातृभाषा है, साहित्यिक भाषा है और जातीय भाषा है। नागरी लिपि में लिखी जाने वाली कई अन्य भाषाएं भी हिंदी के निकट हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल के लोग हिंदी को न केवल बखूबी समझते हैं, बल्कि बोल भी सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के विकास में प्रवासी भारतीयों की विशेष भूमिका रही है। वे भारत से बाहर भारत की भाषा-संस्कृति को जीवंत किए हुए हैं। अप्रवासी भारतवंशी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश से खेती के लिए शतबंदी श्रमिकों के रूप में मॉरीशस, त्रिनेडाड, दक्षिण अफ्रीका, गुयाना, सूरीनाम तथा फिजी में गए। इन अप्रवासी भारतीयों की संस्कृति और अस्मिता की पहचान के रूप में भोजपुरी और अवधी के मिश्रित रूप वाली हिंदी ही आधार बनी रही। वह फिजी में 'फिजी हिंदी', सूरीनाम में 'सरनामी', दक्षिण अफ्रीका में 'नेताली और उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में 'पाया' कहलाई। हिंदी के अध्ययन में विदेशी विद्वानों ने भी गंभीर रुचि दिखाई है। हिंदी का प्रथम इतिहास एक फ्रांसीसी ने लिखा। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण अंग्रेज जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा किया गया और प्रथम शोध प्रबंध अंग्रेज जे.आर. कारपेंटर ने तुलसीदास पर किया। विदेशियों ने सृजनात्मक साहित्य भी रचा है। विदेश में हिंदी की पत्र-पत्रिकाओं का भी प्रकाशन हो रहा है। मॉरीशस का 'बसंत', इंग्लैंड की पुरवाई, अमेरिका का 'सौरभ' और 'विश्वविवेक' तथा नार्वे का 'शांतिदूत' प्रमुख प्रकाशन हैं। अनेक भाषाओं के द्विभाषी शब्दकोश भी तैयार हुए हैं। प्रवासी भारतीयों द्वारा महत्वपूर्ण लेखन हो रहा है। वे हिंदी को भारतीय अस्मिता का प्रतीक मानते हैं। अनेक रचनाओं का विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। कंप्यूटर और इंटरनेट के चलते हिंदी की

वैश्विक धरातल पर उपस्थिति हो रही है, जैसा कि गूगल की पहल से स्पष्ट होता है। अखबारों के ई-संस्करण भी हो रहे हैं। आज हिंदी थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इंग्लैंड आदि अनेक देशों में भी प्रयुक्त है। संख्या की दृष्टि से चीनी और अंग्रेजी के बाद इसी की स्थिति है। आज एशिया के पूर्वी देशों सिंगापुर, मलेशिया, बाली, हांगकांग आदि में हिंदी बोलने-समझने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है क्योंकि भारतीय पर्यटकों की बढ़ती संख्या ने इन्हें हिंदी सीखने के लिए अभिप्रेरित किया है।

साहित्य की दृष्टि से हिंदी भाषा सृजनधर्मी, लचीली और संप्रेषण लायक हुई है। संचार माध्यमों में हिंदी प्रभावी हो रही है। उसके उपयोग के क्षेत्र बढ़े हैं और अभिव्यक्ति-सामर्थ्य का विस्तार हुआ है। दोहों, छंदों से चलकर मुक्त छंद नई कविता तक हिंदी की यात्रा उल्लेखनीय है। फिल्म, संगीत, नृत्य और अन्य कलाओं की दुनिया में हिंदी की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। हिंदी क्षेत्र में हिंदी उच्च शिक्षा की भाषा बन रही है। हिंदी साहित्य आधुनिकता और उसके बाद के विमर्श से भी रूबरू है। आज 'हिंग्लिश' जन्म ले रही है और सरल बनाने के नाम पर हिंदी अंग्रेजी जैसी बनाई जा रही है। आज हिंदी को पूरी दुनिया में लोक प्रिय बनाने में हिंदी फिल्मों तथा टी.वी. पर आने वाले हिंदी धारावाहकों ने कई भाषायी सीमाओं को पार करते हुए पूरी दुनियाभर में लोकप्रिय बनाया है। आज हिंदी फिल्मों या चैनल न सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या नेपाल में देखे जाते हैं, बल्कि दुनिया भर के 180 देशों तक पहुंच बना चुके हैं। आज इनकी पहुंच का दायरा अरब देशों सहित यूरोप एवं सोवियत रूस वाले देशों सहित यूएसए और कनाडा तक हो चुकी है। यह विस्तार निरंतर बढ़ रहा है तथा हिंदी को समझने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यही नहीं अब दुनिया भर के तमाम देशों ने अपने विश्वविद्यालयों में हिंदी अध्ययन केन्द्र भी



स्थापित किए हैं ताकि वे सर्वाधिक मध्य वित्त आयवाले उपभोक्ता वर्ग तक अपनी पहुंच स्थापित कर सकें। वहीं सरकारी कार्यालयों में अनुवाद से आने वाली संस्कृतनिष्ठ हिंदी भी अबूझ होने के कारण प्रयोग से बाहर हो जाती है। हिंदी भारत की सांस्कृतिक विरासत की वाहिका और सामाजिक स्मृति का कोष है। वह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण खिड़की है, जिसे खुला रखना आवश्यक है। हमें विश्वास है कि भाषा के प्रति गंभीर रुख अपनाया जाएगा और हिंदी को समर्थ बनाया जाएगा।

हिंदी और मातृभाषा में पढ़ने से किसी भी छात्र की काबिलियत पांच गुना तक बढ़ जाती है। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई के एक शोध पत्र में यह बात सामने आई है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के एक शोध में भी कुछ इसी तरह के तथ्य सामने आए हैं।

आईआईटी मुंबई के कंप्यूटर विज्ञान विभाग के श्रीधर अय्यर और योगेन्द्र पाल ने वीडियो आधारित एक परीक्षा ली। इसके तहत हिंदी माध्यम के छात्रों को कुछ दिनों तक रोजाना हिंदी और अंग्रेजी में एक-एक घंटे के लेक्चर दिखाए गए।

इसमें पाया गया कि जब हिंदी के छात्रों ने प्रोग्रामिंग की तो उन्हें लगातार नए विचार आ रहे थे और उनकी क्षमता पांच गुना तक बढ़ गई। मगर जब उन्होंने अंग्रेजी में प्रोग्रामिंग की तो उन्हें कोई नया विचार नहीं आया, वे सिर्फ दिखाए गए तथ्यों पर ही काम कर रहे थे।

मातृभाषा में हो शोध : कई बार देखा गया है कि अगर शोध मातृभाषा में किए जाते हैं तो उनकी गुणवत्ता बेहतर होती है, जबकि किसी अन्य गैर भारतीय भाषा जैसे अंग्रेजी में यह औसत रहती है। यही कारण है कि रूस, जापान और फ्रांस में शोध वहीं की भाषाओं में ही होते हैं।

क्या आप जानते हैं —

- अमेरिका के 80, कनाडा के 95 और ऑस्ट्रेलिया के 95 शिक्षण संस्थानों में हिंदी सिखाई जाती है
- मॉरीशस के 24 विश्वविद्यालयों व 56 संस्थानों में हिंदी की पढ़ाई जाती है।

सिंगापुर में रिसर्च : सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी की कार्यकारी निदेशक कोरिना चांग ने एक शोध का हवाला देते हुए बताया कि स्कूल स्तर पर हिंदी और तमिल विषय लेने वालों का उच्च शिक्षा में प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर देखा गया। ऐसे में हमने उच्च शिक्षा में हिंदी को बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया है।

लगभग एक साल पूर्व भी एक अनुसंधान में यह बात मानी गई थी कि जहां अंग्रेजी में पढ़ने या काम करने वालों का दिमाग का एक हिस्सा सक्रिय रहता है वहीं हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में काम करने वालों के दिमाग दोनों हिस्से सक्रिय रहता है। इसका कारण यह बताया गया था कि अंग्रेजी को हम बाएं से दाएं लिखते हैं उसमें ऊपर नीचे या दाएं-बाएं कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती जबकि हिंदी या भारतीय भाषाओं में बाएं से दाएं लिखने के साथ-साथ अलग से लगाई जाने वाली मात्राएं चारों दिशाओं में लगाई जाती हैं, यानि कि कुछ मात्राएं एक अक्षर/शब्द के ऊपर कुछ नीचे तो कुछ दाएं एवं कुछ बाएं लगती हैं इसी कारण इन्हें लगाने के लिए दिमाग (मस्तिष्क) के दाएं व बाएं दोनों हिस्से सक्रिय रहते हैं। मतलब साफ है कि एक हिस्से की अपेक्षा दोनों हिस्से सक्रिय होने पर काबिलियत अधिक होना स्वभाविक है।

हाल ही में अंग्रेजी के एक स्वनाम धन्य लेखक ने अपने लेखों से अभियान चलाया है कि हिंदी को देवनागरी की बजाय अंग्रेजी (रोमन) लिपि को अपना लेना चाहिए, जिससे हिंदी का प्रचार-प्रसार बढ़ेगा। वास्तव में अंग्रेजी भक्तों का यह एक कुत्सित प्रयास है ताकि हिंदी का समूल विनष्ट किया जा सके। कोई उनसे पूछेगा कि देवनागरी का कितनी सदियों में विकास हुआ और संस्कृत जैसी प्राचीन भाषा के साथ दूध व पानी जैसा मिलन है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता। सभी हिंदी भाषियों को इस कु प्रयास का जोरदार विरोध करना चाहिए। यदि हिंदी की लिपि रोमन कर दी जाएगी तो न सिर्फ हिंदी एवं संस्कृत समाप्त हो जाएगी, बल्कि भारत की पहचान, संस्कृति, सभ्यता एवं इतिहास व धर्म नष्ट हो जाएगा।





प्रबंधन की बढ़ती मांग



रंजन कुमार बरून,
सहायक महाप्रबंधक

आज दुनिया भर के सभी कारोबार में कुशल एवं योग्य प्रबंधकों की भारी मांग बढ़ रही है। विश्व व्यापार वस्तुओं एवं पण्यों का लेन-देन, आयात-निर्यात, मानव संसाधन तथा सीमाओं के पार आवा-जाही ट्रेवेल, टूरिज्म, सेवाओं आदि के लिए एक कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इन सभी कार्यों में जहां मुद्रा का विनियम महत्वपूर्ण है वहीं कुशल प्रबंधक इसे निपुणता के साथ संपादित करते हैं।

आज विश्व भर में ग्रज्युएट एवं मैनेजमेंट शिक्षा की मांग में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक ग्रज्युएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल की रिपोर्ट बताती है कि बिजनेस और मैनेजमेंट प्रोग्रामों के लिए पिछले साल की तुलना में इस साल काफी ज्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं। साल 2012 में सभी प्रोग्राम्स के लिए प्राप्त आवेदनों के आंकलन से पता चलता है कि तकरीबन हर प्रकार के प्रोग्राम में विद्यार्थियों ने अपनी रुचि दिखाई है, जिसमें अंश कालिक स्वयं आधृत लोचदार एवं ऑनलाइन डिस्टेंस एमबीए साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी समेत बिजनेस में मास्टर्स डिग्री का भी समावेश है।

वैश्विक व्यवसाय जगत की बढ़ती जटिलता की वजह से आज उन बिजनेस स्कूलों की मांग लगातार बढ़ रही है, जो कॉर्पोरेट और विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी शिक्षा प्रणाली में विशेषज्ञ और सुसाध्य कार्यक्रमों का समावेश करते हैं। विश्व भर में ये विविध प्रकार के मैनेजमेंट प्रोग्राम्स अलग-अलग प्रकार के विद्यार्थियों को आकर्षित करते हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए इस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है, पर पूरी तरह से नहीं। डिजीटली माध्यम में सुसाध्यता, प्रोग्राम की लयबद्धता एवं कक्षा वर्ग की विशेषताएं आदि सभी मुद्दे मौजूदा ग्रज्युएट की शिक्षा समाधान में शामिल किए जा रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थियों और कंपनियों द्वारा भेजा जाने वाला संदेश स्पष्ट है कि एक ही खाके में सब कुछ फिट नहीं किया जा सकता। प्रगति एवं संवृद्धि हेतु विविधता को अपनाना होगा।

एक रिपोर्ट के अनुसार सभी ग्रज्युएट मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए पिछले साल की तुलना में 51 प्रतिशत ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए, जबकि 39 प्रतिशत प्रोग्राम्स में आवेदनों की संख्या कम थी और 9 प्रतिशत प्रोग्रामों में कोई बदलाव नहीं पाया गया। मैनेजमेंट, एकाउंटिंग एवं फाइनेंस जैसे विशेषज्ञ मास्टर्स प्रोग्राम्स में लगातार वृद्धि हो रही है। इस क्षेत्र में तेजी से मांग बढ़ रही है।

पिछले कई सालों में प्रबंधन (मैनेजमेंट) शिक्षा क्षेत्र में कई बदलाव हुए। नए प्रबंधन रुझानों की शुरुआत की गई, जिसमें कई विकल्पों और सुअवसरों का समावेश है और इन्ही नए रुझानों से विश्व भर में उद्यमियों की एक नई

प्रजाति को फलने-फूलने का मौका मिल रहा है। नए युग की मैनेजमेंट शिक्षा विद्यार्थियों की सोच को भी काफी व्यापक बना रही है, अब विद्यार्थी केवल एक दिशा में ही नहीं सोचते, बल्कि आधुनिक व्यवसाय परिदृश्य में हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। हाल ही में कुछ नामी-गिरामी संस्थानों के छात्रों ने करोड़ों रुपयों के पैकेज सिर्फ इसलिए ठुकरा दिए, क्योंकि वे कुछ नया और स्वयं के लिए करना चाहते हैं या फिर अपने देश के लिए करना चाहते हैं।

मौजूदा मैनेजमेंट प्रोग्रामों का एक तरह से अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया है, जिसमें विद्यार्थियों का भी अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया है। यहां विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने के लिए विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय भागीदारी, इंटरनेशनल इंटरशिप, स्टुडेंट एक्सचेंज प्रोग्रामों के साथ ही अन्य कई मुद्दों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। भारत में मैनेजमेंट शिक्षा मुहैया कराने वाली एक अग्रणी यूनिवर्सिटी का कहना है, ज्यादातर भारतीय मैनेजमेंट संस्थानों को अपनी तरीकों और बरताव में अंतरराष्ट्रीय स्तर के बदलाव लाने होंगे। उन्हें अपने विद्यार्थियों को ग्लोबल मैनेजर्स के रूप में तैयार करना होगा साथ ही भारतीय बिजनेस स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके कोर्स में पर्याप्त रूप से स्थानीय मुद्दों का भी समावेश हो ताकि वे उन कोर्सेस से खुद को आसानी से जोड़ सकें। ऑब्जेक्टिव विद्यार्थियों की सोच को बढ़ाते हैं, थ्योरी पार्ट का भी अपना महत्व है, परंतु हमें प्रैक्टिकल को भी महत्व देना होगा।

नई सोच एवं नई दिशाएं : मंदी ने मैनेजमेंट शिक्षा में निवेश को बढ़ावा



दिया। आर्थिक मंदी ही बिजनेस स्कूल जॉइन करने का सही समय है, क्योंकि इन्हीं स्कूलों के जरिए हम विकट परिस्थितियों से निपटने की कुशलता पा सकते हैं। ग्रज्युएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल 2013 के अनुसार आवेदकों के रुझान में फुल टाइम एमबीए प्रोग्राम को वरीयता दी गई इसके साथ ही विश्व भर में प्राप्त आवेदनों की संख्या पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा है। ग्रज्युएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (जीमैट) संचालित करने वाली संस्था जीमैक के अनुसार अमेरिका में दो वर्षीय एमबीए प्रोग्रामों में वृद्धि दर्ज की गई, यहां वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2013 में 52 प्रतिशत प्रोग्रामों में वृद्धि दर्ज की गई, ऐसा 2009 से लेकर अब तक पहली बार हुआ। विश्व भर के लगभग सारे देशों में पार्ट टाइम प्रबंधन करने में काम-काजी लोगों की रुचि में तेजी से वृद्धि हो रही है।

एक अध्ययन के अनुसार 42 देशों के 683 प्रोग्रामों के लिए भारत से प्राप्त आवेदनों में भी 24 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। अमेरिका में पूर्णकालिक मैनेजमेंट प्रोग्रामों में 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एशिया पसिफिक में 53 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। सबसे ज्यादा फर्क यूरोप में देखने को मिला यहां 2012 की तुलना में प्राप्त आवेदनों में 73 प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली।

इस साल के सर्वेक्षण में 42 देशों के 328 बिजनेस स्कूलों के 683 ग्रेजुएट स्तर के प्रोग्रामों का समावेश किया गया। यूरोप में मास्टर इन मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को लगातार पसंद किया जा रहा है। 2012 से अब तक आवेदकों की संख्या में 73 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। इसी बीच यूरोप के एक साल के पूर्णकालिक एमबीए प्रोग्राम में पिछले साल के 37 प्रतिशत की तुलना में एक प्रतिशत ज्यादा अर्थात् 38 प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली है।

मैनेजमेंट तकनीकी : नई-नई तकनीकियों का इस्तेमाल भी मैनेजमेंट शिक्षा प्रणाली को गेम चेंजर बना रहा है। तकनीकी मैनेजमेंट शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बनती जा रही है। मैनेजमेंट की डिग्री और भी ज्यादा असरदार होगी अगर उस डिग्री में तकनीकी का समावेश किया गया है।

कैट (सीएटी) से हटकर : भारत में कैट संबद्ध संस्थान बिजनेस मैनेजमेंट शिक्षा परिदृश्य का दिशानिर्देश तय करते हैं और यह सच भी है कि आईआईएम्स और अन्य मुट्ठीभर जानेमाने मैनेजमेंट संस्थान हर साल होने वाली कैट परीक्षा में से विद्यार्थियों का चयन करते हैं। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 127 करोड़ की आबादी वाले देश में इन गिने चुने मैनेजमेंट संस्थानों की संख्या न के बराबर है, साथ ही वे बिजनेस विश्व की मांग के अनुसार पर्याप्त संख्या में मैनेजमेंट विशेषज्ञ एवं व्यावसायिक मुहैया कराने में भी सक्षम नहीं हैं। यदि विद्यार्थी इन कुछ संस्थानों का हिस्सा नहीं बन पाए तो चिंता की बात नहीं, क्योंकि और भी ऐसे कई निजी क्षेत्र के मैनेजमेंट संस्थान हैं, जिनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इन संस्थानों ने खुद की अपनी अलग पहचान बनाई है तथा कौशल युक्त मानव बल देने में दक्षता दिखाई है।

इसके लिए इन मैनेजमेंट संस्थानों की अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाओं, उच्च शिक्षित शिक्षकों, अच्छे पाठ्यक्रमों और बेहतरीन प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स को धन्यवाद देना होगा। पिछले कई सालों से यही मैनेजमेंट संस्थान भारी संख्या में कुशल प्रबंधकों के लिए मैनेजमेंट डिग्री हासिल करने के लिए एक अद्वितीय गंतव्य स्थान साबित हुए हैं। यदि आप काम के दौरान या ग्रेजुएशन के बाद एक मैनेजमेंट डिग्री पाने की इच्छा रखते हैं तो यह जरूर सुनिश्चित करें कि आप ने जिस संस्थान का चयन किया है उसमें उच्च शिक्षित शिक्षक हो, क्वालिटी क्लास रूम लर्निंग हो, इंटरनशिप के लिए अच्छी इंडस्ट्री से उनका गठजोड़ हो एवं अच्छे स्टुडेंट प्रोग्राम हों। इन संस्थानों की एल्युमनी से संपर्क बनाए रखें और इन संस्थानों से शिक्षा हासिल करने वालों के प्लेसमेंट रिकार्ड का भी पता लगाएं। संबंधित संस्थानों के बारे में कुछ निष्पक्ष समीक्षा भी पढ़ें। इन संस्थानों के बारे में विभिन्न सोशल नेटवर्किंग पर अपलोड जानकारीयां भी पढ़ें। केवल संस्थान के प्रॉस्पेक्ट के आधार पर किसी संस्थान का आंकलन न करें, बल्कि खुद जाकर सच्चाई का पता चलाएं तथा मार्केट में उसी छवि एवं मांग का भी आकलन अवश्य करें।

मानव संसाधन : एक संस्थान हेतु मानव संसाधन को यदि प्रबंधन का अभिन्न अंग माना जाए तो गलत नहीं होगा। मानव संसाधन का प्रमुख उद्देश्य संगठन के व्यक्तियों का विकास करना तथा ऐसा वातावरण बनाना और उसे आगे निरंतर बनाए रखना होता है जिससे कि कर्मचारी संस्थान को अपना सर्वोत्तम योगदान दे सकें। मानव संसाधन के अंतर्गत समय-समय पर अपने कर्मचारियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है ताकि मूल्यांकन के आधार पर अपेक्षित कौशल एवं प्रबंधन की क्षमता बढ़ाई जा सके। एक प्रशिक्षित प्रबंधक अपने आप में एक मानव संसाधन होता है।



यहां पर हमने प्रबंधन के एक सामान्य स्वरूप को बताने का प्रयास किया है और यह कि हमें प्रबंधन की शिक्षा कहां से और कैसे लेनी चाहिए। यूं तो प्रबंधन (मैनेजमेंट) एक विस्तृत क्षेत्र है जिसमें विविध विषयों पर प्रबंधन की शिक्षा दी जाती है। जैसे कि बैंकिंग प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, मानव संसाधन प्रबंधन, प्रौद्योगिकी प्रबंधन विपणन प्रबंधन, सामान्य प्रबंधन, वित्त प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, मुद्रा प्रबंधन, चिकित्सा प्रबंधन, भू-प्रबंधन, राजस्व प्रबंधन, जल प्रबंधन आदि-आदि अनेक विधाएं एवं प्रक्षेत्र हैं। यह बहुत ही विस्तृत एवं विशाल क्षेत्र है, जिसके बारे में कई लेख और पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। हमारा प्रयास होगा कि अगले अंकों में अलग विषयों पर सामान्य परिचय एवं जानकारी दी जाए। आज इन सभी क्षेत्रों में कुशल प्रबंधकों की मांग पूरी दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। आगे आने वाले समय में एशियाई देशों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और इससे भी ज्यादा यह बात भारत के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपने इसी कौशलपूर्ण मानव बल और मानव संसाधन के माध्यम से दुनिया भर में अपना डंका बजा सकने में सफल होगा। जल्द ही हमारा देश हर क्षेत्र में अगुवा होगा।





किसना



श्रीमती उमा सोमदेवे

किसना के बचपन की याद करते हुए उसे वह दिन भी याद है जब वह अपने दादा के पास बाड़ेनुमा बड़े मकान में रहता था। दादा-दादी हाई डिस्प्लिन व्यक्तित्व के धनी थे किंतु दादा जी अक्सर चिड़चिड़ापन

दिखाकर दूसरों को भला बुरा कहते जो कि सबको नागवार लगता। बड़ा परिवार था उनके 3 बेटे और बहुएं, दो बेटियां तथा आने जाने वाले और घर में अक्सर ठहरने वाले बने रहते। एक समय आया जब दादा के दो भाई भी रहने के लिए उनके साथ थे। बड़ा सा घर, खुद का कुआं यानि की करीब 1 एकड़ में रहने का ठाठ बाट मगर कमाई का जरीया चंद रुपयों का था। खेती भी ज्यादा न थी। किंतु सस्ते का समय था। सब भला चंगा था। किसना की दादी सब कुछ बड़े अच्छे ढंग से निभा लेती। सुना है कि किसना की दादी को चार पैसे देकर बिटियां की शादी का राशन तथा अन्य सामान लाने करीब के हाट भेजा गया तो उसने जाने से इसलिए मना किया क्योंकि इतना सारा सामान सिर पर उठाकर लाना असंभव था। उसे बैलगाड़ी चाहिए थी 4 पैसे का सामान ढोकर लाने के लिए। यह किस्सा दादी ने ही किसना को सुनाया था।

दादा का गांव बड़ा अच्छा था। हरा-भरा और सौजन्यपूर्वक रहने वाले लोग। दादा के घर टेलरिंग का धंधा था। उनके पास बैठने वाले निठल्लों की भरमार थी। खुद गप लगाते एवं रात होने पर घर जाते। कभी कभार वहीं सो जाते जो कि दादी को अच्छा न लगता। परंतु डाट फटकार का उन पर कोई असर न होता। दूसरे दिन इसी तरह महफिल जमती। दादाजी किस्से कहानियां या गप सुनने का नाटक करते केवल सिर हिलाते मगर अपना काम जारी रखते। पिता की भी यही स्थिति थी। किसना और उसके भाई, दादा तथा पिता के काम में हाथ बटाते। दादा के एक भाई राजा के शिल्पी थे। अत्यधिक ऊर्जा विसर्जन की वजह से किसना को नींद में सांस रोककर चलने की गंभीर बीमारी हो गई। डर के मारे उसने किसी को नहीं बताया। शादी पश्चात योगा-प्राणायाम करने तथा रात में उठकर एक-दो बार पानी पीने से वह बीमारी जाती रही।

रसोईघर के पास भंडारगृह था उसमें बोरों में राशन भरा रहता। चावल, दालें, गेहूं और अन्य खाने की जिन्सो से भरा वह भंडारगृह किसना की दादी का अन्नापूर्णा गृह था। भंडारण गृह के दरवाजे की कुंडी हमेशा बंद रहती। घरों में ताला लगाने की जरूरत न थी। रसोई से ही लगकर गाय का कोठा था। खाना पकाते वक्त भी गाय बछड़ों पर नजर रखी जाती। कोठे के बाजू से बड़ा सा तुलसी वृंदावन था, उसमें ज्योति हमेशा जलती रहती। घर के आंगन में छोटा सा कुआं था जिसमें पानी भरा रहता और आवश्यकतानुसार ही पानी निकाला जाता। बाद में दादा की समाधि भी

वहीं बनाई गई। घर के पीछे करीब आधा एकड़ जमीन पर शाक-सब्जियां उगाई जातीं। घर में एक अटारी थी तथा मुख्य गृह में एक झूला हमेशा टंगा रहता जिस पर दादी और दूसरे आंगतुक झुलते रहते। बड़ी-बड़ी आराम कुर्सियां बारामदे में पड़ी रहती जिस पर बड़े बुजुर्ग आकर बैठते और अक्सर सो जाते। ऊपर एक अटारी थी जो फालतू चीजों के रखने के काम आती। दादा जी का कद ऊंचा, लंबा और रूपवान था। सफेद कुर्ता-पायजामा और सीधी सफेद टोपी। बहुत ही अच्छे डीलडौल में दादा जी आकर्षक लगते। लोग उन्हें दूर से पहचान जाते।

दादा जी की बहु-बेटों में आपस में कभी वाद-विवाद हुआ हो ऐसा वक्त नहीं आया। सभी मिलजुल कर रहते। दादी की कुछ बचपन की सहलियां थी। साथ-साथ रहती और साथ-साथ हंसती-बोलती। दादी हमेशा खुब सारे सोने के गहने पहने रहती। दादी का स्वभाव कड़क था। वह अपने नाती-पोतों के साथ कड़ाई से पेश आती। शायद ही किसी से उसने प्यार से बात की हो। किसना के बहुत सारे भाई-बहन थे जो कि बारी-बारी से दादा-दादी के पास रहते। लेकिन दादा-दादी ने खुद किसी नाती-पोती को रुकने के लिए कहा ऐसा कभी न होता। दलित आदिवासी क्षेत्र में अधिकतर लोग अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाएं रखते हैं। कभी किसी के आगे न झुकते। भूखे पेट सोएंगे मगर किसी से कुछ न मांगेंगे। भूखे रहकर भी अकड़ कायम। दादाजी का मकान गांव का सबसे आखरी मकान था इसलिए चोरों का डर सताता। पीछे गांव का श्मशान था। किसना को बड़ा डर लगता। वह मकान के पीछे बनी बाड़ी में न जाता। किसना के पिता जी ने अपने माता-पिता को श्रवण की तरह डोलियों में बैठाकर 400 किलोमीटर दूर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पैदल ले गये। साथ में करीब 100 लोग थे। यह देश की अद्भूत घटनाओं में से एक थी। गांव वाले इसके गवाह हैं। पूरी यात्रा 4 माह में पूरी हुई।

किसना के दादा का परिवार समीपस्थ गांव में काम धंधे की वजह से पलायन कर गया था। उस क्षेत्र में अक्सर ऐसा होता रहता है। काम धंधे की वजह से इधर-उधर जाना और बस जाना आम बात है। कभी-कभी लोग अपने मूल गांव लौट भी जाते हैं और कुछ नहीं भी। उस वक्त गांव में बिजली नहीं थी। लैम्प पोस्ट पर दीये जगमगाते लेकिन यह व्यवस्था गांव के एक बड़े हिस्से में नहीं थी जहां पटेल (फुकटखोर) का राज था। उसको सिवाय अपनी खेती बाड़ी देखने और दबदबा जमाए रखने के अलावा जनकल्याण से कोई सरोकार न था। 'पोला' नामक त्योहार गांवों में बड़े उत्साह से मनाया जाता जहां गांव के सभी बैल जोड़ियों की रेस होती। इस रेस में पटेल की बैलजोड़ी हमेशा अब्बल आती या लाई जाती। दूसरी बैल जोड़ियों को लात मार कर और उन्हें हाकने वालों को उंडे मारकर रेस से हटाया जाता। बहुत हुआ तो उनके दूसरे या तीसरे नंबर पर आती। मगर कभी भी पहला नंबर न आता। किसना के घर जमीन, बैलजोड़ी थी जो बाद में धन के अभाव में बेच दी गई। सबको बड़ा दुःख हुआ। बैलगाड़ी, छकडा, खाचर सभी था। सब मिट गया। मकान भी टूट गया। बहुत कुछ समाप्त हो गया। यादें रह गईं।

किसना के साथ पढ़ने वाले साथी वही गांव के गरीबों के बच्चे थे जो हम उम्र थे। उनके परिवार की भी वही दशा थी। किसना के परिवार में सिलोई का बिजनेस था अतः सभी छोटे बड़े बच्चे-खुचे कपड़ों के टुकड़ों से मिलकर बनाये हुए कपड़े पहनते। तब गांवों में रेडिमेड कपड़ों का जमाना न था। अक्सर सफेद कपड़े पहने जाते। दादा और पिताजी का तर्क था कि सफेद कपड़ों के टुकड़े धुलकर एक हो जायेंगे मगर ऐसा न होता। कुर्ता या शर्ट धोते ही सभी टुकड़े अपना-अपना अलग रंग दिखाते और उनके स्वामी अपने-अपने कपड़े पहचान लेते और किसना तथा उसके भाईयों को खूब मारते, उनके चोरी किए हुए बच्चे टुकड़ों के कपड़े पहनता है, ऐसा कहते और चिढ़ाते। किसना के पिता शंडो के शंप में थे। डेढ़ मीटर की चड़ड़ी पहनते। बलशाली पहलवान थे। किसी को मारने की बजाय उठाकर दूर फेंक देते। बड़े-बड़े पेड़ अकेले काटते। लोग उनसे घबराते। नशा करने का कम, कसाने का शौक था। एक बार पुलिस ले गई। फाइन हुआ तब से चुप-चुप रहने लगे। करनी का फल मिला। बाद में किसना के पिता गांव का सारा गोबर अपनी खेती के लिए खाद बनाने हेतु इकट्ठा करते। यह जगहसाई का बड़ा कारण था। इसलिए किसना के भाई हमेशा नीचा सिर करके चलते। किसना उस अभियान में कभी शामिल न हुआ।

आदिवासी क्षेत्र में पटेलों का दबदबा यहां तक था कि लोग अपने बच्चों के अच्छे नाम न रखते। उल्टे और टेढ़े-मेढ़े नाम रखना होता। बाद में बच्चे उन्हें आकर गंदा सा नाम लेकर चिढ़ाते। स्कूल में सबसे पीछे बैठाया जाता। अध्यापक उन्हें हाथ से नहीं लात से मारते। स्कूल में अलग से पानी पीने की व्यवस्था थी। होशियार दलित विद्यार्थियों से शिक्षकों को



विशेष चिढ़ थी। प्रसाद हाथ में नहीं नीचे जमीन पर रखकर दिया जाता। दलितों के बच्चों को पीटने का सबको लाइसेंस मिला हुआ था। कुछ परिवारों में बच्चों की मृत्यु दर ज्यादा रहती इसलिए बच्चे हुए बच्चों के नाम बिगाड़कर गंदा नाम रखने का प्रचलन था। अच्छे और नए कपड़े पहनकर गांव में घूमना मना था। गरीब लोग और दलितों के जीवन में कोई फर्क न था। मगर दलित लोग छुआछूत के ज्यादा शिकार थे। गरीबी का तो इलाज था मगर छुआछूत का कोई इलाज न था। आदिवासी भी दलितों से

छूत मानते। दलितों को उनके जाति के नाम से पुकारते। स्कूलों में छात्रवृत्ति ऐसी ही वितरित होती। सरकारी सार्वजनिक कुएं से यदि आदिवासी और अन्य उच्च जाति के लोग पानी भर रहे हैं तो दलितों को घंटों इंतजार करना पड़ता। उनके जाने के बाद दलित पानी भर पाते। शिकायत और झगड़े का कोई असर न होता। पुलिस कार्रवाई न करती। डांट कर भगा देती। पूरे भारतवर्ष में यही हाल था। यह सच्चा शर्मनाक इतिहास है हमारा। यह अपमानजनक स्थिति सभी दलितों की थी। मगर कुछ दलित आदिवासी पटेल देशमुखों, ठाकुरों के नौकर-चाकर थे। उनका अपमान कौन करता? ये दलित अन्य दलितों को अपने से छोटा समझते। दलितों के समाज में भी वर्ग उपवर्ग की संरचना थी शायद इसी वजह से हुई होगी। किसना के जाति में कई उपजातियां थी। तब इन उपजातियों में भी शादियां न होती। साथ-साथ खाना न खाया जाता। आज समय बदल गया है। अब सब चलता है। अब कोई फर्क नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। किसना के पिता ने महादानी बन एक बार घर का सारा सामान राह चलते साधू-संतों को दान कर दिया। गांव वाले अवाक रह गये। अति प्रसन्नता की अवस्था में पिताजी पूरा किस्सा सुनाते और अपने सभी पुत्रों तथा पुत्रियों को पत्नी सहित पैरों पे खड़ा करते और नचाते। न नाचने पर लात मारते। वस्त्रहीन दौड़ाते। कब क्या कर बैठेंगे पूर्वानुमान लगाना कठिन था। शायद उनके दिमाग में हमेशा दुष्ट विचार आते-जाते रहते थे। उनका अंत बुरा हुआ इसका किसना को दुख है। और किन लोगों को दुख हुआ पता न चल सका। किसना अपने पिता के अंतिम संस्कार में जानबुझकर उपस्थित न हो सका, क्योंकि मर्मांतक वेदना से आहत तन और मन को समझाने और सहलाने का वही सही वक्त था। कर भला सो हो भला। रामनाम सत्य है और सब की यही गत है। यहीं कर और यहीं भर।

किसना के इलाके में कई पालक ऐसे भी थे जो अपने बच्चों को नाहक ही दंडित करते वक्त इस बात का भी ध्यान न रखते कि वे अपने बच्चों के तन, मन और आत्मा को सदा-सदा के लिए अपवित्र कर रहे हैं। वे बीमारी की स्थिति में तांत्रिकों/ओझाओं के मार्गदर्शन में बच्चों के शरीर पर तांत्रिक क्रिया तथा घातक औषधियों का प्रयोग करवाते। किसना के पिता इसी श्रेणी के पालक थे। शिक्षित होकर भी पूरे गवार। तांत्रिक क्रिया में दवा की जगह दारू और टोटके के रूप में विष्टा स्पर्श शामिल होता। सब कुछ अवैज्ञानिक, गैर कानूनी और गंवारू। किसना इसे भुगत चुका था। ऐसे पालक अंत में आत्मग्लानी युक्त मानसिक रोग से ग्रस्त होकर मरते। किसना अपने अन्य करीबी रिश्तेदारों के अंतिम संस्कार में भी उपस्थित न हुआ क्योंकि वे सभी योग्य पात्र नहीं थे। उनके विचार और आचरण ठीक नहीं थे। प्रश्न यह है कि परिवार में किसी प्रकार की कोई सम्पत्ति या मालमता नहीं फिर भी इतना मन मुटाव और कलह क्यों? पिता की मार खाने के बाद किसना की मां व्यस्त राजमार्ग पर आत्महत्या करने जाती। घर के लोग उसे वहां से हटाकर घर ले आते। हर साल छह माह में ऐसा होता रहता। जिन माताओं को कोई बचाने न जाता वे सड़क पर कुचल जाती। पता भी न चलता। सट्टा, जुआ शराबखोरी के माहौल में जीवन के मूल्य का कोई मतलब नहीं। जिंदा मुर्दा सब बराबर। क्षेत्र की सुध लेने हेतु कभी किसी स्थानीय सांसद, विधायक या पार्षद को फुर्सत न मिली। पंच

संरंपंच तो गांव के ही लोग थे। कम पढ़े, ब्यसनी और तिकडमबाज। किसना का जन्म क्षेत्र उपेक्षित था, है और शायद आगे भी रहेगा।

किसना की मां सब्जी-भाजी बेचती और घर का खर्च चलाती। मां अक्सर खेत पर काम न करती। बच्चों पर मां ही थोड़ा ध्यान देती। पिता से सभी 10 गज की दूरी बनाएं रखते। किसना के दादा की खेती घने जंगल के पार थी। घर से कोई 3 किलो मीटर। दादी फसल के दिनों में खेत में रहती। खाना पहुंचाने किसना या उसके किसी भाई को जाना पड़ता। शेर, चीते के डर से सारा रास्ता पैदल मगर दौड़कर पार करना होता। बबूल और चिलाटी के बड़े-बड़े कांटे पैर में घुस जाते। बड़ा दर्द होता। रास्ता रोते-रोते पार होता। किसी के खेत खलियान के पास थोड़ा देर विश्राम करते पाये जाने पर खेती का मालिक चोर समझकर मारने दौड़ता। 3 किलो मीटर रास्ते में कई-कई कठिनाइयां थी। किसना कभी-कभी रास्ता भूल भी जाता और तब दादी खाने का रास्ता ही देखते रहती। इस समस्या का बड़ा सरल हल निकाला दादाजी ने। करीब आधे एकड़ में धनिया बो दी। हवा चलने पर उसकी सुंगंध से दिशा का ज्ञान होता। किसना और उसके भाई बस उसी दिशा की तरफ दौड़ते-दौड़ते खेत पहुंचते और दादी को खाना दे आते। कभी-कभी ठण्ड के दिनों में किसना पुआल की झोपड़ी में सो जाता। पुआल खूब गरम होता है। ठंड न लगती। कभी मचान पर चढ़ पत्थरों से जंगली जानवरों को भगाता तो कभी आग जलाकर अपने को सुरक्षित करता। कोई बचाने वाला नहीं। अपनी सुरक्षा खुद करनी होती। जी गया तो जी गया, मर गया तो किसको क्या? किसना की माता पैसे वाले की लड़की थी। वह किसी की ज्यादा परवाह न करती। मुंह पर खरी-खरी सुनाती और सबको चुप करा देती। परंतु सुबह उठकर धान कूटती, आटा पीसती और सबको खाना देती। निठल्लों को काम करने की सलाह देती। दबदबे से रहती। लेकिन कभी-कभी पति की मार खाती, क्योंकि पति आदत से मजबूर था। वह मुनष्य था इंसान न बन सका। सब खटकरम किए परंतु हाथ कुछ न आया। हजारों सुकर्म किए मगर पाप न धुल सका।

उस गांव में किसी को नमस्कार करना भी गुनाह था क्योंकि अक्सर कोई किसी से विनम्रतापूर्वक अभिवादन न करता। कई ऐसे तो जिनसे कभी भी किसी ने नमस्कार नहीं कहा। लेकिन यदि अचानक किसना जैसे बच्चे ने यदि उससे नमस्कार लिया तो यह चिढ़ाने की श्रेणी में आता और वह आदमी किसना के माता-पिता से शिकायत करता। नमस्कार न लेने की ताकिद मिलती। किसना के गांव में एक ऐसा भी व्यक्ति था जिसे लोग "राष्ट्रपति" कहके चिढ़ाते। वास्तव में उसका नाम ही राष्ट्रपति था। लोगों को अनेक बातों से चिढ़ थी जैसे पूरा गांव किसी न किसी चिढ़ से ग्रस्त था। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ व्याधि थी। आधे से ज्यादा लोगों को खुजली की बीमारी थी। कई लोग जगजाहिर पागल घोषित किए जा चुके थे। कई स्त्रियां बिलकुल राक्षसी नजर आती। इसका सबसे बड़ा कारण साफ-सफाई न रखना, रोज न नहाना तथा बालों में रोज कंघी न करना आदि। मुखमंजन या दातुन से दांत रोज साफ न करने की वजह से कई स्त्री पुरुषों के मुंह से दुर्गंध आती। अनेक लोग लंबी बीमारी काटते। कुछ तो शीघ्र मर भी जाते। गांव में निठल्लों की कोई कमी न थी। जगह-जगह

पिच-पिच कर थूकना बड़ा गंदा लगता था। किसना के कुछ मित्र जो स्नातक परिक्षा पास थे वे अधिकतर लाचारी और मजदूर का जीवन बीताकर दुनिया से शीघ्र कूच कर गए क्योंकि उम्र रहते उन्हें बाबूगीरी करना पसंद नहीं था। सरकारी अफसर बनने के चक्कर में थे। उम्र निकल गई और हाथ मलकर रह गए। अपने बीबी बच्चों को बेसहारा कर गए। वे सब किसना पर हंसते। उन्होंने कभी किसना से मदद न मांगी। किसना का साला एक बार किसना के शहर मेहमान नवाजी करने आया। उस वक्त पूरा परिवार मेला देखने जा रहा था। वह भी साथ हो लिया। अंत में आधे घंटे में ही उनका पर्स और मोबाइल गुम हो गया। आधे घंटे पश्चात वह स्वयं गुम हो गया। पूरे एक दिन पश्चात रेलवे स्टेशन पर भूखा खड़ा पाया गया। तब से उसने कसम खाई की वह बिना किसी संगी-साथी के सहारे मेला देखने नहीं जाएगा। अपने आप को खूब चतुर समझता था। अच्छा सबक मिला।

औद्योगिक क्षेत्र में अनेक जाति, धर्म और प्रदेश के लोग निवास करते हैं। एक अध्ययन बताता है कि वहां गरीब मजदूरों की हालत अच्छी नहीं होती। सुरक्षा के अभाव में तथा घर के सदस्य लापरवाह और ब्यसनी होने की वजह से 15-16 साल की लड़कियां अपने जीवन साथी की तलाश में जुट जाती हैं। यह स्थिति उनके लिए और भी ज्यादा विकट होती है जिनके सिर पर पिता का साया नहीं होता। कुछ लड़कियां जंग जीत जाती हैं मगर अधिकतर हर तरीके से एडजस्टमेंट करने को तैयार रहने के बावजूद ठगी जाती हैं। किसना इस मामले में ठग नहीं था। वनवासी क्षेत्र में भगोरिया, तो कहीं भुजलिया त्योहार भी होता है जब लड़कियां अपने जीवन साथी की तलाश कर उसके साथ गृहस्थ हो जाती हैं। समाज बाद में निपटारा कर देता है। लेकिन दोनों पक्ष राजी नहीं हुए तो जन्म-जन्म का बैर हुआ समझो। विजातीय जोड़े पहले नहीं होते थे मगर अब चलन बढ़ गया है। प्यार, मुहब्बत में जात-पात का क्या काम? परंतु यह सब झगड़े की एक जड़ है। ग्रामीण समाज परंपरा से बंधा होता है।

कई लोग नशे के चक्कर में अपनी खेती बेच कर दिवालिया हो गए थे। इसमें अनेक लोग दलालों के षड़यंत्र के चक्कर में अपनी जमीन गंवा बैठे। होता यूं था कि खेत में सिंचाई करने के लिए किलोस्कर का डीजल इंजन को ऑपरेटिव बैंक द्वारा कर्ज के रूप में दलालों के मार्फत दिया जाता। डीजल खरीद के लिए पैसे न होने की वजह से किसान किश्ते न चुकाता। बैंक उसका खेत नीलाम कर अपने पैसे वसूलती। इसमें एक बड़ा षड़यंत्र गैंग सक्रिय था। होना यह चाहिए था कि बैंक सिर्फ एक या दो एकड़ जमीन नीलाम कर अपना कर्ज वसूलती। मगर ऐसा न होता। थोड़े से कर्ज के लिए पूरी खेती नीलाम होती और किसान भूमिहीन हो जाता। सरकार मुकदर्शक बनी देखती क्योंकि बैंकों का धन सरकारी धन था। वसूलना जरूरी था। उन दिनों किसानों को आम कर्ज माफी जैसी कोई बात न थी। कई किसान मुफ्त में मारे गए। आज भी वही हाल है डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक पंप ने ली है किंतु खेतों में बिजली नदारत। कोई फायदा नहीं। घर में भी बिजली दो-चार घंटे। किसना के घर बिजली न थी। एक लालटेन में सब पढ़ते। लालटेन की भी अलग कहानी है। कई बार लालटेन की वजह से भी पिटाई हुई। चीन युद्ध पश्चात गांवों

में राशन न मिलता। मीलो नामक लाल ज्वार और पशु खाद्य लाल गेहूँ पेट में जलन उत्पन्न करते। बेंसन के साथ डबल रोटी खाई जाती। लाल मीलो खाकर देश की जनसंख्या बढ़ गई यह एक इतिहास है। सबको मालूम है। सब जानते हैं।

यह निर्विवाद सत्य है कि आजकल बच्चों को उनके माँ-बाप बोझ लगने लगते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि एक दिन उन्हें भी बूढ़ा होना है। किसना के पिता किसना की मर्मांतक पिटाई करते। उल्टा टांगना, उल्टा टांगकर गुड़ के पानी में भिगोना ताकि भविष्यां काट सके, शरीर के नाजुक हिस्सों को लात से दबाना, फटे जूते से पीटना आदि नित्य कर्म थे। यह सब करने के लिए किसी वजह की जरूरत न होती। किसना ने अपने बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं किया फिर भी किसना के बच्चे उसका सम्मान नहीं करते उल्टे जाने अनजाने में हुई पूर्व घटनाओं का ताना देकर ताने कसते हैं। किसना अपने पिता के लिए अभिशाप था ऐसा माना गया था। किसना को अब लगने लगा है कि वह अपने बच्चों के लिए अभिशाप बन चुका है। अनावश्यक बातों पर चर्चा कर अपनी खीज निकालकर दूसरों को नीचा दिखाना, समय और स्थान का ध्यान न रख माता-पिता का जबरदस्त अपमान करना, पिता के सरकारी मकान को नर्क कहना, कूड़ेदान कहना बच्चों का नित्य शगल बन चुका है। सारे काम एक तरफ और माता-पिता का अपमान एक तरफ। किसना अपने बच्चों पर आश्रित नहीं है न होना चाहता है। किसना जंगल में जाकर पेड़ के नीचे अपनी धूनी रमा लेगा लेकिन किसी बच्चे के शरण नहीं जाएगा। किसना भविष्य में अपने बच्चों से आगे संबंध नहीं रखना चाहता। उसकी इच्छा है कि बच्चे उसकी मौत मिट्टी में शामिल न हो। दूर नहीं बहुत लंबी दूरी बनाना चाहता है किसना अपने बच्चों के साथ। किसना ने यह फैसला मामला हद से ज्यादा बिगड़ जाने पर लिया है। हाईब्रिड फसलों से अंकुरित बीज की आशा नहीं की जाती। कलह रूपी उर्वरक रसायन से उपजाऊ खेती की उम्मीद करन व्यर्थ है।

किसना चाहता है अपनी जो भी संपत्ति है उसका ट्रस्ट बनाएं और संरक्षित कर ले क्योंकि किसना के किसी भी बच्चे को उसके प्रापर्टी की आवश्यकता नहीं है। किसना की आवश्यकता उसके प्रिय पालतू पशुओं को है। जैकी न रही। लापरवाही से उसकी असमय हुई मौत के लिए किसना अपने को जिम्मेदार मानता है और उससे तथा परमात्मा से क्षमा मांगता है। जैकी उसके तीसरी बेटी का नाम था। वह चार टांगों वाली मूक श्वान थी। समझदारी ऐसी कि बुद्धिमान पीछे रह जाएं। अब किसना के पास खूबसूरत रूबी है। मान सम्मान ऐसा कि मेहमान शरमा जाए। प्यार दुलार ऐसा कि खुद के बच्चे ईर्ष्या करने लगे। किसना को जीवन में कभी लॉटरी, लक्की ड्रा, इनाम, पुरस्कार नहीं मिला। उसने कोशिश बहुत की मगर सफल न हुआ। कभी बहुत जरूरत थी किसी चीज की और कोई विकल्प भी नहीं बचा था तब भी वह चीज न मिल सकी। वैसे जहां कलह हो वहां बरकत नहीं होती। हजारों परेशानी की दवा 'मौन' है। गृह कलह के वजह से ही किसना के गांव के पास के गांव का चंद्रभान 20 वर्ष के लिए मौन हो गया था। उसने शायद कोई जंग जीत ली थी मौन रहकर। परिवार को सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका बस मौन हो जाओ।

पर ये मौन दीर्घकालिक होना चाहिए। सोशल वेबसाइटों पर परिवार के सदस्यों से चेटिंग करते वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कब कलम फिसली और अगले ने संपर्क खत्म करने में देर न की। संबंध कड़वे होने में एक सेकंड का समय काफी है। किसना ने नौकरी में भी कभी आयकर बचत करने वाले फंडे नहीं अपनाए। कभी बचत प्रमाणपत्र, एफडी, शेयर, बॉन्ड, जीवन बीमा पॉलिसी न खरीदी। सरकार को पूरा टैक्स दिया। नौकरी जगत में किसना जैसे लोग कम ही होंगे या नहीं होंगे।

जीवन में किसना को कई-कई साथी मिले। कई ऐसे पिछड़े की फिर मुलाकात न हो सकी। क्षणभर के लिए कुछ फिर दुबारा कई-कई वर्षों बाद मिले। किसना के ख्याल से उसे एक सबसे अच्छा अवसर मिला ऑफिस आने जाने के बस में। एक लड़की 'अंजु' उसे खुब याद है। पढ़ी-लिखी सुंदर-युवा। साथ-साथ आती और साथ-साथ जाती। किसी सरकारी महकमे में नौकरी करती थी। शादीशुदा थी। ओशो भक्त थी और ओशो साहित्य हमेशा पढ़ते रहती। कमाल की बुद्धिजीवी। किसना की बातों में ऐसी उलझी कि फिर पूर्णतः ओशो मय हो गई। किसना उससे अध्यात्म की ढेरो बातें करता। रोज कई-कई विषय पर बातें होती। समय कब कट जाता पता न चलता। फिर अचानक एक दिन वह मालूम नहीं क्यों रूफ्त हो गई। फिर साथ न रहा। आज भी किसना को ऐसा लगता है कि अंजु मिले तो उससे अब तक की न कहीं गई बातों पर चर्चा करें। हजारो बातें ऐसी हैं जिस पर चर्चा करना बाकी रह गया है। 'अंजु' यानी हिंदी वर्णमाला के पहले अक्षर से प्रारंभ पहला नाम। विद्वतता का सूचक। 'अंजु' वास्तव में गुरु कहलाने लायक थी। ऐसे गुरु किस्मत से ही मिलते हैं। गुरु को प्रणाम। अध्यात्म की दिशा में पत्नी के बाद अंजु किसना की दूसरी गुरु थी।

आज का समय ऐसा है कि कोई भी आदमी अपने अतीत को याद नहीं करना चाहता। वह यह भूल जाता है कि उसके पालकों के प्रारंभिक दिन कैसे थे। आज का समय कमाओ कम उडाओ ज्यादा का है। आय अधिक होते ही लोग घमंडी हो जाते हैं। दिनचर्या पर नियंत्रण नहीं रहता। व्याधि ग्रस्त हो जाना मामूली बात है। नाखून चबाना आम है। क्या हुआ? क्या हुआ? बार-बार बोलना और हमेशा खोए-खोए रहना जरूरी है। जबान और मुंह पर तो नियंत्रण का सवाल ही नहीं। बेटियां, बेटा और बहू सब एक समान। आधुनिकता की दुहाई देकर बहू सास-ससुर का कुछ भी सुनने या मानने को राजी नहीं। बेटा मूक दर्शक। गढ़े मुर्दे खोदने में तत्पर। घर में नौकर चाकर होकर भी स्वयं गृहकार्य, सफाई, धुलाई करने में अब्बल। हर चीज से एलर्जी, हर चीज कूड़ेदान में फेंकने को तैयार। 100 की जगह 200 रुपये खर्चने को भी तैयार। बाप बनते ही बावलापण सवार। लगता है आजकल नौजवानों को बुजुर्गों की और उनके अनुभव की आवश्यकता नहीं। सभी इसी दौर से गुजर रहे हैं। यह दौर कहां समाप्त होगा परमात्मा को मालूम।

(यह काल्पनिक लेख है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है)





निगमित सामाजिक दायित्व



विनित सिंघल,
सहायक महाप्रबंधक

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) जिसको कॉर्पोरेट विवेक या कॉर्पोरेट नागरिकता भी कहा जा सकता है, आमतौर पर कंपनी के आर्थिक, पर्यावरण और

सामाजिक अनिवार्यता के संतुलन को प्राप्त करने का एक माध्यम समझा जाता है। पर्यावरण प्रबंधन, पर्यावरण दक्षता, श्रम मानक और काम की परिस्थितियाँ, कर्मचारी और समुदाय सम्बन्ध, सामाजिक समानता, लिंग संतुलन, मानव अधिकार, सुशासन, और भ्रष्टाचार विरोधी उपाए कुछ मुख्य सीएसआर मुद्दे माने जाते हैं।

एक ठीक प्रकार से लागू किया गयी सीएसआर अवधारणा उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार, कुशल मानव संसाधन, बेहतर ब्रांड छवि और प्रतिष्ठा, बेहतर ग्राहक वफादारी और ज्यादा बिक्री और मुनाफा जैसे कई प्रकार के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ उपलब्ध करा सकती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) का जनादेश औपचारिक रूप से भारतीय कंपनियों में शुरू किया गया है। भारतीय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने सरकार द्वारा उठाये गए इस कदम के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सीएसआर की प्रथा भारत में कंपनियों के लिए नई नहीं है। लेकिन इस अधिनियम का मकसद अधिक कंपनियों को सीएसआर के दायरे में लाना एवं कुल सीएसआर के खर्च में वृद्धि करना है।

नए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के माध्यम से अधिनियम में ही निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए प्रावधान शामिल किया गया है। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व के नियम भी बनाए गए हैं और अधिसूचित किए गए हैं।

सीएसआर गतिविधियों के तहत व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान पांच सौ करोड़ रुपये या अधिक का निवल मूल्य वाली हर कंपनी या एक हजार करोड़ रुपये या अधिक का कारोबार करने वाली हर कंपनी या पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध मुनाफा करने वाली हर कंपनी, अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अनुसरण में, तीन तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत हर वित्तीय वर्ष में खर्च करेगा। इस उद्देश्य के लिए औसत शुद्ध मुनाफा की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार गणना की जाएगी।

निगमित सामाजिक दायित्व समिति

ऐसी कंपनियों के बोर्ड तीन या अधिक निर्देशकों की एक निगमित

सामाजिक दायित्व समिति का गठन करेंगे जिनमें से कम से कम एक निर्देशक स्वतंत्र निर्देशक होंगे। इस प्रकार की गठित बोर्ड समिति सीएसआर के तहत कंपनी द्वारा की जा सकने वाली गतिविधियों का संकेत देते हुए एक निगमित सामाजिक दायित्व नीति तैयार करेगी एवम बोर्ड को इस नीति की सिफारिश करेगी।

इस तरह की गतिविधियों की एक सूची अनुसूची सातवीं में निर्दिष्ट की गयी है। बोर्ड की कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति सीएसआर के तहत गतिविधियों पर खर्च किए जाने के लिए व्यय की राशि की भी सिफारिश करेगी और समय-समय पर कंपनी के सीएसआर नीति की निगरानी करेगी।

बोर्ड की जिम्मेदारी

सीएसआर समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार के बाद उक्त विनिर्दिष्ट कंपनियों के बोर्ड निगमित सामाजिक दायित्व नीति का अनुमोदन करेंगे और अपनी रिपोर्ट में भी ऐसी नीति का खुलासा करेंगे। यदि कंपनी की वेबसाइट है, तो वहाँ भी निगमित सामाजिक दायित्व नीति का प्रदर्शन करेंगे।

बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी की निगमित सामाजिक दायित्व नीति में शामिल की गयी गतिविधियां कंपनी द्वारा की जाती हैं।

उप-धारा (3) की धारा 134 के तहत बोर्ड की रिपोर्ट निगमित सामाजिक दायित्व समिति की संरचना का खुलासा करेगी। इसके अलावा, यदि कंपनी सीएसआर गतिविधियों के प्रति जो कंपनी द्वारा खर्च किए जाने की आवश्यकता थी, इस तरह की राशि खर्च करने में विफल रहती है, तो बोर्ड धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ओ) के तहत बनाई गई अपनी रिपोर्ट में राशि खर्च नहीं करने के लिए कारण निर्दिष्ट करेगा।



अनुसूची सातवीं के तहत निर्दिष्ट सीएसआर गतिविधियां

ब्रॉड क्रियाएँ जो कि कंपनी निगमित सामाजिक दायित्व गतिविधियों के लिए कर सकती है, उसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. भूख उन्मूलन, गरीबी और कुपोषण, निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित स्वच्छ भारत कोष के लिए योगदान सहित साफ-सफाई, और पेयजल उपलब्ध कराना।



2. विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना और रोजगार बढ़ाने के व्यवसाय कौशल को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्ग, और अलग ढंग से सक्षम के बीच और आजीविका वृद्धि।
3. लिंग समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं का सशक्तीकरण, महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए घरों और हॉस्टल की स्थापनाय वृद्धाश्रम की स्थापना, दिन देखभाल केन्द्र और इस तरह के अन्य सुविधाएं वरिष्ठ नागरिकों के लिए और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों को पेश आ रही असमानताओं को कम करने के लिए उपाय।
4. पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, पारिस्थितिकी संतुलन, वनस्पतियों और जीव के संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, हवा और गंगा नदी के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित स्वच्छ गंगा कोष में योगदान सहित पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना।
5. भवन और ऐतिहासिक महत्व और कला के कार्यों की साइटों की बहाली सहित राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापनाय पदोन्नति और पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का विकास।
6. सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय।
7. ग्रामीण खेल, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालिम्पिक्स खेल और ओलिंपिक खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण।
8. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के राहत और कल्याण एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य निधि में अंशदान।
9. केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर जो शैक्षणिक संस्थानों के भीतर स्थित हैं को उपलब्ध कराई गई निधियां या अंशदान।
10. ग्रामीण विकास परियोजनायें।
11. स्लम क्षेत्र विकास

कंपनियों (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के प्रावधान

कंपनियों (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व गतिविधियां परियोजना / कार्यक्रम मोड में की जाएंगी। एक बंद घटनाएं जैसे कि मैराथन / पुरस्कार / धर्मार्थ योगदान / विज्ञापन / टीवी कार्यक्रमों के प्रायोजक आदि सीएसआर खर्च के हिस्से के रूप में योग्य नहीं होगा।

नियमित सीएसआर स्टाफ को और कंपनियों के स्वयंसेवकों को कंपनियों द्वारा वेतन का भुगतान (सीएसआर पर विशेष रूप से खर्च कंपनी के समय / घंटे के अनुपात में) सीएसआर खर्च के हिस्से के रूप में सीएसआर परियोजना लागत में शामिल हो सकता है। नियमों के किसी भी

अधिनियम / संविधि की पूर्ति के लिए किए गए व्यय (जैसे श्रम कानून, भूमि अधिग्रहण अधिनियम आदि) की निगमित सामाजिक दायित्व व्यय के रूप में गिनती नहीं होगी।

ट्रस्ट / सोसायटी / धारा 8 कंपनियों आदि के कोष में योगदान सीएसआर खर्च के रूप में तब तक अर्हता प्राप्त करेंगे जब तक: (क) ट्रस्ट / सोसायटी / धारा 8 कंपनी आदि विशेष रूप से सीएसआर गतिविधियों के लिए बनाई गई है या (ख) जहां कोष पूर्वोक्त दस गतिविधियों के तहत किसी विषय के उद्देश्य के सम्बद्ध के लिए विशेष रूप से बनाई गई है।

बोर्ड किसी पंजीकृत ट्रस्ट या किसी पंजीकृत सोसायटी या कंपनी द्वारा स्थापित या अपनी होल्डिंग या सहायक या सहयोगी कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 8 के तहत या अन्यथा स्थापित एक कंपनी के माध्यम से सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने का फैसला कर सकता है:

बशर्ते कि -

- क. अगर ऐसा ट्रस्ट, सोसाइटी या कंपनी, कंपनी या उसकी होल्डिंग या सहायक या सहयोगी कंपनी द्वारा स्थापित नहीं है, तब ऐसे ट्रस्ट, सोसाइटी या कंपनी के पास इस तरह के कार्यक्रमों या परियोजनाओं को शुरू करने का तीन साल का स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड होगा
- ख. कंपनी ने इन संस्थाओं के माध्यम से किए जाने वाले परियोजनाएं या कार्यक्रम निर्दिष्ट की है और ऐसी परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए निधियों के उपयोग के तौर तरीके और इनसे संबन्धित निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली निर्दिष्ट की है।

कंपनियां परियोजनाओं या कार्यक्रम या सीएसआर गतिविधियों के उपक्रम के लिए अन्य कंपनियों के साथ मीलकर भी काम कर सकती हैं, अगर संबंधित कंपनियों की सीएसआर समितियां नियमों के अनुसार ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर अलग से रिपोर्ट करने की स्थिति में हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के प्रावधानों के अनुसार, केवल भारत में किए गए सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रम या गतिविधियों के लिए खर्च की गई राशि सीएसआर के लिए मान्य होगी।

गतिविधियां जो सीएसआर गतिविधियों के तहत मान्य नहीं

निम्नलिखित गतिविधियां कंपनी की सीएसआर गतिविधियों का हिस्सा नहीं होंगी: -

1. कंपनी के साधारण कारोबार के अनुसरण में की गयी गतिविधियां।
2. सीएसआर परियोजनाएं / कार्यक्रम या गतिविधियां जिनसे केवल कंपनी के कर्मचारियों को और उनके परिवारों को ही फायदा होगा।
3. सीधे / परोक्ष रूप से राजनीतिक पार्टी को कोई योगदान या राजनीतिक दलों या राजनीतिक कारणों की ओर निर्देशित कोई भी राशि।



ठंड (सर्दी) के रोग तथा उपाय



डॉ. वर्षा सोमदेवे
एम.बी.बी.एस.

खांसी-जुकाम—ज्यादातर ठंड सुबह के वक्त लगती है, इसलिए जागते ही ठंड से बचाव शुरू कर दें। सुबह आंख खुलते ही बिस्तर पर ही मोजे और टोपी समेत गर्म

कपड़े पहन लें। ये कपड़े रात को सोने से पहले ही आप अपने पास रखकर सोएं। बिस्तर से पैर नीचे उतारें, तो सीधे जमीन पर न रखकर पैर चप्पल पर रखें। बाथरूम की खिड़की रात को बंद करके सोएं, ताकि सुबह बाथरूम में ठंड न लगे। उठते ही मुंह न धोएं। जब दांत साफ करें तभी तालु को सीधे हाथ के अंगूठे से अच्छी तरह रगड़ कर साफ कर ले, जिससे अंदर जमा हुआ कफ बाहर निकल जाएगा। ब्रुश, शेव आदि गर्म कपड़े पहनकर ही करें। कई लोग कपड़ों के गंदे होने से डर से सोचते हैं कि बाद में पहन लेंगे। लेकिन ठंड लगने में देर नहीं लगती। इसके लिए सेकंड्स का वक्त ही काफी है। नंगे पैर न घूमें। ज्यादा खट्टा या ठंडा न खाएं। नाक बंद होने पर पानी में विक्स या यूकेलिप्टस ऑयल डालकर दिन में 2-3 बार भाप लें। गुनगुने पानी से गरारे करें। जिन लोगों को सर्दी-खांसी है, उनसे थोड़ा दूर रहें, खासकर जब वे खांसे या छींके। खुद बीमार हैं तो छींकते व खांसते समय मुंह व नाक पर रूमाल रखें। विटामिन-सी से भरपूर चीजें जैसे कि संतरा और मौसमी आदि खाएं।

बच्चे को सर्दी-खांसी हो तो बच्चे को स्टीम दें। 5 मिनट के लिए दिन में 2-3 बार दें। कभी-कभी कारवोल डिक्ॉन्गिस्टेंट कैप्सूल भी डाल सकते हैं। यह कारवोल ब्रैंड नेम से मिलता है। स्टीम देने के लिए स्टीमर का इस्तेमाल करें। बच्चे को अपनी गोद में बिठाकर स्टीम देना बेहतर है। सर्दी-जुकाम होने पर भी बच्चे को पानी और तरल चीजें देना जारी रखें, लेकिन ये थोड़े गुनगुने होने चाहिए, फिर चाहे दूध हो या पानी।

उपचार (इलाज)—डाक्टर की सलाह से एंटी एलर्जिक जैसे कि सिट्रिजिन या पैरासिटामोल टैब्लेट लें। सिट्रिजिन के ब्रैंड नेम: सेटजाइन, माइजिन आदि। पैरासिटामोल के ब्रैंड नेम: क्रोसिन, कालपोल प्लस, पैरल आदि। झाई खांसी है तो सप्रेसेंट (चेरीकॉफ), जीट, बेनाड्रिल व बलगत वाली खांसी है तो एंटी-म्यूकोलेटिक (एम्ब्रोक्सिल), ब्रोम्हेक्सिन आदि कफ सिरप ले सकते हैं। 2 लौंग, 2 काली मिर्च, छोटा टुकड़ा अदरक, 1 चम्मच चाय की पत्ती, 1 चम्मच चीनी करीब आधे गिलास पानी में आधा रह जाने तक उबालें। धीरे-धीरे सिप करें। रात को सोते समय पीना ज्यादा फायदेमंद है। गुल बनपशा (पर्पल कलर के फूल वाली बूटी) का काढ़ा पिएं या स्टीम लें। 5 ग्राम गुल बनपशा को 100 मिली पानी में उबालें। आधा रह जाए तो पी लें। जब यह उबल रहा हो तो इसका भाप लेना भी फायदेमंद है। सितोपलादि चूर्ण, तालीसादि चूर्ण, कर्कटश्रृंगी चूर्ण, वासा अवलेह आदि दवाओं का इस्तेमाल चिकित्सक से पूछकर कर सकते हैं।

दमा (अस्थमा)—ठंड के दिनों में कई बार सांस की नली सिकुड़ जाती है। ऐसे में अस्थमा और ब्रॉंकाइटिस के मरीजों की दिक्कत बढ़ जाती है। छाती में इन्फेक्शन या निमोनिया के भी सांस बढ़ जाते हैं। अस्थमा दो तरह का होता है: एलर्जिक और नॉन एलर्जिक। एलर्जिक अस्थमा का अटैक तभी होता है, जब आदमी उस चीज के संपर्क में आता है, जिससे उसे एलर्जी है। नॉन-एलर्जिक अस्थमा का अटैक ज्यादा तेज एक्सरसाइज, ठंडी हवा और सांस में इन्फेक्शन से होता है। जल्दी-जल्दी सांस लेना, सीने में जकड़न या कसाव महसूस होना, सांस के साथ आवाज आना, शरीर के अंदर खिंचाव आदि अस्थमा के लक्षण हैं। अस्थमा के मरीज ठंड, धुंध, धूल-मिट्टी और पालतू जानवरों से खुद को दूर रखें। इनहेलर हमेशा साथ रखें। स्मोकिंग न करें व स्मोकिंग करनेवालों से दूर रहें। बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ठंडे तापमान में न जाएं। ताजा और गरम खाना खाएं। ठंडी और खट्टी चीजों से बचें।

उपचार (इलाज)—अस्थमा अटैक होने पर डॉक्टर से संपर्क करें और फर्स्ट-एड के तौर पर इनहेलर का इस्तेमाल करें। अस्थमा का स्थायी इलाज मुमकिन नहीं। इसे कंट्रोल में रखने के लिए किसी योग गुरु से सीखकर प्राणायाम करें। इससे फेफड़ों की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। गुल बनपशा का इस्तेमाल करें। सर्दी-जुकाम से राहत के लिए इसे जैसे तैयार करना बताया गया है, वैसे ही तैयार करें। गर्म पानी का बार-बार सेवन करें। अदरक-तुलसी की चाय भी पी सकते हैं। शिरीषादि क्वार्थ, कूष्मांड अवलेह, श्वासकुठार रस, कनकासव, द्राक्षासव आदि दवाओं का इस्तेमाल डॉक्टर से पूछ कर करें।

अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी होगी। रेगुलर एक्सरसाइज करें और खाने का विशेष ख्याल रखें। मौसम चेंज हो रहा तब अनसीजनल चीजें नहीं खाएं। सर्दी में आपको ठंड से बचना चाहिए। जब गर्मी आए तो ठंडा पानी नहीं पीएं। एक बार अपने ब्लड की जांच कराएं और चेस्ट का एक्सरे भी कराएं। अगर सब नार्मल है तो सिंपल डाइट और एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं। जांच में कोई बीमारी निकलती है तो उसका इलाज हो सकता है। जहां तक गैस और एसिडिटी की बात है तो यह चिंता की वजह से भी हो सकती है। ज्यादा चिंता नहीं करें। डाक्टर से बात करके एंटी एलर्जी की मेडिसिन लेने से फायदा होगा।

जिन लोगों को सांस या अस्थमा की दिक्कत है या हार्ट की बीमारी है, उन्हें सर्दी के मौसम में सुबह एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। फॉग में तो घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। धूप निकलने के बाद ही ऐसे लोग वॉकिंग के लिए निकलें। सुबह जब फॉग होता है तो डस्ट पार्टिकल्स हवा में नीचे आ जाते हैं और वह सांस के जरिए बॉडी में पहुंच जाते हैं। इस वजह से एलर्जी होने का खतरा रहता है। यंग और हेल्दी लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बुजुर्ग और बच्चे को इससे बचना चाहिए। आमतौर पर पॉल्यूशन फ्री वातावरण में ही एक्सरसाइज करना चाहिए।

दमा किसी उम्र में किसी को भी हो सकता है। छोटे बच्चे में अगर दमे की शिकायत होती है तो बाद में वह अपने आप ठीक भी हो जाता है। लेकिन युवाओं में अगर है तो उन्हें सावधानी रखनी होती है। यह बीमारी एलर्जी

की वजह से होती है। आपको ध्यान रखना होगा कि आपको किसी चीज से एलर्जी होती है और उससे बचें। दवाई साथ रखें और सांस फूले तो तुरंत दवा का प्रयोग करें। रेगुलर चेकअप कराते रहें। जहां तक बच्चों में बीमारी जाने की संभावना है तो यह काफी कम चांस है।

यह बीमारी किसी को भी हो सकती है। एजर्जी की वजह से बॉडी में रिएक्शन होता है और सांस की नली में सिकुड़न हो जाती है जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। आपको ऐसी चीजों से बचना चाहिए जिनसे आपको एलर्जी से होती है। आमतौर पर धूल, मिट्टी, पॉल्यूशन से बॉडी रिएक्ट करती है। सर्दी में फॉग हो तो बाहर नहीं निकलें। चेकअप कराते रहें और दवा रेगुलर लें। खासतौर पर ज्यादा फिजिकल लेबर वाले काम के दौरान जैसे पहाड़ पर चढ़ने का प्लान हो, कहीं लंबी दूरी की जर्नी हो, तो अपनी दवा साथ रखें। हाइजीन मॉटेन करें और वॉकिंग रेगुलर करते रहें। चेंज ऑफ टेंप्रेचर से भी अटैक पड़ सकता है।

छींक के लिए कोई ऐसी कोई दवा नहीं है तो जड़ से इसे ठीक कर सके। इसकी वजह एलर्जी है। आपको ध्यान रखना होगा कि किस चीज के संपर्क में आने से एलर्जी या छींक आती है, उससे दूर रहें। एक बार अपने ब्लड की जांच कराए जिससे एलर्जी का पता चल सके। जब खांसी या एलर्जी हो तो शुरु से ही दवा लें और एंटी एलर्जी लें। सर्दी के मौसम में खास ख्याल रखें।

बॉडी का इम्यून क्षमता कम है। रेगुलर व्यायाम के साथ बैलेंस डाइट लेनी होगी। बलते मौसम में वायरस इंफेक्शन हो सकता है। अपने से एंटीबायोटिक्स नहीं लें और सिंपल एंटी एलर्जी की ही दवा लें। लेकिन डॉक्टर की सलाह पर ही दवा लें अपने आप से दवा नहीं लें। रेगुलर व्यायाम से बेहतर हो सकता है।

जोड़ों, हड्डियों का दर्द—तापमान गिरने पर खून की नसें संकरी हो जाती है और शरीर के कुछ हिस्सों में खून का दौरा कम हो जाता है। इससे जोड़ों में अकड़न बढ़ जाती है और दर्द या सूजन होने लगती है। बुजुर्गों को यह समस्या ज्यादा होती है। जोड़ों में दर्द और सूजन, चलने-फिरने से दिक्कत, उठते और चलते समय जोड़ों का लॉक हो जाना, सुबह के समय जोड़ों में कड़ापन रहना आदि लक्षण से दिक्कत का पता चलता है।

जिस भी हिस्से में दिक्कत है, उसे अच्छी तरह ढककर रखें, ताकि वह गर्म रहे। नहाते वक्त और रात में सोने से पहले गर्म पानी से जोड़ों की नियमित सिकाई करें। थोड़ी ऊंचाई से गर्म पानी जोड़ों पर डालें। बेहतर है कि हल्के गर्म पानी में तौलिया भिगोकर जोड़ों पर रखें। ऐसा 5-10 मिनट के लिए रखें। घुटने की तकलीफ में जरूरत लगे तो दिन भर में 3-4 घंटों के लिए नी कैंप लगाएं। लेकिन ऐसा लगातार (दिन-रात) न करें, क्योंकि लगातार सपोर्ट का इस्तेमाल करने में मसल्स कमजोर हो जाते हैं। गर्दन में दर्द है तो घंटे-दो घंटे के लिए कॉलर लगा सकते हैं। इसे घंटों के लिए लगातार न लगाएं। दर्द कम होते ही एक्सरसाइज शुरू करें। रोजाना कम से कम 20 मिनट धूप का सेवन करें। ज्यादा देर भी बैठ सकते हैं। सुबह 10 से 12 बजे की धूप या फिर दोपहर बाद 3 से 5 बजे धूप में बैठना बेहतर है। इस वक्त अल्ट्रावॉयलेट किरणें ज्यादा नहीं होती। रोजाना शरीर की गुनगुने तेल से मालिश करें। कम से कम जिन जोड़ों में समस्या है, उनकी मालिश जरूर करें। बैठे-बैठे बीच-बीच में

एक्सरसाइज करते रहें, जैसे कि कंधों को घुमाना, पैर को सामने फैलाकर घुटने पर प्रेशर डालना, हाथ-पैरों को चारों ओर घुमाना (सूक्ष्म क्रियाएं) आदि। सर्वाईकल स्पॉन्डोलोसिस से बचाव के लिए गर्दन को बिना हिलाए विपरीत दिशा से प्रेशर डालें।

उपचार (इलाज)—दर्द ज्यादा हो तो रात में सोने से पहले पेन रीलिफ ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। वॉलिनी, ओमनी, आयोडेक्स आदि कई ब्रैंड मार्केट में मौजूद हैं। ऑइंटमेंट लगाने के बाद उस हिस्से पर गर्म पट्टी बांधें या किसी मोटे कपड़े से कवर कर लें। डाक्टर की सलाह से पेन किलर भी ले सकते हैं। 1 चम्मच सॉफ्ट पाउडर में गुनगुना पानी मिलकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इसे जोड़ों पर लगाएं। आधे घंटे बाद कॉटन के कपड़े को हल्के गर्म पानी में गीला कर इसे हटाएं। दर्द और सूजन कम हो चुकी होगी। दिन में एक बार ऐसा करें। 10 ग्राम दशमूल लें और 100 मिली पानी में मिलाकर उबालें। जब आधा रह जाए तो इसे पी लें। दशमूल की पोटली बनाकर रोजाना 1-2 बार सिकाई भी कर सकते हैं। सिकाई के बाद महानारायण तेल, निरगुंडी तेल या महामाष तेल से हल्के हाथ से 10-15 मिनट मालिश करें।

हाई बीपी—हाई बीपी की मुख्य वजह ब्लड वेसल्स की दीवारों का मोटा होना या सिकुड़ जाना है। ठंड के मौसम में पसीना कम आने से भी बीपी बढ़ता है। सिर में भारीपन, चक्कर आना, दर्द रहना, नींद न आना, जी घबराना, सांस फूलना, हाथ-पैर में दर्द आदि लक्षण हैं। फल और सब्जियों से भरपूर बैलेंस डाइट लें। फालतू तना-भुना न खाएं। चीनी, चावल, मैदे से परहेज करें। नमक कम खाएं। बीपी के मरीज सर्दियां शुरु होते ही ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। अगर दवा चल रही है तो उसे नियमित रूप से खाएं। रेगुलर एक्सरसाइज करें। 10-12 गिलास पानी रोजाना पिएं, ताकि शरीर से फालतू नमक निकलते रहें। चाय-कॉफी 2-3 कप




रोजाना से ज्यादा न पिएं। लेना ही है तो टी-बैग वाली लें। पत्तियों को ज्यादा या बार-बार उबालने से कैफीन बढ़ता है, जो बीपी की वजह बनता है। डाक्टर से बीपी चेक करवा कर दवा खाएं।

उपचार (इलाज)—दालचीनी चूर्ण 125 मिग्रा, अश्वगंधा, चूर्ण 250 मिग्रा 1 गिलास दूध में मिलाकर सुबह-शाम लें। अर्जुन, जटामांसी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, गोक्षुर, सर्पगन्धा आदि दवाओं का इस्तेमाल डाक्टर से पूछकर कर सकते हैं।

हृदयाघात (हार्ट अटैक)—सर्दियों में खून की नलियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे खून का दौरा कम हो जाता है। इस मौसम में अक्सर लोग तला-भुना ज्यादा खाने लगते हैं। ये दोनों बातें दिल से जुड़ी समस्याओं की वजह बनती हैं। छाती में दर्द या सीने में ऐंठन होना, पसीना, चक्कर आना, सांस फूलना, नींद न आना, हाथों, कंधों, जबड़ों में दर्द होना या उलटी आना, थकान और कमजोरी महसूस होना में से कोई एक या ज्यादा।

बहुत ठंड में घूमने न निकलें। हल्की धूप निकलने के बाद ही घर से बाहर निकलें। दोपहर बाद 3-4 बजे भी वॉक कर सकते हैं। सर्दियों में तेज और ज्यादा एक्सरसाइज न करें। वेट आदि न उठाएं। रोजाना आधा घंटा उतनी ही रफ्तार से वॉक करें, जिसमें सहज हों। एकदम गर्म से ठंडे में न जाएं। कमरे से बाहर निकलने से 15 मिनट पहले हीटर बंद कर दें। हीटर यूज करते हैं तो नमी का ध्यान रखें। अगर रॉड वाला हीटर यूज करते हैं तो नमी का ध्यान रखें। अगर रॉड वाला हीटर यूज करते हैं तो पास में किसी चौड़े बर्तन में पानी रखें, ताकि कमरे में नमी बनी रहे, वरना सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। मंकी कैप पहनें। इससे कानों में हवा नहीं जाती, जिससे बीपी बढ़ने के चांस कम होते हैं। छाती में अकड़न व घबराहट महसूस होने पर फौरन 325 एमजी एस्पिरिन की एक गोली चबा लें। यह डिस्पिरिन, एस्पिरिन और ईकोस्पिरिन आदि नाम से मिलती है। मरीज की छाती पर हाथ रखकर पंपिंग करते हुए दबाएं। सांस लेने में तकलीफ हो तो उसे मुंह से सांस दें। फौरन डॉक्टर के पास ले जाएं।

त्वचा रोग (स्किन प्रोब्लम) एवं बचाव—गर्म नहीं, गुनगुने पानी से रोजाना अच्छी तरह नहाएं। नहाने के बाद शरीर पर नमी वाली क्रीम या ऐलोवेरा जेल लगाएं। सिर भी रोजाना या एक दिन छोड़कर धोएं। सिर धोने से आधा घंटा पहले अच्छी तरह सिर में तेल मालिश कर लें। माइल्ड फेसवॉश (जो चेहरे को ड्राई न करे) और क्रीम बेस्ड साबुन इस्तेमाल करें। नहाने से पहले हो सके तो किसी भी तेल (बादाम या नारियल का तेल



बेहतर है) से 15 मिनट बॉडी मसाज करें। रोजाना 10-12 गिलास पानी पिएं। ड्राई-फ्रूट्स, लहसुन, खजूर, फिश, प्रॉन्स आदि बहुत ज्यादा न खाएं क्योंकि ये गर्मी कर सकते हैं। कई लोगों को प्रॉन्स सूट भी नहीं करते। ऊनी कपड़ों के नीचे कॉटन के कपड़े पहनें। रात को होठों पर लिप बाम या बादाम तेल लगाएं।

ड्राइनेस और एलर्जी होने पर यूरिया और लैक्टिक एसिड वाली क्रीम स्किन पर लगाएं। जहां खुजली है, वहां मरिच्यादि आयुर्वेदिक तेल लगाएं। यह स्किन की सारी एलर्जी में काम करता है। हरिद्राखंड का एक-एक छोटा चम्मच सुबह-शाम ले सकते हैं। यह सर्दी-जुकाम, सायनस के अलावा स्किन एलर्जी में भी काम करता है। डैड्रफ दूर करने वाले शैंपू से सिर धोएं। नीम की पत्तियों या मेथी दाने का पेस्ट बनाकर भी लगा सकते हैं। नीबू का रस नारियल तेल में मिलाकर लगाने से भी राहत मिलती है। आरोग्यवर्धिनी वटी, पंचतिक्त घृत गुग्गुलु, केशोर गुग्गुलु आदि दवाओं का इस्तेमाल डॉक्टर से पूछकर कर सकते हैं।

नोट : तेल-घी खाना पूरी तरह से बंद न करें। थोड़ा-बहुत मक्खन और तेल (रोजाना 2-3 छोटे चम्मच तक) स्किन के लिए अच्छा है।

छोटे बच्चों की सुरक्षा—छोटे बच्चों को बड़ों के मुकाबले हमेशा एक कपड़ा ज्यादा पहनाएं। कपड़े लेयरिंग में पहनाएं। एक-दो मोटे कपड़े के बजाय 3-4 पतले कपड़े शरीर को ज्यादा गर्म रखेंगे। उनके सिर, पैर हाथों और कानों को ढककर रखें, क्योंकि इन्हें से उन्हें ठंड लगती है। बच्चे के आसपास हीटर इस्तेमाल न करें। करना ही है तो ऑयल वाले हीटर यूज करें। ये कमरे में नमी बनाए रखते हैं। इन्हें भी घंटा, दो घंटा चलाकर बंद कर दें। कमरे के अंदर और बाहर के तापमान का फर्क बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। देर रात और बहुत सुबह उन्हें लेकर बाहर न निकले। बच्चों को रोजाना गुनगुने पानी से नहलाएं। इससे बच्चे कीटाणुओं से दूर रहते हैं। उन्हें बंद जगह पर नहलाएं। रोजाना 10-15 मिनट मालिश जरूर करें। मालिश बादाम, जैतून या किसी दूसरे ऑयल से कर सकते हैं। इससे बच्चे के मसल्स और जोड़ मजबूत होते हैं। मालिश का असली मकसद खून के दौरे को दिल की तरफ ले जाना है। पैरों और हाथों पर नीचे से ऊपर की ओर मालिश करें। मालिश और नहाने के बीच 15 मिनट का गैप जरूरी है। मालिश के बाद बच्चे को दोबारा पहने हुए कपड़े ही पहना दें। खुले बदन रहने से ठंड लग सकती है। खाने के करीब घंटा भर बाद मालिश करें, जबकि नहलाने के फौरन बाद दूध पिला सकते हैं और खाना भी खिला सकते हैं। धूप अगर कमरे में आती हो तो बच्चे को थोड़े कम कपड़े पहनाकर वहां रखें, क्योंकि इससे उसे विटामिन डी मिल जाएगा। खुले में रखने से हवा लग सकती है। एक साल से बड़े बच्चों को फुल क्रीम दूध दें। उन्हें सीजनल सब्जियां और फल खिलाएं। विटामिन-सी के लिए संतरा आदि भी खिलाएं। ताजा दही भी दे सकते हैं दही फ्रिज में रखा नहीं होना चाहिए। बच्चे को रोजाना एक खजूर, 3-4 किशमिश, 1-2 मुनक्का खिला सकते हैं और थोड़ा-सा केसर या शहद की 4-5 बूंदें भी चटा सकते हैं। अंडा भी खिला सकते हैं। बच्चे को परांटे-पूड़ी कम दें। बच्चे के लिए घी को पचाना आसान नहीं होता। इसके बजाय पनीर, आलू आदि मिलाकर मल्टिग्रेन ब्रेड से सैंडविच बनाएं या तवे पर सैंककर टिक्की बनाएं।

नोट : डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा, एंटीबायोटिक्स न लें। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ते हैं, जबकि कॉमन कोल्ड और कफ वायरस या एलर्जी से होते हैं।



गृह ऋण फायदेमंद कब होता है?



प्राची सिंह
गार्गी कॉलेज

रोटी, कपड़ा और मकान प्रत्येक मनुष्य की मूलभूत जरूरतें हैं। इसके बाद ही किसी अन्य आवश्यकता का नाम आता है। सदियों से इसी कोशिश में लगा रहता है। एक जमाना था जब लोग पूरी जिदंगी कमाते थे और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई तथा शादी-ब्याह के बाद बच पैसों से घर बनाता था। आज बैंकिंग जगत की सेवाओं ने आसान कर्ज उपलब्ध कराए हैं जिससे लोग ऋण लेकर अपने जीवन की सबसे बड़ी कामना पूरी कर लेते हैं और किरस्तों में पैसे चुकाते रहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अपने घर का सपना सभी का होता है। लेकिन बैंक के कर्ज (होम लोन) लिए बगैर इसे पूरा करना बेहद मुश्किल है। अब बैंक कर्ज देने के पहले क्रेडिट स्कोर भी देखते हैं और उसके कम रहने पर आपका लोन आवेदन रद्द भी हो सकता है। यदि आप पहले से घर खरीदने की तैयारी के मद्देनजर बेहतर वित्तीय योजना बनाते हैं तो उससे आसानी से कर्ज मिलने के साथ-साथ ब्याज पर भी ज्यादा राशि बचा सकते हैं। यहां पर हम कुछ ऐसे टिप्स दे रहे हैं जिनका पालन करके हम ऋण (लोन) के साथ-साथ कई अन्य लाभ पा सकते हैं।

ज्यादा डाउनपेमेंट फायदेमंद : बैंक सामान्यतः मकान की कीमत का 80 से 85 फीसदी तक कर्ज मुहैया कराते हैं और बाकी राशि (डाउन पेमेंट) आपको जेब से चुकानी पड़ती है। अधिकतम कर्ज मिलने की सुविधा की वजह से उपभोक्ता न्यूनतम डाउन पेमेंट करना पसंद करते हैं लेकिन लंबी अवधि में यह महंगा पड़ता है। मौजूदा समय में बैंक 10.15-10.25 फीसदी ब्याज पर होम लोन मुहैया करा रहे हैं। यदि 20 साल के गृह ऋण (होम लोन) पर आप एक लाख रुपये ज्यादा डाउन पेमेंट करते हैं तो 10.15 फीसदी ब्याज के आधार पर आप 1.34 लाख रुपये बचा सकते हैं। एक लाख रुपये के 20 साल के कर्ज पर आपको कुल 2.34 लाख रुपये चुकाना पड़ता है।

रजिस्ट्री का खर्च न भूलें : होम लोन के प्राप्त होने भर से ही आपकी परेशानी दूर नहीं हो जाती है, बल्कि मकान की रजिस्ट्री के लिए आपको जेब से राशि चुकानी पड़ती है। आमतौर पर मकान खरीदते समय लोग इस खर्च को नजरअंदाज कर देते हैं। मकान की रजिस्ट्री का शुल्क उसकी कीमत का पांच से सात फीसदी के बीच होता है। हालांकि अलग-अलग राज्यों में इसकी दरों में अंतर है। बिजली, पानी और अन्य तरह की सुविधाओं के लिए भी नगर निगम को शुल्क का भुगतान करना पड़ता है जिसके लिए पर्याप्त राशि का इंतजाम रहना चाहिए। कई राज्यों में महिलाओं या पति-पत्नी की साझी खरीददारी करने पर स्टैप ड्युटी में छूट मिलती है।

ईएमआई के लिए इमरजेंसी फंड : हम भारतीय ईश्वर पर अटूट

विश्वास रखते हैं और कई बार तो अंध भक्त भी बन जाते हैं। लेकिन इस सच से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि अनहोनी की संभावनाएं सभी के लिए समान रहती है। इसीलिए कहते हैं कि मुसीबतें बुलावा देकर नहीं आती हैं। नौकरी छूट जाने या कारोबार में नुकसान हो जाने की स्थिति में घर के खर्च को पूरा करना मुश्किल हो जाता है और यदि आपने पहले से कर्ज ले रखा है तो उसकी मासिक किस्त (ईएमआई) चुकाना ज्यादा बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसके लिए आपको आपात कोष (इमरजेंसी फंड) की व्यवस्था रखनी चाहिए। इसके लिए कोई मानक तय नहीं है। हालांकि, वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य स्थिति में आपको दो से छह माह के घरेलू खर्च के बगबर राशि इमरजेंसी फंड में रखनी चाहिए। लेकिन आपने कर्ज ले रखा है तो छह माह की अतिरिक्त ईएमआई इमरजेंसी फंड में जरूर रखें। इससे ईएमआई में चूक करने की वजह से डिफॉल्टर (किस्ते न चुका पाने वाला) होने की नौबत नहीं आएगी। बैंक को जब लगातार तीन माह (90) दिन तक ईएमआई का भुगतान नहीं होता है तो वह कर्ज लेने वालो को नोटिस भेजते हैं। इमरजेंसी फंड की राशि को सामान्यतः लोग बचत खाते में रखते हैं लेकिन ऐसा करना सही नहीं है।

बचत खाते से राशि खर्च होती रहती है और उसका आकलन नहीं हो पाता है। इमरजेंसी फंड की राशि को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर छोटी अवधि की एफडी और शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में रख सकते हैं। एफडी को अलग-अलग अवधि में बांट दें और इस बात का ध्यान रखें एक जब पूरी हो रही हो तो उस समय दूसरी शुरु हो। इससे आपके पास हमेशा नकदी बनी रहेगी और पैसे की तंगी नहीं होगी।

सस्ते कर्ज के लिए मोलभाव : आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर है और ज्यादा डाउन पेमेंट करने की स्थिति में हैं तो इसके आधार पर बैंक से



सस्ते कर्ज के लिए मोलभाव कर सकते हैं। आमतौर पर कोई भी बैंक अपने बेहतर उपभोक्ता को खोना नहीं चाहता है और वह छूट देने को तैयार हो जाता है। वहीं, आपको गृह ऋण (होम लोन) के लिए वहां ज्यादा दस्तावेज भी नहीं जमा कराने पड़ते हैं क्योंकि उसके पास पहले से

आपका रिकॉर्ड होता है। बैंक आधार दर (बेस रेट) से कम पर किसी को भी कर्ज नहीं दे सकते हैं। लेकिन बैंक से आप प्रोसेसिंग शुल्क और दस्तावेज के नाम पर लिए जाने वाले शुल्क छोड़ने को कह सकते हैं। प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में बैंक कर्ज की राशि का आधा फीसदी या एक तय राशि वसूलते हैं। बैंकों में इसकी दरें अलग-अलग हैं। यदि आधा फीसदी के हिसाब से देखें तो 20 लाख के खर्च पर यह राशि 10 हजार रुपये बैठती है। इसके लिए आपको एक से अधिक बैंकों की ब्याज दरें और उनकी ओर से दी जाने वाली सुविधाओं की सूची तैयार कर लेनी चाहिए। यदि आप उसी बैंक से कर्ज ले रहे हैं जहां पहले से आपका खाता है तो वहां ज्यादा मोलभाव कर सकते हैं।

उंचे क्रेडिट स्कोर पर कर्ज आसान : आपकी वित्तीय स्थिति, ईएमआई में चूक न करना और क्रेडिट कार्ड के बिल का समय पर भुगतान आदि बातों के आधार पर क्रेडिट स्कोर तैयार होता है। क्रेडिट रिकॉर्ड रखने वाली संस्था सिबिल इसका आकलन करती है। इसे 300 से 900 अंकों के बीच आंका जाता है। कर्ज के भुगतान में देरी पर यह तेजी से घटता है। सिविल के आंकड़ों के मुताबिक 750 से अधिक स्कोर रहने पर कर्ज मिलना ज्यादा आसान हो जाता है। आंकड़ों के मुताबिक बैंकों ने पिछले कुछ वर्षों में 57.6 फीसदी कर्ज उन उपभोक्तों को दिये हैं जिनका स्कोर 800 से अधिक था। वहीं 22.8 फीसदी कर्ज उन्हें मिला है जिनका स्कोर 750 से 799 था जबकि 700 से 749 स्कोर वाले 9.7 फीसदी लोगों को कर्ज मिला।



इसके साथ ही ऋण लेने से पूर्व विभिन्न बैंकों द्वारा दिए जानेवाले कर्जों और उस पर दी जानेवाली ब्याज दरों का भी अध्ययन कर लें। आमतौर पर अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरें भिन्न-भिन्न होती हैं। ब्याज दर में 10 प्रतिशत की गड़बड़ आपकी मासिक किश्त में सैकड़ों रुपये का अंतर डाल सकती है जो दीर्घकाल में काफी बड़ी रकम साबित हो सकती है। ऋण लेने से पहले यह भी पता करें कि कौन सा बैंक समय से पूर्व ऋण

की समूची या आंशिक राशि चुकाने पर पेनाल्टी नहीं लेता और यदि लेता है तो वह कितनी लेता है। इस बारे में समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बारे में भी जान लेना चाहिए। यदि आप ये सभी सावधानी बरतते हैं तो ऐसा गृह ऋण पा सकते हैं जो आपके लिए सदैव फायदेमंद साबित होगा।

गृह ऋण लेने वाले को सदैव ही अपने गृह ऋण का बीमा अवश्य कराना चाहिए। गृह ऋण का बीमा करने की स्थिति प्रत्येक किस्त के साथ एक छोटा सा अंश बीमा किस्त के रूप में भी जाता है परंतु यह कई अर्थों में फायदेमंद एवं अक्लमंदी का काम कहा जा सकता है क्योंकि आपका घर महज एक संपत्ति नहीं है। बल्कि यह अपनों के लिए आपके द्वारा बनाया गया घासला है। इसलिए जरूरी है कि घर खरीदने के साथ आप उसे सुरक्षित बनाए रखने की योजना भी बना लें, ताकि कभी ऐसे हालात न पैदा हो जिनमें परिवार को घर से वंचित होना पड़े। वैसे आग, भूकंप विकलांगता अथवा मृत्यु किसी भी वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन यदि आपने गृह ऋण (होम लोन) के साथ उसका बीमा भी करा रखा है तो बहुत कम लागत में आप और आपके परिजन अपना घर बचा सकते हैं।

आवास ऋण देने वाले ज्यादातर बैंक या वित्तीय संस्थान आपकी इस समस्या को समझते हैं। लिहाजा वे गृह ऋण (होम लोन) देते वक्त संपत्ति खरीद से जुड़े जोखिमों को समझने के साथ-साथ गृह ऋण को सुरक्षित करने में भी आपकी मदद करते हैं। होम लोन की सुरक्षा के लिए ली जाने वाली बीमा पॉलिसी व्यक्ति को मृत्यु या विकलांगता की वजह से अपना बकाया होम लोन चुकाने में मदद करती है। इसके तहत आपका बकाया होम लोन बीमा कंपनी चुकाती है। परिवार के मुखिया की मृत्यु की स्थिति में यह खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि एकमात्र कमाने वाला ही चला गया तो परिवार के लिए दो जून के खाने का जुगाड़ करना ही कठिन हो जाता है। मकान की किस्तें चुकाना तो दूर की बात है। ऐसी नौबत आने पर परिवार को अपने घर से वंचित होना पड़ सकता है। ये पालिसियां एक प्रकार का जीवन बीमा उपलब्ध कराती हैं जो लोन की राशि घटने के साथ हर साल कम होता जाता है। गृह ऋण (होम लोन) के साथ संबद्ध होने से यह किफायती होता है और आपको जरूरत से ज्यादा प्रीमियम अदा करने की जरूरत नहीं पड़ती।

लोगों में यह गलत धारणा है कि आवास ऋण बीमा लेना पहले से ही जटिल लोन प्रक्रिया को और जटिल बनाना है। यह सच नहीं है। बैंकों व गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफसी) ने अपने होम लोन ग्राहकों को इस तरह का कवर प्रदान करने के लिए बीमा कंपनियों के साथ पहले से समझौते होते हैं। मगर प्रीमियम के लिहाज से इंटरनेट के माध्यम से फौरी तौर पर एक तुलनात्मक अध्ययन अवश्य कर लेना चाहिए ताकि उचित प्रीमियम पर बेहतर कवरेज प्राप्त किया जा सके। इसी के साथ यह भी जरूरी है कि जिस बैंक या वित्तीय संस्थान से आप गृह ऋण (होम लोन) लें उसी के माध्यम से उसे बीमित भी करवाएं।

गृह ऋण बीमा करने के कई फायदे हैं-

1. आपको बीमा कंपनी के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ऋण देने वाला बैंक या वित्तीय संस्थान ही आपकी बीमा संबंधी समस्त औपचारिकताएं पूरी करेगा। लोन के साथ ही साथ आपको



उसका बीमा कवर भी प्राप्त हो जाएगा।

2. आपका बैंक या वित्तीय संस्थान गृह ऋण देने के साथ आपके प्रीमियम की अदायगी बीमा कंपनी को कर देगा। इस तरह आपको अलग से प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं होगी।
3. अलग से बीमा पॉलिसी खरीदने के मुकाबले यह प्रक्रिया आसान है। जरूरत पड़ने पर आपका बैंक आपके परिवार को दावा करने (आवेदन प्रक्रिया पूरी करने तथा आवश्यक कागजात लगाने) में मदद करेगा।

इस सबके बावजूद यह आवश्यक है कि आप गृह ऋण बीमा पॉलिसी लेने से पहले उसके फायदों और शर्तों को अच्छी तरह से समझ लें। अच्छे आवास ऋण बीमा के ये लाभ हैं:

दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के विरुद्ध सुरक्षा : एक साधारण बीमा आपको आग से सुरक्षा प्रदान कर सकता है, परंतु एक जीवन बीमा आपको मृत्यु एवं विकलांगता के विरुद्ध कवर करता है।

प्रीमियम भुगतान में लचीलापन : एकमुश्त एकल प्रीमियम आपके होम लोन की अवधि तक सुरक्षा प्रदान करता है। यह दीर्घकाल में सस्ता पड़ता है। दूसरी ओर नियमित प्रीमियम भुगतान के प्लान आपकी जेब पर तो आसान पड़ सकते हैं, परंतु नियत तिथि पर प्रीमियम न भरना महंगा पड़ सकता है। इसलिए किस्तें नियमित रूप से चुकाई जानी चाहिए।

गृह ऋण से संबद्धता : निर्माणाधीन मकान के लिए ऋण का भुगतान चरणबद्ध ढंग से किया जाता है। बीमा कवर कम से कम मंजूर होम लोन के बराबर राशि और अवधि के लिए होना चाहिए, ताकि न केवल मकान पूरा बन जाएं, बल्कि आपके परिवार को समय पर मिल भी जाए।

होम लोन अवधि में सुरक्षा : हो सकता है कि समय से पहले गृह ऋण अदा करने की उम्मीद में आप कम राशि और अवधि का बीमा कवर लेना चाहें। परंतु याद रखें यदि आपकी पॉलिसी आपके आवास ऋण से पहले खत्म हो गई हो तो आपको नया गृह ऋण कवर लेना पड़ सकता है। उस हालत में आपको काफी अधिक प्रीमियम चुकाना पड़ सकता है।

इसलिए गृह ऋण लेने के साथ उसकी सुरक्षा के लिए बीमा कवर लेना और उसके लिए थोड़ा वक्त निकालना आपके व आपके परिवार के हित में है। ऐसा कर आप अपने परिवार के हित में हैं ऐसा कर आप अपने उस मकान से प्रियजनों के बेदखल होने की चिंता से मुक्त हो सकते हैं जिसे आपने बड़ी मेहनत और हसरत से बनाया या खरीदा है।

इसलिए प्रत्येक उस व्यक्ति को अपने गृह ऋण को बीमित कराना चाहिए जो ऋण लेकर अपना घर/आवास खरीदता है ताकि किसी अनहोनी के होने पर आपके सपनों का घर आपके प्रियजनों के पास ही रहे। बीमित ऋण का मतलब है कि आपके सपनों का घर "जिन्दगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी" आपकी अमानत बन कर रहे और गृह ऋण चुकाने के टेंशन से आपके प्रियजनों को मुक्ति भी मिले।



साधना से सिद्धि का मर्म

महायोगी गोरखनाथ का एक युवा शिष्य बहुत परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसने महायोगी के सान्निध्य में रहते हुए काफी साधना कर ली है, पर अब तक सिद्धि

क्यों नहीं मिली। वह सोचता कि उसने तप भी बहुत किया है, लेकिन तृप्ति अब भी उससे दूर है। क्या उसकी साधना में कोई त्रुटि है? क्या साधना का विज्ञान मिथ्या है? इन्हीं विचारों में खोया हुआ वह एक दिन एक खेत की मेढ़ पर हताश-निराश बैठा था। वेदना की विकलता की स्पष्ट छाप उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। तभी उसे पास के खेत से ही महायोगी गोरखनाथ आते हुए दिखाई दिए। उनके करीब आने पर युवा शिष्य ने उन्हें शीश नवाकर प्रणाम किया और पूछा – 'गुरुदेव, मैं पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी वर्षों की साधना का प्रतिफल क्या है? क्या मेरी साधना निष्फल रही? आखिर भगवान मुझसे इतना रूठे क्यों है?' उसकी बात सुनकर महायोगी हंसे और बोले – 'वत्स, कल मैं एक बगीचे में गया था। वहाँ कुछ दूसरे युवक भी थे। उनमें से एक को प्यास लगी थी। उसने बाल्टी कुएं में डाली और पानी ऊपर खींचने लगा। कुआं गहरा था और उसे बाल्टी खींचने में काफी श्रम करना पड़ा। लेकिन जब बाल्टी ऊपर आई तो खाली थी। यह देख उस युवक के साथी हंसने लगे। मैंने देखा कि वह बस कहने भर को बाल्टी थी। उसमें छेद ही छेद थे। बाल्टी कुएं में गई, उसमें पानी भी भरा, पर सब बह गया।' महायोगी ने आगे कहा – 'वत्स, साधक के मन की भी यही दशा है। इस छेद वाले मन से कितनी ही साधना करो, छेदों के कारण सिद्धि नहीं मिलती। इससे कितना ही तप करो, पर तृप्ति नहीं मिलती। सिद्धि और तृप्ति चाहिए तो पहले मन के छेदों (कमियों) को मिटाओ। अपने दोष-दुर्गुणों को दूर करो। पहले संयम, तब साधना और फिर सिद्धि – यही साधन से सिद्धि का मर्म है। अपने मन की बाल्टी ठीक हो तो साधना सिद्धिदायी होती है। भगवान कभी भी किसी से रूठे नहीं रहते। बस साधक के मन की बाल्टी ठीक होना चाहिए। कुआं तो सदा ही पानी देने के लिए तैयार है। उसकी ओर से कभी भी इनकार नहीं है। यह सुनकर शिष्य की शंका का समाधान हो गया और उसने अपनी कमियों को दूर कर साधना के मार्ग पर चलने का प्रण लिया।

सकलन - मुनीष भुटानी, प्रबंधक

चमत्कारी बाबा



डॉ. जी.एन. सोमदेवे
सहायक महाप्रबंधक

पाठकों ने आवास भारती के गत अंकों में चमत्कारी बाबा भाग-1 एवं भाग-2 पढ़ा होगा। आगे पढ़ें चमत्कारी बाबा भाग-3। धर्मानंद उर्फ बाबा धंधानंद किसी स्थानीय कर्ज

में डूबे व्यापारी पर तांत्रिक स्वर्ण वर्षा करवाने तथा गो बलि देने जैसे संगीन अपराधों में 10 वर्ष सजा काटने के दौरान अपनी बेटी की शादी हेतु 5 दिन के पेरोल पर छूटे थे। उन्हीं दिनों मेरे दुर्भाग्य से उनका सामना हो गया। अपनी ओर आता देख वे बैठ गए और अपनी लंबी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरकर मुस्कुराकर मेरे स्वागत के लिए आतुर दिखे। मिलना था सो मिलकर कुछ बातें हुई।

धर्मानंद जी ने बताया कि एक व्यापारी कर्ज में डूबा था तथा किसी के द्वारा उस यश को सुनकर स्थाई इलाज करने आया था। उसे स्वर्ण की भूख थी और अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए एक दिन वह पूछ बैठा कि क्या उसके लिए वेतालजी से कहकर तांत्रिक स्वर्ण वर्षा करा सकता हूँ। अतः बाबा ने स्वीकृति दे दी और गौ बलि तथा मोटी दक्षिणा की रकम तय कर ली गई। कमीशन के कुछ रुपये रख लिए गए। परंतु चेलों को एडवांस के रुपये में हिस्सा न देने की वजह से भांडा फूट गया और पुलिस ने अड्डे पर छापा मारकर चेलों, चपाटों तथा मरीज सहित सभी को धर दबोचा। पकड़ा गया सामान 4 भागों में विभक्त हुआ। बाबा और चले जेल चले गए। मरीज को अस्पताल में भर्ती किया गया तथा नरमुंड, पूजा सामग्री और बाबा का अन्य सामान पुलिस जब्ती कर ले गई। गौ माता को सुरक्षित गोशाला पहुंचा दिया गया। बाबा को इनाम में 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा चेलो को 3-3 वर्ष की सजा भुगतनी पड़ी। जेल में भी कैदियों ने बाबा का लात-जूतों से लगभग रोज ही पिटाई की। कमर टूट गई। हड्डियां चटक गई।

बाबा ने बतलाया कि बाबागीरी कोई साधारण कार्य नहीं है इसके लिए काफी अध्ययन कर गुर सीखने पड़ते हैं। सीनियर साधुओं की संगत करनी पड़ती है। मंत्र, तंत्र कंठस्थ करने होते हैं। कई बाबा भूत प्रेतों के चक्कर में अपनी खुद की जान गंवा बैठे। पिशाच शक्तिशाली और बाबा हड्डी पहलवान। एक बार बाबा दिगम्बर अवस्था में शमशान साधना करते हुए गांव के लोगों द्वारा पकड़े गए। इज्जत धूल में मिली और जमकर पिटाई हुई सो अलग। गांव के सरपंच ने पुरस्कार स्वरूप गांव में घुसने पर पाबंदी लगाई। दोबारा श्मशान में मिलने पर जान से मरवाने की धमकी दे डाली। नौसिखिया धर्मानंद न घर का रहा न घाट का। तब धर्मानंद के खाने का कोई ठिकाना न रहा। कूड़ेदान में फेंका हुआ बचाखुचा खा लेता और तालाब का पानी पीकर पेड़ के नीचे सो जाता। गांव के लोगों को तरस न आया परंतु एक दिन चमत्कार हो गया। गांव के ओझा ने उसे बताया कि वह अब 'अघोरत्व' प्राप्त कर चुका है क्योंकि अघोरी बाबा

हमेशा फेंका हुआ बासी अन्न ही खाते हैं। ओझा ने बाबा को खूब महिमा मंडित किया। धर्मानंद को नया धंधा सूझा और यही से धर्मानंद ने जटिल समस्याओं का इलाज करना प्रारंभ किया।

अब जंगल में झोपड़ी बनाई गई। शमशान से नरमुंड मंगाए गए। उल्लू और शेर के समस्त पार्ट्स मंगाए गए। धुनी रमाई गई। गांव के कुछ मदमस्त लफंगे चले बनाए गए। अघोर विद्या द्वारा मोहिनी, धनवर्षा, स्वर्णवर्षा, वशीकरण और मुठकरणी का शर्तिया इलाज होने लगा। 'हेल्दी टॉनिक' का अविष्कार कर मरियल भक्तों के कायापलट हेतु इलाज होने लगा। जान से मरवा देने की धमकी देने वाला सरपंच खुद रात में मुंह पर कपड़ा बांध 'हेल्दी टॉनिक' लेने पहुंचा और माल लेकर वापस घर पहुंच प्रयोग में जुट गया। अच्छी कमाई होने लगी तो बाबा ने तीसरी पत्नी कर ली। आधी ग्राहकी वह संभालने लगी। अच्छी सेवा होने की वजह से बाबा बलिष्ठ हो गया। अब बाबा खुद काला टीका लगाने लगा ताकि किसी की नजर न लगे।

धीरे-धीरे जंगल आबाद होने लगा। वहां बाबा के आश्रम के आस-पास खाने पीने की दुकानें खुल गई। अब वहां बड़ा जमघट होने लगा। कुछ दिन बाद बाबा के एक अशिक्षित चले ने नकली सर्टिफिकेट के भरोसे असली पासपोर्ट बना लिया। पुलिस ने केस बनाया। बड़ी किरकीरी हुई। मुकदमा हुआ सो अलग। ले देकर जमानत हुई। आश्रम और आश्रमवासियों के चरित्र की चिंता की वजह से बाबा की एक आंख चली गई। बाबा कनवा हो गया परंतु अकड़ न गई। पाप कर्म जारी रहे। बाबा ने पंचकर्म को अब नई व्याख्या में ढाला। प्रयोगशाला प्रारंभ हुई। भक्तों का बॉडी स्कैन होने लगा। मालिश हेतु एक्सपर्ट कुशल बालिकाओं को नियुक्त किया गया। सब मर्ज का इलाज पहले तेल मालिश से प्रारंभ होता। फिर भूत उतारा जाता। हेल्दी टॉनिक पिलाई जाती। खूब जमकर धंधा हो रहा था कि अचानक किसी की नजर लग गई। बाबा किसी की नजर से घायल हो गया। पुलिस ने छापा मारा। झोला छाप डाक्टर समझ कर अनेक कायदों की विभिन्न धाराओं में मुकदमा बनाया गया। बाबा फिर अंदर।

बाबा के अंदर जाने की वजह से चेलों ने मोर्चा संभाला। वे दुकान चलाने लगे। बाबा की बाबी अब चिकित्सालय की प्रमुख मालकिन कहलाने लगी। जेल में साधना के बल पर महीनों अन्न पानी न खाकर टिके रहने की हवा फैलाने वाले धर्मानंद की 3 दिन में हवा निकल गई। 3 दिन में ही मरनासन्न हो गया। जेल डाक्टरों ने जबरदस्ती भोजन कराया तब जाकर जान बची। धर्मानंद ने अपने आश्रम के आस-पास की हजारों एकड़ जमीन थोड़े-थोड़े पैसे देकर आश्रम के नाम करा ली थी, वे सब तकाजा करने लगे। धर्मानंद के खिलाफ रोज एक नई एफआईआर होती। धर्मानंद बड़ा चालाक था। चूंकि वह गैर ब्राह्मण जाति का होकर सफल अध्यात्म का डंका बजा रहा था जो कि स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण पुरोहितों को पसंद न आता था, वे उसे स्वीकार न करते इसलिए धर्मानंद ने अनेक आश्रमों को गाड़ी, घोड़े, जमीनें दान दी थी। सभी उसके चले या सहयोगी हो गए। उसके कार्यक्रमों में मध्यस्थता करते, अध्यक्षता करते और अपनी गाड़ियों पर धर्मानंद के आश्रम का दानपत्र लिखवाकर घूमते। लेकिन कोई भी उनमें से धर्मानंद के बचाव के लिए आगे नहीं आया। सब मूकदर्शक बने

रहे। कुछ दिन बाद धर्मानंद पुलिस के साथ घाघरा चोली का खेल खेलकर जमानत पर रिहा हुआ। किन्तु फिर वही चाल, ढाल, बड़बोलापन और धंधा बदस्तूर जारी रखा।

समय बलवान तो गधा पहलवान। बाबा धर्मानंद की स्थिति कुछ ऐसी ही थी। बाबा ने साम्राज्य खड़ा किया था जनता के बलबूतों पर। जनता का सहयोग बाबाओं को जरूरी होता है। बाबा के कथनी और करनी में बड़ा फर्क होना जरूरी है। मक्कारी बाबाओं के खून के हर कतरे में होना जरूरी है। बाबा इन्हीं सब अवगुणों की खान होना चाहिए। अपवाद स्वरूप कुछ बाबा नैसर्गिक रूप से सरल, शांत और समाज सेवी हो सकते हैं। धर्मानंद अपवाद नहीं हैं। पुलिस डाल-डाल तो वह पात-पात चलने में माहिर।

धर्मानंद ने आजकल एक नया शौक पाल रखा है। दुर्लभ जड़ी-बूटियां ढूँढने का। दावा कर रहा है कि अष्टवर्ग की सभी दुर्लभ जड़ी-बूटियां खोज ली गई हैं। संजीवनी बूटी की खोज में बाबा तिब्बत से लेकर चाइना तक जाने को तैयार है। धर्मानंद ने जड़ी-बूटी में भी जबरदस्त हाथ अजमाया है। तांत्रिक जड़ी-बूटियां तथा अजैविक खाद से निर्मित शाक भजियां भी खेतों में तैयार करना चाहता है मगर किसानों को कोर्ट से स्टे आर्डर मिला हुआ है क्योंकि बाबा ने उनके पूरे पैसे दिए बिना जबरदस्ती रजिस्ट्री करा ली थी। अभी तक वह पचड़ा सुलटा नहीं है। बाबा की वजह से इलाके की सारी जमीने महंगी हो गई। इसलिए धर्मानंद का हाथ तंग है। कुछ किसानों ने बाबा को जान से मारने की धमकी दी है इसलिए बाबा आजकल अपने मुस्टडों के साथ ही आश्रम आता जाता है। किसी भी दिन



बाबा के साथ पंगा न हो ऐसा नहीं होता। रोज एक नया बखेड़ा। बाबा तंग आ चुका है। देह त्यागना चाहता है परंतु तीसरी बीबी के रिक्वेस्ट की वजह से अंतिम फैसला नहीं ले पा रहा है। बाबा की स्थिति कबर में अटके जैसी है लेकिन तीसरी बीबी उम्मीद से है। बाबा की यह कितने नंबर की संतान होगी उन्हें खुद पता नहीं है।

बाबा ने एक बार सभी भक्तों को आश्चर्यचकित कर देने के लिए बड़ी लंबी समय तक सांस रोकने की ठानी। शो के दिन बाबा मूर्च्छित हो गया। लगा कोमा में चला गया है परंतु नसीब अच्छे थे उस दिन बाबा मरते-मरते बचा। बाबा ने कुछ दोहे और चौपाइयां याद करने की बहुत कोशिश की

मगर सफलता नहीं मिली। फिर भी भक्तों को खुश करने के लिए धर्मग्रंथों की एकाद चौपाई जोड़-तोड़ कर और व्याख्या मरोड़ कर पेश कर देता है। बाबा का हाथ अंग्रेजी में बहुत तंग है। वह आज भी अपने मीडिल स्कूल के अंग्रेजी शिक्षक को कोसता है कि उसने ठीक से अंग्रेजी नहीं पढ़ाई चरना आज वह भी कुछ होता। बाबा याद करता है वह जमाना जब शिक्षक विद्यार्थियों को डंडे और लात घुंसों से मारा करते थे। शिकायत करने पर माता-पिता शिक्षक से ज्यादा मार मारते। पढ़ाई करो वरना जीना कठिन था। बाबा से पढ़ाई हो न सकी। केवल इंद्रजाल, लाल किताब और कोकशास्त्र का ही आधा-अधूरा अध्ययन कर पाया। बाबा को मालूम है उसकी पहली और दूसरी बीबियों में रोज झगड़ा-फसाद होता है। बात-बात पर मारपीट और गाली-गलौच की नौबत आती है। बच्चे सारे बेकाबू हो चुके हैं। कुछ तो अपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त पाये गए हैं। बाबा की कमाई का एक बड़ा हिस्सा उड़ा चुके हैं। बाबा की नाबालिग लड़कियां भी अपना घर बसा चुकी हैं। सारा परिवार पस्त लेकिन बाबा मस्त है। उसे इन सबकी कोई फिक्र नहीं है। वह तीसरी बीबी से अच्छे बच्चे की उम्मीद में है।

जमाना अब बदल गया है। लोगों का भूत, प्रेत, बेताल आदि से विश्वास उठ चुका है। लोगों को समझ में आ गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव में अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ अनेक एनजीओ सक्रिय है। आधुनिक पीढ़ी के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं इसलिए उनका टोना-टोटका, तंत्र-मंत्र आदि पर विश्वास नहीं है। उनकी सोच पूरी तरह वैज्ञानिक है इसलिए बाबा का धंधा इन दिनों बहुत मंदा चल रहा है। केवल कुछ अंधविश्वासी, अनपढ़ और मुढ़ लोग ही इलाज करने बाबा के पास आते हैं। अगर यही हाल रहा तो बाबा को लाइन चेंज करनी पड़ेगी। जड़ी-बूटियों का अत्यधिक दोहन और दवाई निर्माण में प्रयोग होने की वजह जड़ी-बूटियां लगभग समाप्त की ओर है इसलिए बाबा का बनाया हेल्दी टॉनिक असरदार नहीं रहा। लोगों ने मिलावट को पहचान लिया है। वह दिन दूर नहीं जब बाबा को अपनी पूरी दुकान समेटनी पड़ेगी। बाबा और बाबा मंडली का लगभग अनपढ़ होना सबको पता चला गया है। संसार का नियम है हर चीज को एक दिन मिटना है। बाबा की नालायकी से तंग आकर कई लोगों ने अब बाबा से दूरी बना ली है। वे अब बाबा के मरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि आश्रम में लूट मचाई जा सके। अंत में मैं इतना ही कह पाया "जय हो बाबा धर्मानंद (धंधानंद) की। मैं वहां से चल दिया। बाबा ने हंसते हुए विदाई दी।

कई दिन बाद पता चला कि बाबा का अध्याय समाप्त हो चुका है और आश्रम को लोगों ने लूटने के बाद आग के हवाले कर दिया है। पाखंडी बाबा का अस्तित्व ही संसार से समाप्त हो चुका है। काश बाबा के द्वारा किए जा रहे इलाज का पेटेंट किसी ने कराया लिया होता तो आज बाबा कागज में जिंदा होता। मगर ऐसा न हो सका। किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। बाबागीरी अथवा साधुत्व का अर्थ ही गेरूआ वस्त्र धारियों को पता नहीं है। दरअसल "मांग मिट्टी, इच्छा सब छुटी, हानि लाभ की गिनती छुटी -जो होता है सो अच्छा है, ऐसी जीवन दृष्टि फूटी" ऐसा कुछ जब तक घटित नहीं होता तब तक साधुगीरी या बाबागीरी फलित नहीं हो सकती। सब अपने-अपने तरीके से प्रयास करते हैं। मगर लाखों में एक

सच्चा साधू या बाबा जन्म लेता है। लाखों-करोड़ों पुण्यात्माओं के कर्म के फलस्वरूप उनके लिए एक सच्चा महात्मा जन्म लेता है। यह संसार की अदभुत घटना होती है। संसार में ऐसी घटना हर 2500-3000 वर्ष बाद घटित होती है। जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर और नानक के बाद ओशो का इस धरती पर आगमन हुआ।

आज महात्माओं और बाबाओं का स्वरूप बदल गया है। हाल ही में बाबाओं द्वारा की गई करतुओं के बाद यह जरूरी हो गया है कि देश में बाबाओं की



गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु 'बाबा रेग्युलेटरी अर्थांरिटी ऑफ इंडिया' यानि की ब्राई नामक नियंत्रक बनाकर बाबा तंत्र को सरकार अपने हाथ में लें। चूंकि हर बाबा आज ट्रेडिंग कंपनी की तरह काम कर रहा है इसलिए बाबाओं को भी कंपनियां मानकर उनके रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो। कंपनी की तरह इसमें सरकारी बाबा और प्राइवेट बाबा दो कटेगरी हो। दोनों को रजिस्ट्रेशन पश्चात 'सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसेमेंट ऑफ बिजनेस' लेने की अनिवार्यता हो ताकि समीपस्थ पुलिस थाने इन पर सतत निगरानी रख सके। इनका पेडअप केपिटल भी हो ताकि बिना पूंजी के कारोबार प्रारंभ कर जनता से दान (डिपॉजिट) लेकर कार्य प्रारंभ न कर सके। इन्हें एनबीएफसी यानि की गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान (विविध) कटेगरी में डाल कर इनके धनसंग्रह को 75% सरकारी खजाने में जमा किए जाने के प्रावधान हों। केन्द्रीय बैंक का इनके धन उगाही गतिविधि पर कड़ा नियंत्रण हो। इनके लिए डायरेक्शन्स जारी हो। इन्हें रिटर्न भरना जरूरी हो। इनके द्वारा आयोजित किए जाने वाले सतसंग (ढांग) में शिरकत करने वालों का ब्योरा सरकार के पास हो। इनके आश्रम के तिमाही निरीक्षण हो। निरीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। विविध कटेगरी में इन्हें सरकारी सुरक्षा मीलें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ये हमेशा पुलिस के नियंत्रण में रहे। इससे इन्हें तुरंत धरपकड़ने को सहुलियत होगी। सरकारी बाबाओं के सतसंग सरकार आयोजित कर जमा धनराशि आपस में बांट लें। जनता का भला होगा।

बाबा धर्मानंद के परमानेंट नर्क सिधारने के पश्चात अब रिटेल में उसके चेले टोना-टोटके का धंधा कर रहे हैं। छुटपुट लोग आज भी उनके पास जाते हैं। जरूरत है देश में जागृति फैलाने की। इन ओझों, तांत्रिकों एवं धधानंद जैसे साधुओं को जनता ने सबक सिखाना चाहिए। इस वैज्ञानिक युग में अब लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि लाल काले धागे हाथ


और गले में पहनने, गंडा तांत्रिज बांधने से कुछ नहीं होने वाला। यह सब वहम है, और मूर्खता है। यह हमारे अंधविश्वासी होने का लाइसेंस है। इस तंत्र-मंत्र के खिलाफ सरकार द्वारा एक बड़ा अभियान चलाया जाना और सख्त कानून बनाना बहुत जरूरी है। शिक्षित और उच्च शिक्षित विद्वानों के रहते अनपढ़ या अल्प शिक्षित बाबा लोग आयुर्वेद औषधियों का धंधा कर बड़े पैमाने पर बिक्री और प्रैक्टिस कर रहे हैं यह कानूनन जुर्म है। पिछलगू लोग उनकी जय-जयकार क्यों करते हैं? एक अनपढ़ आदमी भी अपने नाम के आगे प्रमुख वैद्य का तगमा लगाता है यह विधि सम्मत नहीं है। वह आयुर्वेद महाविद्यालय में लेक्चर देता है, टी.वी. पर लंबा भाषण देता है। इस पर रोक लगनी चाहिए। बिना किसी डिग्री और रजिस्ट्रेशन के देश में कहीं भी मेडिकल प्रैक्टिस पर रोक लगनी चाहिए। कानून को सख्त बनाना चाहिए। बड़े पैमाने पर धरपकड़ होनी चाहिए। नेचुरोपैथी के नाम पर धडडले से आयुर्वेद का प्रयोग थमना चाहिए। नेचुरोपैथी के पूरे देश में रेग्युलेट करने के उपाय होने चाहिए और इसके लिए अलग से पंजियन की व्यवस्था होनी चाहिए। पत्राचार पद्धती के अमान्य मेडिकल कौंसस पर पाबंदी लगानी होगी और किसी भी एनजीओको पंजीयन कराते वक्त कांसील, बोर्ड, विद्यापीठ, आदि शब्दों का प्रयोग न करने हेतु रजिस्ट्रारों को सख्त आदेश जारी करने चाहिए।

यहां एक बाबा दूध से नहाता है, उससे खीर बनती है और हजारों भक्त उसे प्रसाद मानकर खाते हैं। इस देश को कोई बदल नहीं सकता। हमें तो घुटनों के बल चलने की आदत है। पहले अंग्रेजों के सामने फिर सांसद या विधायक रूपी राजा महाराजाओं, अब साधारण नेताओं, दबंगों तथा बाबाओं के सामने घुटने टेकते हैं। इनके दरबारों में हाजरी लगाते हैं। यहां लोग किस हद तक बेवकूफी कर सकते हैं यह कल्पना से बाहर है। हम पहले से ही अपनी सोचने समझने की शक्ति खो बैठे हैं। हर चैनल पर एक कथावाचक संत का रूप धारण किए बैठा है तो सरेशाम 'तंत्रा' की पाठशाला लगाई जा रही है। फल ज्योतिष मान्यता प्राप्त है तो गली-गली भविष्य बताने वाले घूम रहे हैं। लाल किताब फिर से इजाद कर नई कुंडली बनवाई जा रही है। कम से कम 5000/- रुपये लिए जा रहे हैं। ऐसी कुंडली बनाने वालों की योग्यता कोई नहीं पूछता। उन्हें तो केवल लाल किताब वाली कुंडली चाहिए। जिसमें भूत, वर्तमान तथा भविष्य लिखा हो। लोग तरह-तरह के जंतर-मंतर गले, हाथ पैर में पहनकर घूम रहे हैं। गले में लाल काला धागा बांधना तो आम बात है। बंगाली बाबाओं, तांत्रिकों के विज्ञापन अखबारों तथा टीवी पर दिखाए जा रहे हैं। सब उपरी हवा का शर्तिया इलाज करने का दावा करते हैं। अखबार और टीवी चैनलों को कमाई से मतलब।

हमारे यहां एक-एक से बाबा पैदा हुए। धन्य हो ऐसे बाबा जो पैर धोकर जल चेलों को पिलाते हैं। यह तो पुरानी परंपरा है हमारे देश में। सुना है सतयुग में सती-सावित्री पत्नियां पति के पैर धोकर पानी पीती थीं। खेल पुराना है। गुरु के खुर धोकर पीनेवालों, याद रखना आप जो भ्रम अपनी पीठ पर ढो रहे हैं उसे ही अपनी अगली पीढ़ी के लिए तुम छोड़ रहे हो। ये ईश्वर के बारे में ज्ञान बघारने वाले तुम्हारी जेब पर नजर गड़ाये बैठे हैं। उनको गिद्ध दृष्टि को तुम पहचानो। भलाई इसी में है कि इनके चंगुल से धीरे से सटकलो। जिसको दूसरों को अपने सामने झुकाकर मजा आए समझो वह मानसिक रोगी है। ये बाबा अपने आपको भगवान कहलवाने में नहीं झीझकते। इनके नुस्खे देखो। काली पेंट में नीली रूमाल रखोगे तो नौकरी मिलेगी। सोमवार को जलेबी खाओगे तो किस्मत बदल जाएगी।

सोचने की बात है कि क्या हमें अपने रोजमर्रा की दिक्कतों के लिए पाखंडियों की जरूरत है? हैदराबाद में लाखों लोगों को जिंदा मछली खिलाई जा रही है तो कहीं दुख भंजन के नाम पर बेतरतीब व्यायाम कराया जा रहा है। योग और भोग का नया रूप हम देख रहे हैं। गुरु भक्ति की बिमारी ने हमें जकड़ लिया है। बाबा चैनलों के मालिक बन गए हैं। दिन रात छाप रहे हैं। पहले भारत के एक ही 'बापू' थे। अब देखो। बापू ही बापू।

जिन्होंने परमात्मा का नाम रखा वे परमात्मा के पास न पहुंच सके। पाखंडियों का परमात्मा से क्या संबंध? परमात्मा का कोई नाम नहीं हो सकता। पाखंडी बाबा खुद को परमात्मा समान समझकर गरीब, पिंडित और साधारण जनता से खुद की पूजा कराते हैं। बदले में देते हैं सिर्फ धोखा। पाखंडियों से कैसा धर्म उद्धार संभव है। कितने ही लोग समाज में रुतबा और धन पाने के लिए संत बन गए हैं। संतों का जीवन फकीरों सा होता है। फकीर का एक साधारण अर्थ है जिसके घर रोज फाका पड़ता हो। अर्थात् भोजन के लिए कुछ भी नहीं आधुनिक पाखंडी बाबाओं का फकीरों से कोई नाता नहीं। अनाचार और व्यभिचार जिनकी दिनचर्या हो वे समाज को क्या दे सकते हैं? आज कल कुछ संत देश की सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा एजेंसियों के लिए चेलेंज बने हुए हैं। वे अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। आध्यात्मिक प्यास बुझाने के चक्कर में कई लोग इनके चक्कर में पड़ जाते हैं। पाखंड के खिलाफ 'ओशो' तथा डा०



अम्बेडकर ने एक बड़ी जंग लड़कर देश में जागृति फैलाई। अब इसी जागृति को सच्चे संतों के माध्यम से साधारण जनमानस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। संत समाज को भी अब आगे आने की आवश्यकता है तभी पाखंडी बाबाओं पर कुछ नियंत्रण हो पाएगा।

आजकल धर्मगुरुओं की जिस तरीके की हरकतें सामने आ रही हैं उससे

शांतिर अपराधी भी शरमा जाएं। इन पर अपहरण, नरसंहार, जबरन वसूली, जमीन के अवैध सौदे, बलात्कार, आंतकवादी गतिविधियों में शामिल होना, शरीर के अंगों का व्यापार, बाल शोषण आदि कई आरोप लग रहे हैं। लेकिन केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी लोग और वहां की सरकारें बाबाओं से तंग आ चुकी थीं। जापानी धर्मगुरु नसाहारा तथा अमेरिकी धर्मगुरु डेविड कोरेश ऐसे नाम हैं जिनकी वजह से उनके ही अनेक अनुयायी मारे गए। आनंद मार्गियों का इतिहास भी आंखे खोल देगा। प्रश्न ये है कि ये तथाकथित बाबा अनुयायियों पर ऐसा क्या जादू करते हैं कि वे इनके लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं? अपने शारीरिक शोषण का अधिकार भी इन्हें दे देते हैं। साक्षरता बढ़ रही है। लोग जागृत हो रहे हैं फिर बाबाओं की संख्या क्यों बढ़ रही है? पहले भी बाबा रहे हैं लेकिन अब सारा कमाल टी.वी. का है। पैसा लगाओ और टी.वी. पर छा जाओ। फिर धन कमाओ। एक अध्ययन बताता है कि बाबाओं के आश्रम में अधिकतर लोग अपनी बीमारियों का इलाज करने आते हैं क्योंकि अस्पतालों की उचित व्यवस्था हमारे देश में नहीं है। यदि सरकार बहुजनों की चिकित्सा व्यवस्था पूर्ण रूप से आपे हाथ लें और जनता को चिकित्सा पर एक पैसा भी खर्च न करना पड़े तभी बेसहारा जनता बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ेगी। अभी तो आध्यात्मिक प्रवचनों के साथ-साथ बाबा लोग आश्रम में धमार्थ दवाखाने चलाते हैं। गरीब, लाचार और भूखे आदमी को अध्यात्म से क्या लेना देना? उसे मुफ्त में कुछ दवा चाहिए। फ्री खाना चाहिए। पाखंडी बाबा 'क्वेक' यानि की झोला छाप डाक्टर ही है। अशिक्षित और अपजिकृत लुटेरे सर्जन। डॉक्टर न बन सके बाबा बन गए। एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूंगा कि गेरुएं वस्त्र धारण कर लिया मगर ध्यान, ज्ञान, चरित्र, संतोष, सदाचार और स्वच्छ मन कहां से लायेंगे। एक अशांत व्यभिचारी और कपटी आदमी के आर्शिवाद का कोई अर्थ नहीं भले ही उसने गेरुएं वस्त्र धारण कर संत का रूप बनाया हो। उस संत को शर्म नहीं आती मगर हमें आनी चाहिए। अंधभक्ति सर्वनाश का कारण बन सकती है।

छोटे कस्बे के सरकारी अस्पतालों में 'पैरासेटामोल' सब रोगों की एक ही दवा है। दस रुपये की हजार गोलियां सरकारी रेट है। जनता पांच रुपये की पर्ची बनाकर धक्का मुक्की खाकर सरकारी डॉक्टर से दो गोलियां प्राप्त कर धन्य समझती है जबकि उत्तम क्वालिटी की पैरासेटामोल दो रुपये की चार केमिस्ट की दुकान से बिना किसी झंझट के खरीदी जा सकती है। जनता सरकार से नाहक उम्मीद करती है। बाबा लोग सरकार की इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। लेकिन सभी बाबा एक जैसे नहीं होते हैं कई अपने सामाजिक प्रभाव का प्रयोग कर जनता के भलाई में लगे हैं। श्री जग्गी वासुदेव, भय्यूजी, शैलेन्द्र जी, निरंकारी संत, मां अमृतामई, बाबा रामदेव तथा रविशंकर जी कई ऐसे उदाहरण हैं जो वास्तव में भारत के रत्न हैं। समाज सेवा में इनकी अग्रणी भूमिका है। पुटपर्शी के साईबाबा ने लाखों लोगों का भला किया। हजारों परिवारों की पेयजल और स्वास्थ्य समस्या सुलझाई। इस महान योगदान को आप क्या कहेंगे? लाखों लोग इनके आगे अपना शीश व्यर्थ में नहीं झुकाते।

हमारे धर्म संगठित नहीं है। यहां संतों के विस्तृत अध्ययन की परंपरा नहीं है। कोई भी स्वयं को ज्ञानी, योगी, संत, बाबा, सिद्ध घोषित कर सकता है। खुद को गुरु बना सकता है। इसलिए आराजक तत्व भी संत बन जाते हैं। मानसिक परेशानी झेल रहा व्यक्ति मनोवैज्ञानिक के पास न जाकर बाबा

के आश्रम में घुस जाता है। स्वामी का स्पर्श करता है ताकि दुख दूर हो जाए। यह सब दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्म निरपेक्ष देश में किसी भी नागरिक पर किसी भी तरह का प्रभाव डालने की अनुमति किसी भी व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए। सरकार के पास सुरक्षित अधिकार कोई धर्मगुरु कैसे इस्तेमाल कर सकता है? लेकिन ऐसा हो रहा है। राजनीति और धार्मिकता का गहरा संबंध है। धर्मगुरुओं की सीयासी गठजोड़ गहरी है। इसी गठबंधन के कारण शायद इन्हे रसूख मिलता है और वे सामान्य जनता का शोषण करते हैं। ज्यों-ज्यों आदमी का अकेलापन बढ़ रहा है, हताशा बढ़ रही है उसकी बाबाओं से चमत्कार की उम्मीद बढ़ रही है और वह धर्मगुरुओं के हाथ का रोबोट बन रहा है। राजनेताओं द्वारा धर्मगुरुओं के शरण में जाने का हमारे यहां पुराना चलन है। सामाजिक बदलाव के अंतर्गत किसी पंथ से, आश्रम से या बाबा से जुड़ना और सत्संग में भाग लेना अब लोगों को खुद को पहचानने का आभास देता है। लोग अपना आगा-पिछा सुधारना चाहते हैं। वे नाहकही अध्यात्मिक हो जाना चाहते हैं। इसमें उच्च शिक्षित डाक्टर, वकील, इंजीनियर, अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक तक शामिल हैं। मुक्ति की तलाश में सभी गंगा नहाना चाहते हैं। सर्वोच्च शक्ति में विश्वास को छोड़कर ये हम क्या कर रहे हैं इसका किसी को भी ख्याल नहीं रहता। यह सब बदलना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी सदबुद्धि का प्रयोग करें तभी कुछ अच्छा होना संभव है। तब तक अशांभनीय बातें हम सुनते और पाखंडी बाबाओं की हरकतें देखते रहेंगे। पाखंडी बाबा सच्चे और सामाजिक कार्य में व्यस्त बाबाओं/धर्मगुरुओं की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं इसलिए पाखंडी बाबाओं को आजन्म कारावास की सजा मिलनी चाहिए। हमारी न्याय व्यवस्था इसके लिए सक्षम है।

मेडिकल के विभिन्न कोर्स चलाना, डिग्रियां और प्रमाणपत्र बांटना एनजीओ का कार्य नहीं है। उनके मेमोरेण्डम में इन कार्यों को करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। डिग्रियां, डिप्लोमें और प्रमाणपत्र बांटना विश्वविद्यालय और सरकारी बोर्डों का काम है यह बात भी आम जनता को समझाने का कार्य कोर्टों के भरोसे न छोड़कर केन्द्र और राज्य सरकारों को खुद बखुबी करना चाहिए। '10 रुपये में डाक्टर बने' जैसी किताबें झोलाछाप डाक्टरों को पैदा करती हैं। एक बार एक विदेशी एमडी डॉक्टर दिल्ली से आगरा ताजमहल देखने राजधानी एक्सप्रेस से जा रहा था। प्लेटफार्म पर उसने यही किताब देखी और वह वही मूर्च्छित हो गया। होश में आने पर उसने बताया कि उसने व्यर्थ ही डाक्टरी की उच्च शिक्षा पाई। भारत में यह तो 10 रुपए में हो जाता। प्रकाशन समूहों को जनहित में ऐसी पुस्तकों का मुद्रण नहीं करना चाहिए वरना विदेशी डॉक्टर नाहक ही बेहोश होते रहेंगे। मान्यता प्राप्त मेडिकल शिक्षा के संदर्भ में पूरे देश में एकरूपता होनी चाहिए क्योंकि यह मामला सीधा-सीधा जनता के बहुमूल्य स्वास्थ्य से जुड़ा है।

विधि सम्मत तरीके से राज्य/केन्द्र सरकार के बोर्ड या काँसिल से डाक्टर/वैद्य के रूप में प्राप्त पंजीकरण को रद्द करना न्यायालय क्षेत्र के बाहर की विषय वस्तु होनी चाहिए। हां किसी कोर्स या संस्था को अमान्य घोषित किया जा सकता है लेकिन एक बार विधि सम्मत तरीके से प्राप्त रजिस्ट्रेशन को बड़े पैमाने पर रद्द करना या करवाना दोनों बातें सामाजिक न्याय तथा मूलभूत अधिकारों का हनन है। आयुर्वेदरत्न के पाठ्यक्रम के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त मेडिकल रजिस्ट्रेशन

के संबंध में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच आंख मिचौली का खेल चल रहा है। 1967 के बाद केन्द्र सरकार ने आयुर्वेदरत्न पाठ्यक्रम को अमान्य किया किंतु अनेक राज्य सरकारों द्वारा 1990 तक मेडिकल रजिस्ट्रेशन करना जारी रहा। यह केन्द्रीय आयुर्वेद बोर्ड और राज्य आयुर्वेद बोर्डों के बीच मान अपमान का प्रश्न रहा है कि कौन श्रेष्ठ है तथा किसका कानून सिरमौर है। सन 2009 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में किए गए शिफारिश द्वारा अनेक राज्य सरकारों ने आयुर्वेदरत्न के 1967 के बाद के रजिस्ट्रेशन निरस्त करने प्रारंभ दिए तो कुछ राज्य सरकारें अभी फैंसला नहीं कर पा रही हैं। दरअसल यह हजारों पंजीकृत आयुर्वेदरत्न/आयुर्वेद विशारद चिकित्सकों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आयुर्वेदरत्न के पाठ्यक्रम को 1967 के बाद विधि सम्मत नहीं माना। दरअसल जनहित में इसे राज्य सरकारों की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए था कि अपने अधिकार क्षेत्र में जो विधि सम्मत है वे करे क्योंकि हर राज्य में हजारों की तादात में आयुर्वेदरत्न/विशारद पंजीकृत है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में यह बात अवश्य रही होगी कि उक्त शिफारिश से हजारों आयुर्वेद पंजीकृत चिकित्सक प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि इस बात से कोई समझौता नहीं हो सकता कि देश में झोलाछाप डाक्टरों को प्रैक्टिस करने दिया जाए। लेकिन कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स के आधार पर राज्य में पंजीकरण प्राप्त करता है तो वह झोलाछाप डाक्टर नहीं है। ना ही बाद में उसे झोलाछाप डाक्टर घोषित किया जा सकता है बशर्ते कि उसका रजिस्ट्रेशन कम से कम उस राज्य में वैद्य हो जहां वह प्रैक्टिस कर रहा है। कानूनी दांव पेच की लड़ाई लम्बी होती है और जीवन छोटा। कौन जीता कौन हारा यह प्रश्न दायम दर्जे का है लेकिन किसी भी झोलाछाप डाक्टर को किसी भी प्रकार से एक दिन भी चिकित्सा करने का अधिकारी नहीं होना चाहिए। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए लेकिन हमारे देश की विचित्र स्थिति को भी सरकारों द्वारा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश में घर-घर में डाक्टर है। कहीं दादी मां के नुस्खे तो कहीं बड़े बुजुर्गों द्वारा ज्ञात जड़ी बूटिया प्रयोग। कहीं-कहीं तो थोड़ा पढ़-लिखकर जनता स्वयं का इलाज स्वयं करती है क्योंकि शिक्षित डाक्टर छोटी जगह गांव देहात में जाने को तैयार नहीं तो गरीब या मध्यम दर्जे के लोग डाक्टर की फीस चुकाने और दवाईयों का खर्च उठाने में सक्षम नहीं। ऊपर से बाबाओं का कहर। इज्जत लूटने से तक नहीं डरते। बाबाओं के नाते रिश्तेदार भी अत्याचार करते हैं। उनको बाबाओं की शह रहती है।

गांव और छोटे कस्बों तथा बड़े शहरों के दूरदराज क्षेत्र में नकली तथा आउटडेटेड दवाइयों की भरमार है। ड्रग कंट्रोल विभाग पूर्णतरह से निरीक्षण करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में साधारण व्यक्ति बीमार होने पर संसार से जाना तय है। देश की राजधानी छोड़ दे तो राज्यों में चिकित्सा व्यवस्था कैसी है यह बताने की जरूरत नहीं। धनवान, पदवान और नीतिमान लोग विदेशों में भी जाकर अपना इलाज करा सकते हैं मगर गरीब कहां जाए? गांव कस्बों के हजारों गरीब लोग क्लिनिकल रिसर्च के शिकार हैं। रिसर्च और शोध करने के नाम पर देशी-विदेशी कंपनियों ने हमारे देश में षडयंत्र चला रखा है। इसे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। नेचुरोपेथी यानि की नैसर्गिक या प्राकृतिक चिकित्सकों के छोटे पाठ्यक्रमों की तथा अनुभवी चिकित्सकों के राज्यवार पंजीयन की व्यवस्था होनी

चाहिए। 60 साल के शिक्षित और रिटायर्ड बुजुर्गों के लिए छोटे अवधि के प्राकृतिक चिकित्सा के पाठ्यक्रम चला कर उन्हें गांवों में चिकित्सा अभ्यास करने का पंजियन देना चाहिए जिससे गांवों में डाक्टर की समस्या का एक बड़े पैमाने पर हल निकल आएगा। गांव-गांव, शहर-शहर योग साधना तथा अध्यात्मिक केन्द्र खुलने चाहिए। केन्द्र में भी प्राकृतिक चिकित्सा का केन्द्रीय बोर्ड बनाने की आवश्यकता है। नेचुरोपैथी के अवैध बोर्ड, कौंसिल और परिषदों पर तुरंत रोक लगाने की आवश्यकता है चाहे वे देश के कितने भी बड़े आदमी के नाम पर किसी भी उद्देश्य के लिए बनाए गए हों। इन्हें शासकिय अनुदान नहीं देना चाहिए। अमान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति के राष्ट्रव्यापी बोर्ड बनाकर कोर्ट केस के नाम पर ठगी करने वालों की कमी नहीं है। आम लोगों को सही कानूनी पक्ष की जानकारी नहीं होती। वे तो बस डाक्टर लिखने-लिखवाने के चक्कर में अमान्यता प्राप्त कोर्स कर अवैध पंजीयण बटोरकर प्रैक्टिस कर साधारण जनता को गुमराह करते हैं। ये सारे मानसिक रोगी हैं जो विधिवत डाक्टर न बन सके। इनसे देश को बचाना जरूरी है। ऐसे प्राइवेट बोर्डों के संचालकों को तुरंत गिरफ्तार कर इनकी गतिविधियों पर पाबंदी लगाना जरूरी है। इधर मोदी जी ने 'आयुष' के लिए अलग से मंत्रालय बनाकर बड़ा ही नेक कार्य किया है। विलंब से ही सही मगर जो जरूरी था वह हुआ। चूंकि संविधान में चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा यह केन्द्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है इसलिए समस्या जितनी जल्दी सुलझ जाए उतना अच्छा। कानून में एकरूपता लाना प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में बहुत कुछ बहुत जल्दी किए जाने की आवश्यकता है। विश्वास रखना चाहिए कि हालात जरूर बदलेंगे और अच्छे दिन शीघ्र आयेंगे।

वैदिक विश्वविद्यालयों से कर्मकांडों में पारंगत शास्त्री तो बाहर आ सकते हैं मगर संत नहीं। अब ज्ञानी की तरह संत को डिग्री कोर्स प्रारंभ करने की तैयारी की जा रही है। आशा है 'इस्कान' द्वारा भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव और शक्ति वेदांता जैसे डिग्रीधारियों से देश में फ्राड बाबा कम होंगे। दरअसल बाबात्व या बाबागिरी यह बिल्कुल आंतरिक मामला है। यह वैराग्य अंदर की बात है। वैराग्य खरीदा-बेचा नहीं जाता। सन्यास लेने-देने की वस्तु नहीं। यह अंदर अतःआत्मा का बीज है जो स्वतः ही रोपित हो जाता है। इसकी खेती नहीं की जा सकती। संतो की पैदावार नहीं होती। अरबो-खरबो एकड़ में एक बीज उगता है जो संसार को नई दिशा दे जाता है। वह नैसर्गिक चिकित्सक होता है। उसे प्राकृतिक, शारीरिक, वैदिक, सैधात्मिक और अध्यात्मिक चिकित्सा का ज्ञान होता है। वह परमात्मा और प्रकृति के बीच एक कडी के रूप में काम करता है। वह सर्वोच्च शक्ति से ही उत्पन्न होता है। वह हरेक अनुयायी के बहुत करीब होता है। ऐसे सर्वांग चिकित्सक संसार में उंगलियों पर गिनती करते इतने ही पैदा हुए। धन्य है जो ऐसे ही एक सर्वांग चिकित्सक 'ओशो' की सदी में जन्में, जिन्होंने उस महान चिकित्सक के दर्शन किए, उनके प्रवचन सुने, उनके कदमों की धूल अपने माथे लगाई, उन्हें प्रणाम किया और उनकी अलौकिक आभा से दीक्षित हुए शिक्षित हुए। विकारों से नहीं विचारों से आनंदमय जीना सीख पाए।

(बाबा धर्मानंद की कहानी काल्पनिक समझे)


तीन महीने का सतत प्रयोग

अक्सर ऐसा होता है, आप में से कई ने न मालूम कितनी बार ध्यान शुरू किया होगा, फिर छोड़ दिया होगा। फिर शुरू करेंगे, फिर छोड़ देंगे। नहीं, कम से कम तीन महीना बिल्कुल सतत। और तीन महीना क्यों कहता हूँ। क्या इसलिए कि तीन महीने में सब कुछ हो जाएगा?

जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है कि तीन महीने में इतना रस जरूर आ जाएगा कि फिर एक दिन बंद करना असंभव है। तीन महीने में भी हो सकती यह घटना। नहीं होगी, ऐसा भी नहीं कहता हूँ। तीन दिन में भी हो सकती है, तीन घंटे में भी, तीन क्षण में भी हो सकती है। आप पर निर्भर करता है कि कितनी प्रगाढ़ता से आपने छलांग मारी। लेकिन तीन महीना इसलिए कहता हूँ कि मनुष्य के मन की कोई भी गहरी पकड़ बनने के लिए तीन महीना जरूरी सीमा है।

आपको शायद पता न हो, अगर आप नये घर में रहने जाएं तो कम से कम तीन सप्ताह लगते हैं आपको इस बात को भूलने में कि वह नया घर है। वैज्ञानिक बहुत प्रयोग किए हैं। तब वे कहते हैं कि इक्कीस दिन कम से कम लग जाते हैं, पुरानी चीज बनाने में नई चीज को। नये मकान में आप सोते हैं पहले दिन तो नींद ठीक से नहीं आती। वैज्ञानिक कहते हैं कि नींद की नार्मल स्थिति लौटने में कम से कम इक्कीस दिन, तीन सप्ताह लग जाते हैं।

जब मकान बदलने में तीन सप्ताह लग जाते हों, तो चित्त बदलने में तीन महीने को बहुत ज्यादा तो नहीं कहिएगा न। तीन महीने बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत थोड़ी सी बात है। तीन महीने सतत, इसका संकल्प लें कि तीन महीने सतत करेंगे।



(ध्यान दर्शन, प्रवचन 10)

हिंदी साहित्य और सिनेमा



सौरभ शेखर झा,
पत्रकार एवं अनुवादक

भारत में फिल्मों ने 100 वर्षों की यात्रा पूरी कर ली है। दरअसल वह अपने दौर का सबसे बड़ा चमत्कार था जब हिलती-डुलती,

दौड़ती-कूदती तस्वीरें पहली बार पर्दे पर नजर आईं। 14 मार्च, 1931 को इस चमत्कार में एक सम्मोहन शामिल हो गया और वह सम्मोहन था ध्वनि का। अब पर्दे पर दिखाई देने वाले चित्र बोलने लगे। 1931 में पहली बोलती फिल्म 'आलम आरा' से आज तक सर्वाधिक फिल्में हिंदी भाषा में ही बनाई गई हैं। इस तरह हिंदी भारत ही नहीं, भारत के मुख्य सिनेमा की भी भाषा है। विश्व में हिंदी सिनेमा ही भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करता है। इसी के साथ एक सच यह भी है कि हिंदी में साहित्यिक कृतियों पर सबसे कम सफल फिल्में बन पाई हैं।

हालांकि सिनेमा और साहित्य दो पृथक विधाएं हैं लेकिन दोनों का पारस्परिक संबंध बहुत गहरा है। जब कहानी पर आधारित फिल्में बनने की शुरुआत हुई तो इनका आधार साहित्य ही बना। भारत में बनने वाली पहले फीचर फिल्म दादा साहब फाल्के ने बनाई जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक 'हरिश्चंद्र' पर आधारित थी। साहित्यिक कृतियों पर ढेरों फिल्में बनीं लेकिन कुछ अपवादों को छोड़ अधिकांश का ऐसा हश्र हुआ कि मुंबईया फिल्मकार हिंदी की साहित्यिक कृतियों पर फिल्म बनाने से गुरेज करते हैं। साल भर में मुश्किल से कोई एक फिल्म ऐसी होती है। जो किसी साहित्यिक कृति को आधार मानकर बनाई गई हो।


बोलती फिल्मों का शुरुआती दौर पारसी थिएटर की विरासत भर था जहां अति नाटकीयता और गीत संगीत बहुत होता था। धीरे-धीरे विषयों के चयन में विविधता आने लगी। फिल्म बनाने वालों ने स्थापित लेखकों और उनकी कृतियों को स्थान देना शुरू किया। हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्यकार प्रेमचंद को अजंता मूवीटोन कंपनी ने 1933 में मुंबई आमंत्रित किया। फिल्मों को बोलना शुरू किए अभी महज दो साल ही हुए थे। प्रेमचंद की कहानी पर मोहन भावनानी के निर्देशन में फिल्म 'मिल मजदूर' बनी। निर्देशक ने मूल कहानी में कुछ बदलाव किए जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आए। फिर अंग्रेजों के संसर ने फिल्म में काफी कांट-छांट कर दी। इसके बाद फिल्म का, जो स्वरूप सामने आया उसे देख प्रेमचंद को काफी धक्का लगा। उन्होंने कहा कि यह प्रेमचंद की हत्या है। प्रेमचंद की यह कहानी फिल्म के निर्देशक और मालिक की कहानी है। इस फिल्म पर मुंबई में प्रतिबंध लग गया और पंजाब में यह 'गरीब मजदूर' के नाम से प्रदर्शित हुई।

1934 में प्रेमचंद की ही कृतियों पर 'नवजीवन' और 'सेवासदन' बनीं लेकिन दोनों फिल्में फ्लॉप हो गईं। 1941 में ए.आर. कारदार ने प्रेमचंद की कहानी 'त्रिया चरित्र' को आधार बना कर 'स्वामी' नाम से फिल्म बनाई जो चली नहीं। यही हाल 1946 में प्रेमचंद के उपन्यास 'रंगभूमि' पर इसी नाम

से बनी फिल्म का हुआ। इस बीच उपेंद्रनाथ अशक, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा और पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र' फिल्मों में हाथ आजमाने पहुंच चुके थे। फिल्मिस्तान में काम करते हुए अशक और किशोर साहू के साथ लेखन करने वाले अमृतलाल नागर सिनेमा की आवश्यकताओं और सीमाओं को समझ चुके थे। इसलिए वे कुछ समय तक वहां टिके रहे। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी साहित्यिक कृति को सिनेमा में नहीं बदला बल्कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की मांग के मुताबिक पटकथा और संवाद लिखते रहे। उग्र अपने विद्रोही और यायावरी मिजाज की वजह से बहुत जल्द मुंबई को अलविदा कह आए। भगवती चरण वर्मा भी साल भर में ही वापस लौट आए।

किशोर साहू जब फिल्मों में पहुंचे तो वे कहानियां और नाटक लिख रहे थे। उनके तीन कहानी संग्रह भी छपे। उन्होंने उपेंद्रनाथ अशक और भगवती चरण वर्मा को लेखन के मौके जरूर दिए लेकिन खुद हिंदी की किसी साहित्यिक कृति पर फिल्म नहीं बना सके। उन्होंने शेक्सपियर के नाटक 'हेमलेट' पर इसी नाम से एक फिल्म जरूर बनाई लेकिन फ्लॉप रही। इस बीच 1941 में भगवतीचरण वर्मा के उपन्यास 'चित्रलेखा' पर केदार शर्मा ने इसी नाम से फिल्म बनाई और फिल्म सफल भी रही। इसे उस दौर की फिल्मों में अपवादस्वरूप लिया जा सकता है। फिर भी कई कारण ऐसे रहे कि 'चित्रलेखा' की सफलता फिल्मकारों को हिंदी की साहित्यिक कृतियों पर फिल्म बनाने के लिए प्रेरित नहीं कर सकी और जिन लोगों ने इक्का-दुक्का कोशिश की, उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा।

उदाहरण के लिए 1960 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी 'उसने कहा था'



पर इसी नाम से फिल्म बनी, आचार्य चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास पर 'धर्मपुत्र' नाम से बीआर चोपड़ा ने फिल्म बनाई, रेणु की 'कहानी मारे गए गुलफाम' पर 'तीसरी कसम' बनी और तीनों फिल्में बुरी तरह फ्लॉप रहीं। 'तीसरी कसम' को भले ही उसकी श्रेष्ठता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला लेकिन फिल्म फ्लॉप होने से भारी कर्ज के बोझ तले दब चुके इसके निर्माता गीतकार शैलेन्द्र को दुनिया से कूच करना पड़ा। फिल्मों के

लिए कई कहानियां लिख चुके और फिल्में बना चुके कहानीकार राजेन्द्र सिंह बेदी की कृति 'एक चादर मैली सी' पर भी जब फिल्म बनी तो वह भी फ्लॉप साबित हुई। प्रेमचंद की मृत्यु के काफी समय बाद उनकी तीन कहानियों पर फिल्में बनीं लेकिन चर्चित हो सकी सत्यजित राय द्वारा

बनाई गई पहली हिंदी फिल्म 'शतरंज के खिलाड़ी'। तो क्या सत्यजित राय जैसे फिल्मकार ही हिंदी साहित्य को सेलूलाइड पर उतारने में सक्षम थे। प्रेमचंद जिनकी अधिकांश कहानियां और उपन्यास लोगों को बेहद पसंद आए, न केवल हिंदी भाषियों को बल्कि भारत की अन्य भाषाओं और विदेशी भाषा के पाठकों को भी, तो क्या उनके साहित्य में फिल्म बनाने लायक कहानी नहीं थी। जिस साहित्य को अशिक्षित भी सुनकर मुग्ध हो जाते थे उस पर सफल फिल्म क्यों नहीं बन सकी या फिर यह माना जाए कि हिंदी भाषी फिल्मकारों में ही कोई कमी थी जो विदेशी फिल्मों से कहानियां चुराकर फिल्म बनाना ज्यादा आसान समझते हैं।

हिंदी की साहित्यिक कृतियों पर फिल्म न बनने का शोर साठ के दशक में सरकारी वर्ग तक भी पहुंचा। फिल्म वित्त निगम ने आगे बढ़कर सरकारी खर्च पर अनेक ख्याति प्राप्त साहित्यकारों की कृतियों पर फिल्मों का निर्माण कराया। इनमें से अधिकांश फिल्में डिब्बों में बंद हैं। कुछ फिल्में गिने-चुने स्थानों पर रिलीज जरूर हुईं लेकिन वे इतनी नीरस और शुष्क थीं कि सीमित बौद्धिक वर्ग के अलावा किसी ने उनकी चर्चा तक नहीं की। इन फिल्मों को बनाने वाले अधिकतर फिल्मकारों ने फिल्म तकनीक का तो ध्यान रखा लेकिन दर्शक उनकी प्राथमिकता में कहीं नहीं थे।

दरअसल, हिंदी की साहित्यिक कृतियों पर सफल फिल्म न बन पाने के कई कारण हैं। साहित्य लेखन अलग विधा है। कहानी या उपन्यास का सृजन एक नितांत व्यक्तिगत कर्म है। जबकि फिल्म लेखन में निर्देशक, अभिनेता-अभिनेत्रियों यहां तक कि कैमरामैन को निर्देशक की दृष्टि पर निर्भर रहना पड़ता है। फिल्म एक लोक विधा है। साहित्य शिक्षितों की विधा है। फिल्म तो रामलीला और लोकनाट्य की तरह आम जनता तक अपनी बात पहुंचाती है, उसका उद्देश्य मनोरंजन है चाहे उसके दर्शक अनपढ़ हों या फिर पढ़े लिखे। हिंदी के कई साहित्यकार इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाए। इसके अलावा प्रेमचंद के समय से ही फिल्म निर्माताओं ने लेखक को वह महत्व ही नहीं दिया जिसका वह अधिकारी होता है। सिनेमा में लंबे समय तक लेखक दायम दर्जे की हैसियत का समझा जाता था। यह स्थिति अधिकांश साहित्यकारों को स्वीकार्य नहीं हुई। यह कहना गलत नहीं होगा कि अनेक साहित्यकारों ने फिल्मी दुनिया में अपने लिए जगह तो चाही लेकिन फिल्मकारों और स्थितियों से तालमेल नहीं बन सका। अपने समय के साहित्यकारों का फिल्मी दुनिया में हाल देखकर उनके समकालीन और बाद की पीढ़ी के साहित्यकारों का फिल्मी दुनिया से मोह भंग हो गया।

एक कारण यह भी रहा कि फिल्म बनाने की मुख्य धुरी वह व्यक्ति होता है जो पैसा लगाता है और जो पैसा लगाता है फिल्म निर्माण के हर क्षेत्र में उसका दखल चलता है। हिंदी का दुर्भाग्य रहा कि फिल्मों में पैसा लगाने वाले सेठ साहित्य से न के बराबर सरोकार रखने वाले रहे। वहीं हिंदी सिनेमा पर पंजाबी, उर्दू और बांग्लाभाषी फिल्मकार शुरू से ही हावी रहे हैं। 1931 से 1938 तक हिंदी फिल्में बनाने वाले प्रमुख लोग बाबूराव पेंटर, भालजी पेंढाकर, वी. शांता राम मराठी भाषी थे। पीसी बरुआ, देबकी बोस, नितिन बोस बंगाली थे, चंदूलाल शाह गुजराती तो आर्देशिर ईरानी और वाडिया बंधु पारसी थे, जिनकी प्राथमिकता में हिंदी की साहित्यिक कृतियां लगभग नहीं रहीं।

दूसरा पहलू यह भी है कि साहित्यिक कृतियों पर फिल्म लेखन करवाना आसान काम नहीं है। इसके लिए पहली शर्त है निर्देशक और प्रोड्यूसर


का कृति के मर्म तक पहुंचाना साहित्यकार की मानसिक बुनावट समझ पाना, बाजार के दबाव और मनोरंजन के तकाजों के बीच साहित्यकार की सोच के साथ इंसाफ करना। होता यह है कि साहित्यकार की अपनी कल्पना होती है पाठक को वह उस कल्पना से शब्दों के सहारे रू-ब-रू कराता है। एक ही कहानी पाठकों के मन में अलग-अलग रूप और प्रभाव के साथ रच बस सकती है जबकि फिल्मकार को कैमरे के माध्यम से कहानी को इस प्रकार प्रस्तुत करना होता है, जिससे अलग-अलग प्रदेश, वर्ग और भाषा के दर्शक उससे खुद को जोड़ सकें। सिनेमा में दृश्य और ध्वनि का महत्व शब्दों से अधिक होता है।

सिनेमा से जुड़ा एक तथ्य यह भी है कि साहित्य लेखन में बाजार की अहम भूमिका नहीं होती जबकि सिनेमा में बाजार का तत्व न केवल लागू होता है बल्कि हावी भी होता है क्योंकि फिल्म की

लागत बहुत होती है। हिंदी के मुकाबले बंगाली फिल्मकारों ने साहित्यिक कृतियों को फिल्माने में लेखक की संवेदना, बाजार के तकाजों और फिल्म मेकिंग का जबरदस्त तालमेल बनाया। यहां तक कि उन्होंने बांग्ला कृतियों को हिंदी फिल्मों में ढाला तो वे भी सफल फिल्में साबित हुईं।

शरतचंद्र के उपन्यास पर 'देवदास' के नाम से हिंदी में 1925 और 1955 में फिल्में बनीं और दोनों बेहद सफल रहीं। यही हाल 'परिणिता' और 'मंजुली दीदी' का भी रहा। बंकिम चटर्जी की कृतियों पर 'आनंदमठ' और 'दुर्गेश नंदिनी' जैसी सफल फिल्में बनीं। रवींद्रनाथ ठाकुर की कृति नौका डूबी पर 'मिलन' (1946) विमल मित्र के उपन्यास 'साहब बीबी और गुलाम' पर इसी नाम से बनी फिल्में बेहद सफल रहीं। यहां केवल कुछ ही फिल्मों का उल्लेख है जबकि इनकी संख्या इससे कहीं अधिक है। यह कहना गलत न होगा कि बांग्ला भाषी फिल्मकारों ने साबित कर दिया कि अगर फिल्मकार, पटकथा और संवाद लेखक साहित्यकार के मानसिक स्तर तक खुद को ले जाने में सफल रहे तो रचना के साथ न्याय किया जा सकता है।

सिनेमा में हिंदी साहित्यकारों का असर सातवें दशक में नजर आता है। इसका प्रणेता अगर कमलेश्वर को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उपेंद्रनाथ अशक और अमृतलाल नागर के बाद कमलेश्वर ही वह महत्वपूर्ण हिंदी साहित्यकार थे जिन्होंने सिनेमा की भाषा और जरूरत को बेहतरीन ढंग से समझा। टेलीविजन से शुरुआत कर उन्होंने सिनेमा में दखल दिया और लंबे समय तक टिके रहे। मुंबई में रहने के दौरान वह ऐसे फिल्मकारों



के संपर्क में आए जो साहित्यिक रुचि रखते थे। कमलेश्वर के उपन्यास 'एक सड़क सत्तावन गलियां' और 'डाक बंगला' पर क्रमशः 'बदनाम बरती' (1971) और 'डाक बंगला' (1974) बनीं लेकिन सफल नहीं हो सकीं। उनकी कहानी पर और भी फिल्में बनीं लेकिन जब गुलजार ने कमलेश्वर की कृति पर 'आंधी' और 'मौसम' बनाई तो दोनों फिल्में मील का पत्थर साबित हुईं। आम दर्शन और बौद्धिक वर्ग दोनों ने इन फिल्मों को सराहा। इसके लिए कमलेश्वर से अधिक प्रशंसा के पात्र गुलजार हैं जिन्होंने मूल कृतियों की संवेदना को गहराई से समझा और दोनों फिल्मों की पटकथा, संवाद और गीत खुद ही लिखे।

सातवें दशक में एक ओर हिंदी कथा साहित्य में बदलाव आ रहा था वहीं हिंदी भाषी फिल्मकारों की संख्या भी बढ़ रही थी। बासु चटर्जी बांग्ला भाषी थे लेकिन उन्होंने हिंदी साहित्य का गहरा अध्ययन किया था। राजेन्द्र यादव के उपन्यास 'सारा आकाश' पर उन्होंने फिल्म बनाई जो सफल नहीं हो सकी लेकिन मन्नू भंडारी की कहानी 'यही सच' पर जब उन्होंने 'रजनीगंधा' बनाई तो वह फिल्म लोकप्रिय साबित हुई। हिंदी साहित्य की कृतियों पर उस दौर में कुछ और फिल्में बनीं लेकिन तभी हिंदी फिल्मी दुनिया में एक एंग्रीमैन अमिताभ बच्चन का प्रवेश हुआ और बासु चटर्जी, हषीकेश मुखर्जी, गोविंद निहलानी, श्याम बेनेगल, अरुण कौल, गुलजार जैसे फिल्मकारों के होते हुए भी हिंदी फिल्में भारी हिंसा और घटिया हास्य से लहलुहान होने लगी। यह दौर उड़द दशक से ज्यादा चला।

इस दौर में मनोरंजक विदेशी फिल्मों की हूबहू नकल का शॉर्टकट खूब चला। इस दौरान कला फिल्मों के नाम पर कुछ साहित्यिक कृतियों पर फिल्में जरूर बनीं लेकिन आम दर्शक को ये फिल्में छू भी न सकीं। नवें दशक के अंत में हिंदी फिल्मों में प्रयोग शुरू हुए लेकिन साहित्यिक कृतियां लगभग नदारद रहीं। हिंदी फिल्मों को मौजूदा परिदृश्य बहुत बदल चुका है हर तरह की फिल्में बन रही हैं। विषयों में इतनी विविधता पहले कभी नहीं दिखाई दी। छोटे बजट की फिल्मों का बाजार भी

रजनीगंधा



फूल-फल रहा है। साहित्यिक कृतियों पर फिल्म बनाने की समझ रखने वाले युवा हिंदी भाषी फिल्मकारों की जमात तैयार हो चुकी है लेकिन फिलहाल हिंदी फिल्में पत्रकारिता से फायदा उठा रही हैं। अभी जोर बायोग्राफिकल फिल्में बनाने पर अधिक है। शायद अगला नंबर साहित्यिक कृतियों का हो लेकिन जरूरी नहीं वे

कृतियां हिंदी साहित्य की हों।

चलते-चलते : बॉलीवुड में शुरू से हिंदी साहित्य पर आधारित फिल्में बनती रही हैं। यही नहीं, विदेशी लेखकों के उपन्यास और नाटकों पर आधारित फिल्में भी बनती रही हैं। जहां एक ओर शरत चंद्र, रबींद्रनाथ टैगोर, बिमल राय, के आर नारायणन, चेतन भगत जैसे कई लेखकों की रचनाओं पर अब तक काफी फिल्में बन चुकी हैं, वहीं दूसरी ओर

शेक्सपियर, रस्किन बॉन्ड जैसे कई विदेशी लेखकों की रचनाओं पर भी फिल्में बन चुकी हैं। विशाल भारद्वाज की फिल्म ओमकारा और मकबूल जहां शेक्सपियर के नाटक ओथेलो और मैकबेथ पर आधारित थीं, वहीं



विशाल भारद्वाज की ही एक और फिल्म सात खून माफ, रस्किन बॉन्ड की कहानी सुजैना सेवेन हसबैंड पर आधारित थी। हालिया रिलीज फिल्मों में से एक काई पो चे चेतन भगत के चर्चित उपन्यास श्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ पर आधारित थी। टीवी कलाकार सुशांत सिंह राजपूत इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे। गुजरात दंगा और तीन दोस्तों की दोस्ती पर आधारित इस फिल्म को अपार सफलता मिली। गौरतलब है कि इसके पहले भी चेतन भगत के उपन्यासों पर आधारित दो फिल्में बन चुकी हैं। चेतन भगत वर्ष 2008 में प्रदर्शित फिल्म हैलो के स्क्रिप्ट राइटर थे और यह फिल्म उन्हीं के उपन्यास वन नाइट ऐट द कॉल सेंटर पर आधारित थी। अतुल अग्निहोत्री निर्देशित यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई। फिल्म में शरमन जोशी, सोहेल खान, ईशा कोपिकर, गुल पनाग और अमृता अरोड़ा मुख्य भूमिका में थे। सच तो यह है कि सलमान का गेस्ट अपियरेंस भी इस फिल्म में जान न डाल सकी, लेकिन चेतन की ही उपन्यास पर बनने वाली दूसरी फिल्म को अपार सफलता मिली। चेतन भगत के उपन्यास फाइव प्वाइंट समवन पर राजकुमार हिरानी ने श्री इडिएट्स बनाई थी। इस फिल्म ने 200 करोड़ से अधिक की कमाई की थी। हालांकि इस फिल्म में कई सारे दृश्य ऐसे थे, जो चेतन के उपन्यास में नहीं थे। वैसे, फिल्म का क्लाइमेक्स भी उपन्यास से बिल्कुल अलग हटकर था। देवदास फिल्मकारों को इतना पसंद आया है कि उस पर अब तक कई भाषाओं में 12 बार फिल्में बन चुकी हैं। इनमें यदि अनुराग कश्यप की फिल्म देवडी को भी शामिल करेंगे, तो यह संख्या और भी बढ़ जाएगी। सबसे पहले वर्ष 1935 में निर्देशक प्रमथेश चंद्र बरुआ ने फिल्म देवदास बनाई। फिल्म में के एल सहगल ने देवदास का किरदार निभाया था। वहीं चंद्रमुखी का किरदार इस फिल्म में अभिनेत्री राजकुमारी और पारो का किरदार जमुना बरुआ ने निभाया था। देवदास उपन्यास पर बनी यह पहली फिल्म थी। इसके बाद इसी उपन्यास पर विमल रॉय ने भी वर्ष 1955 में फिल्म बनाई। फिल्म में देवदास बने थे दिलीप कुमार। जबकि वैजंतीमाला चंद्रमुखी और सुचित्रा सेन पारो की भूमिका में थीं। संजय लीला भंसाली की बड़ी हिट फिल्मों में देवदास का नाम सबसे पहले लिया जाता है। संजय ने इसी उपन्यास पर वर्ष 2002 में देवदास के नाम से फिल्म बनाई। इसमें शाहरुख खान देवदास की भूमिका में, पारो के किरदार में ऐश्वर्या रॉय और चंद्रमुखी के किरदार में माधुरी दीक्षित दिखीं। फिल्म बहुत बड़ी

हिट साबित हुई। वहीं शरद चंद्र की एक और रचना परिणिता पर भी एक नहीं, कई बार फिल्में बन चुकी हैं। सबसे पहले इस पर अजय कर ने वर्ष 1969 में परिणिता नाम से फिल्म बनाई। बांग्ला भाषा में बनी इस फिल्म में सौमित्र चटर्जी और मौसमी चटर्जी मुख्य भूमिका में थे। वर्ष 2005 में फिर प्रदीप सरकार ने परिणिता पर इसी नाम से फिल्म बनाई। फिल्म का निर्माण विधु विनोद चोपड़ा ने किया। विद्या बालन, सैफ अली खान, संजय दत्त और राइमा सेन इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे। फिल्म व्यवसायिक रूप से तो ज्यादा सफल नहीं हुई, लेकिन इसे दर्शकों ने बेहद सराहा। इसके अलावा, आर के नारायण के उपन्यास गाइड पर देव आनंद के भाई विजय आनंद ने गाइड नाम से ही फिल्म बनाई। वर्ष 1965 में बनी इस फिल्म में देव आनंद और वहीदा रहमान मुख्य भूमिका में थे। फिल्म के सारे गाने हिट थे और आज भी लोकप्रिय हैं। कई अवॉर्ड जीतने वाली यह फिल्म हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। फिल्म में देवआनंद राजू गाइड की भूमिका में थे, वहीं वहीदा रहमान एक कुशल नर्तकी और पति द्वारा उपेक्षित महिला रोजी की किरदार में थीं। एक और उपन्यास भारतीय लेखक विकास स्वरूप के उपन्यास क्यू एंड ए पर बनी फिल्म स्लमडॉग मिलिनेयर काफी बड़ी हिट साबित हुई फिल्म ने ऑस्कर भी जीता। निर्देशक थे डैनी बायल। फिल्म को पूरी दुनिया के लोगों ने पसंद किया। फिल्म में रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर पूछे गए प्रश्नों को आधार बनाकर नायक की जिंदगी को दिखाने का प्रयास किया गया। फिल्म में अनिल कपूर, इरफान खान, देव पटेल और फ्रीडा पिंटो मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म की कामयाबी को देख कर विकास स्वरूप ने अपने उपन्यास का नाम बदल कर फिल्म के नाम पर स्लमडॉग मिलिनेयर रख दिया। जानी-मानी लेखिका अमृता प्रीतम के उपन्यास पिंजर पर इसी नाम से फिल्म बनी। बंटवारे के दौरान हुए सामाजिक उथल-पुथल, प्यार और नफरत पर आधारित इस फिल्म को बेहद पसंद किया गया। निर्देशक थे चंद्र प्रकाश द्विवेदी। वर्ष 2003 में बनी इस फिल्म को तीन भाषाओं हिंदी, उर्दू और पंजाबी में बनाया गया। फिल्म के मुख्य कलाकार थे मनोज बाजपेयी, उर्मिला मातोंडकर और प्रियांशु चटर्जी। व्यवसायिक दृष्टि से औसत रही इस फिल्म को लोगों ने बेहद सराहा। फिल्म में एक ऐसी हिंदू लड़की उर्मिला की कहानी दिखाई गई है, जिसका एक मुसलमान द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। बाद में वह लड़की उस मुसलमान लड़के की अच्छाईयों से प्रभावित होकर उसी के साथ रहने लगती है और अपने घरवालों के साथ हिंदुस्तान जाने से मना कर देती है। पाप और पुण्य की परिभाषा बताती भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा पर भी फिल्म बनी है। अब तक इस पर दो फिल्में बन चुकी हैं। इन दोनों ही फिल्मों का निर्देशन केदार शर्मा ने किया। पहली बार वर्ष 1941 में चित्रलेखा बनी। फिल्म में मिस महताब और नंदरेकर मुख्य भूमिका में थे। इसके बाद वर्ष 1964 में केदार शर्मा ने एक बार फिर से चित्रलेखा बनाई। इस बार अशोक कुमार, मीना कुमारी और प्रदीप कुमार मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म व्यवसायिक तौर पर सफल तो नहीं हुई, लेकिन इस फिल्म को खूब पसंद किया गया। इस प्रकार हमने देखा कि चाहे फिल्में हिट रही या फ्लॉप हिंदी साहित्य पर फिल्में बनती रही हैं। आशा करनी चाहिए कि साहित्य आधारित फिल्म निर्माण का सिलसिला चलता रहे और हमें बेहतरीन फिल्म दिखाती रहे।

आधार

शास्त्र जो मनुष्यों को मनुष्य में विभाजित करते हो वे मनुष्य को परमात्मा से न जोड़ पाएं न वहां पहुंचने की सीढ़ी बन पाएं। किसी भी शरीर के मरने का एकमात्र कारण उसकी सम्पूर्ण ऊर्जा का विसर्जन है। शरीर की सम्पूर्ण ऊर्जा समाप्त होते ही शरीर निर्जिव हो जाता है। इसे ही मृत्यु कहते हैं। धर्म शास्त्रों में मृत्यु पर विजय पाने की कोई दवा उपलब्ध नहीं है।

मनुष्य और मनुष्य के बीच की दीवार पुस्तकों की दीवार है। सब अपनी पुस्तक को क्षेप्य मानकर दूसरी पुस्तक का उपहास उड़ाते हैं। पुस्तकें ही मनुष्य को आपस में लड़ा रही हैं। इन पुस्तकों को पढ़ने से ज्ञान की आवृत्ति सिकुड़ जाती है और तुम्हें आभास होता है कि तुमने कुछ जान लिया है, पा लिया है। यह तुम्हारा भ्रम है। देश में धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। मंदिर, मस्जिद, जैन मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजे और बुद्ध विहार सबके लिए खुले होने चाहिए। लोग हर दिन स्थान बदल-बदल कर प्रार्थना करें। जहां मन चाहे वहां प्रार्थना करें। तभी यह देश वास्तव में स्वतंत्र होगा। गुरुद्वारे, जैन मंदिर, बुद्ध विहार तो सबके लिए खुले हैं मगर मंदिरों और मस्जिदों को व्यवस्थापकों को अब निर्णय करना होगा।

उपदेश देने और सुनने से जीवन में सत्य का आगमन नहीं होता। यह मनुष्य के भीतर जो परमात्मा बैठा है उसका अपमान करने जैसा है सत्संग की वाणी के माध्यम से ईश्वर के पाने की कामना करना। सारे शास्त्र स्मृति की देन हैं। स्मृति (मेमोरी) ज्ञान नहीं है। ज्ञान वही है जो जीवन में क्रांति भर दें। हर स्त्रिलिंग ने पुल्लिंग पर विश्वास किया और सृष्टि को जन्म दिया। यह संसार माताओं की देन है। संसार में अविश्वास की चारों तरफ आग लगी है। किसी का ज्ञान तुम्हारे काम न आ सकेगा। अपने विवेक से काम लो। विश्वास और अविश्वास से मुक्ति ही परमात्मा के पास पहुंचने की पहली सीढ़ी है। विवेक जागृत रहते हुए संसार से मुक्ति पाना ही निर्वाण है। कठिन है परंतु असाध्य नहीं। अभ्यास करते रहो। आधार निर्माण करो।

—श्वामी तथागत भारती

रेडियो की दुनिया और मन की बात



प्रभात रंजन,
उप प्रबंधक

आज से तीस चालीस साल पहले तक अधिकांश पढ़े-लिखे लोग आल इंडिया रेडियो या बीबीसी लंदन के माध्यम से जहां समाचार सुनने के लिए दीवाने होते थे, वहीं मनोरंजन एवं फिल्मी गीतों के लिए विविध भारती या रेडियो सीलोन पर कान लगाए बैठे होते थे। उस दौर में बड़े नगरों, महानगरों में समाचार पत्र तो मिल जाते थे लेकिन छोटे नगरों, कस्बों या देहातों में समाचार पत्र न के बराबर होते थे या फिर दो-तीन बासी होते थे। इसका कारण था संचार एवं यातायात के साधनों का अभाव। फलतः लोग रेडियो/ट्रांजिस्टर पर पूर्णतः निर्भर रहते थे। यह एक ऐसा दौर भी था, जब बेटे की विदाई पर एक अदद रेडियो/ट्रांजिस्टर भी दिया जाता था, ताकि ससुराल में उसका मन लगा रहे। यह पूरे देश को एक सुर से जोड़ने का अचूक माध्यम था। इस रेडियो ने ही लता, रफी, किशोर, आशा, मन्नाडे एवं महेन्द्र कुमार के गीतों को कालजयी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

‘देश की सुरीली धड़कन’ होने का दावा करने वाले ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी की अचूक संचार-शक्ति देश के 98 प्रतिशत हिस्सों तक इसकी तरंगों की पहुंच से सिर्फ नहीं आंकी जा सकती। लगभग नौ दशकों का उतार-चढ़ाव भरा इतिहास अपने दामन में समेटे भारतीय रेडियो को दो दशक पहले टीवी चैनलों के आने के साथ ‘मृतप्राय’ मानने वालों की तादाद कम न थी। हालांकि इस दौर में भी गांव देहात एवं दूर-दराज के इलाकों तक मनोरंजन का सुंदर एवं सुरीला उपाय आज भी रेडियो ही रहा क्योंकि देश की आधी से ज्यादा गरीब आबादी के पास टीवी नहीं है और जिस कृषक वर्ग के पास टीवी है वहां बिजली के खम्बे तो हैं पर बिजली नहीं है। फलतः एक मात्र साधन रेडियो ही बचता है जिसके माध्यम से वे देश-दुनिया की खबरे हर रोज शाम, सुबह व दोपहर को पा लेते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात के दो प्रसारणों से अब यह धुंध छंटने लगी है। इसे नया जीवन मिला है और एक नई उम्मीद जगी है। मीडियम व शॉर्टवेब प्रसारणों के जरिये देश के कोने-कोने तक पहुंचने और लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रसारण टावर स्थापित करने के बाद एफएम तकनीक के जरिये नया जीवनदान प्राप्त कर चुके भारतीय रेडियो के इतिहास में एक नए अध्याय के रूप में मन की बात के प्रसारण का आकलन किया जाना अनुचित और बेमानी नहीं होगा।

प्रधानमंत्री ने इस श्रव्य माध्यम को आम जनता से सीधे संवाद के लिए चुनकर रेडियो पर जो विश्वास व्यक्त किया, वह अभूतपूर्व है। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा व्हाइट हाउस में बने रेडियो स्टूडियो से प्रायः हर शनिवार को देश के लोगों को सीधे संबोधित करते हैं। भारत में भी सशक्त संवाद माध्यम के रूप में आकाशवाणी का लगभग सभी प्रधानमंत्रियों ने समय-समय पर ‘राष्ट्र के नाम संदेश’ के जरिए उपयोग

किया। आजादी की ऐतिहासिक 14-15 अगस्त की रात प्रधानमंत्री (मनोनीत) जवाहरलाल नेहरू का भाषण, गांधीजी के निधन पर – ‘द लाइट इज गॉन’ कहते हुए नेहरूजी का राष्ट्र संबोधन, स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर तत्कालीन प्रधानमंत्रियों व राष्ट्रपतियों द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन के रेडियो प्रसारण की तो पुरानी परंपरा रही। बैंकों के राष्ट्रीयकरण, प्रिवीपर्स की समाप्ति, बांग्लादेश युद्ध और जून 1975 में देश में आपात स्थिति के समय प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम पहला संबोधन रेडियो के जरिये ही लोगों तक पहुंचा। देश को महात्मा गांधी की हत्या की पहली विश्वसनीय सूचना, आपातकाल की पहली सूचना रेडियो से ही मिली। आकाशवाणी पर पंचो, राम-राम का संबोधन और कार्यक्रम देश में कृषि योजनाओं की सफलता का बहुत बड़ा आधार बना। कविगुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर ने सरकार को और बीबीसी से आए प्रथम डायरेक्टर जनरल लायनेल फील्डेन को ऑल इंडिया रेडियो का हिंदी नाम ‘आकाशवाणी’ दिया।

प्रधानमंत्री की मन की बात ने रेडियो को बहुत पुराने दौर में पहुंचा दिया है। रेडियो सिलोन से प्रसारित साप्ताहिक बिनाका गीतमाला के दौर में। चीन-पाक युद्ध के दौर में भोजपुरी नाटक लोहा सिंह के रामेश्वर सिंह की यादें बुजुर्गों के दिलों में हैं। रेडियो पर कोई नाटक प्रायः प्रसारित होते थे। हवा महल जैसे कार्यक्रमों को संपूर्ण हिंदी क्षेत्र में भारी लोकप्रियता प्राप्त थी। बिहार के ‘झुमरी तलैया’ कस्बे से लोग रेडियो के फरमाइशी गीतों के कार्यक्रमों में फरमाइश करने वालों के कारण ही परिचित हुए। यह झुमरी



तलैया की फरमाइश हर रोज एक या दो बार अवश्य सुनी जाती थी। क्रिकेट की रेडियो कमेंट्री ने रेडियो की लोकप्रियता को एक नया आयाम दिया। एक जमाने में रेडियो की लाइसेंस फीस जमा करके भी लोग

रेडियो सुनने को बेताब रहते थे।

आवाज की दुनिया के इस लंबे सुर में देवकीनंदन पांडेय, अशोक वाजपेयी, मेलविल डिमेलो, जसदेव सिंह, रामानुज प्रसाद सिंह, रामेश्वर सिंह कश्यप, लोचिका रत्नम, सुरजीत सेन जैसे अनेक प्रसारकों की पहचान ने इस माध्यम की साख और पैठ बढ़ाई। आज भी 50 से ऊपर के उम्रवालों को यह पंक्ति अच्छे से याद है “अब आप देवकी नंदन पांडेय से समाचार” सुनिए ऐसे ही इस रेडियो के इतिहास के इन कुछ चुनिंदा नामों में एक नाम और जुड़ गया – नरेन्द्र दामोदर भाई मोदी।

गांवों में तो आज भी रेडियो सूचना और मनोरंजन का माध्यम है। शिक्षा भी जन संचार—माध्यमों का उद्देश्य है, पर शिक्षा व विकास के क्षेत्र में आकाशवाणी और कुछ कम्युनिटी रेडियो ही काम कर रहे हैं। एफएम चैनल तो मनोरंजन परोसते हैं, लेकिन उन्हें समाचार—प्रसारण की पूरी इजाजत ही नहीं। इस तरह, सूचना से भी एफएम के श्रोता वंचित ही हैं। कभी ‘स्टेटस सिंबल’ रहा रेडियो घरों से गायब हो गया था। यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री के ‘मन की बात’ का प्रसारण रेडियो के सभी माध्यम करते हैं, उसमें कम्युनिटी रेडियो एवं एफएम चैनल भी शामिल है। यहां तक की ‘मन की बात’ का सीधा प्रसारण सभी न्यूज चैनल भी करते हैं।

इससे शहरों के लोग भी रेडियो के प्रसारण की महत्ता समझ रहे हैं।

रेडियो के विकास की दास्तां दुखभरी भी है। इसका विस्तार रुक सा गया है। देश के 280 नगरों में 839 रेडियो स्टेशनों तथा कम्युनिटी रेडियो की स्थापना के तृतीय चरण की योजना सरकारी स्वीकृति की बाट ही जोह रही है। फरवरी 2015 तक

इस काम को पूरा कर लेने की सूचना—प्रसारण मंत्री की घोषणा अभी घोषणा ही है। इस व्यवसाय में निवेश को बढ़ावा न मिलने से यह क्षेत्र मंदी की चपेट में हैं। एक अनुमान के अनुसार, नए रेडियो केन्द्रों के लिए नीलामी होने से पांच हजार करोड़ के निवेश, हजारों करोड़ के लाइसेंस शुल्क और प्रत्यक्ष—अप्रत्यक्ष 15 हजार रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक कुशल संचारकर्ता की अपनी छवि को और पुख्ता करते हुए अपने संबोधन में रेडियो के ग्रामर, माइक्रोफोन से संबोधनकर्ता की दोस्ती, विचारों को रेडियो के अंदाज में पिरोने, उच्चारण, शब्दों—वाक्यों के मॉड्यूलेशन जैसे जरूरी तत्वों का समावेश किया। इन तत्वों ने मन की बात प्रसारण के टाइम स्लॉट को प्राइम टाइम बना दिया।

वे अपनी बात इतने सहज, सरल एवं सटीक तरीके से रखते हैं जो श्रोता को अपने करीब होने का एहसास कराता है।

रेडियो के दिन बहुरने के साथ ही एक बेहद दुख भरी खबर भी है, जिस पर न तो ज्यादा ध्यान दिया गया है और न ही चिंता व्यक्त की गई है। यह खबर है — देश भर के, दूरदराज के शिक्षा के खर्चीले अवसरों से वंचित और ज्ञान की ललक संजोए विद्यार्थियों, बच्चे—बच्चियों के लिए होने वाले प्रसारण ज्ञानवाणी की अकाल मौत। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण के साथ—साथ ज्ञानवाणी का प्रसारण बंद होना एक बेहद टीस भरा एहसास है। आखिर दोष किसे दें — इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय को या फिर आकाशवाणी को? जो भी हो, ज्ञानवाणी देश की जरूरत है। ठीक है, इसके कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर उठे सवाल के उत्तर—ढूढ़ना जरूरी है, लेकिन पहले इसके अस्तित्व की रक्षा तत्काल होनी चाहिए। देश में ज्ञान और शिक्षा के विस्तार के लिए ज्ञानवाणी को बचाना एक अहम सवाल बन गया है। इस दिशा में तुरंत कदम उठाए जाने की आवश्यकता है और उम्मीद है कि नई सरकार इस दिशा में कोई सार्थक पहल करेगी।

वैसे तो कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने सुझाव मांगे हैं, पर एक अनमांगा सुझाव — प्रधानमंत्री के रेडियो संबोधन—के शीर्षक को लेकर है। आजादी

के पहले हिंदी के पहले हिंदी पत्रकारिता के श्री बाबूराव विष्णु पराड़कर ने देशोर कथा बांगला पत्र का भी संपादन किया था। इस पत्र ने पूरे देश की मानसिकता बदली, और लो गो में आजादी के संघर्ष में कूदने का अदम्य जज्बा

पैदा किया। अनेक भाषाओं में इस पत्र की सामग्री और विचारों को उद्धृत (कोट) किया गया। प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम भी देश के सवा सौ करोड़ लोगों के मन—मानसिकता की बात करता है और इसे सकारात्मक सोच के रूप में बदलने का प्रयास भी है। यह सिर्फ प्रधानमंत्री की बात का ही प्रसारण नहीं है, यह तो जन—गण—मन की बातें करने वाला प्रसारण है। इस प्रसारण को ‘भारत या देश की बात’ नाम दिया जाए, तो शायद बात ही कुछ और होगी। इसे “जन—गण—मन की बात” भी कहा जा सकता है। ताकि सारा देश खुद को जुड़ा हुआ महसूस करे।



संतुलित आहार – स्वस्थ जीवन का आधार



सुशांत कुमार पाढ़ी,
सहायक महाप्रबन्धक

संतुलित भोजन और सुन्दरता : हर रोग का कारण खाद्य पदार्थ ही है और हम

खाद्य पदार्थ खाए बिना रह भी नहीं सकते। खाद्य पदार्थ को हम किस प्रकार खाएं यह हम पर निर्भर करता है क्योंकि खाद्य पदार्थ ही हर रोग का इलाज भी है। जैसे दूध से बने मावे को अत्याधिक खाने से हम पेट के रोग से ग्रस्त हो जाते हैं लेकिन दूध से बने अन्य पदार्थ जैसे दही को खाने से पेट के रोग से मुक्त भी हो जाते हैं।

भोजन के मुख्य दो रूप हैं – पहला है पक्वाहार और दूसरा है अपक्वाहार। अपक्वाहार वह होता है जिसे बिना पकाए खाते हैं और पक्वाहार वह होता है जिसे पकाकर खाते हैं। अपक्वाहार में सभी चीजें आती हैं जैसे – अनाज, सलाद, अंकुरित भोजन आदि।

अपक्वाहार : अपक्वाहार शरीर को भरपूर एनर्जी देता है और नए सेल्स बनाता है। ऐसे भोजन का सेवन करने से शरीर में बहुत कम टॉक्सिन, वेस्टेज या गंदगी बनती है जिसे निकालने के लिए शरीर को कम एनर्जी लगानी पड़ती है। यह शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी देता है। अपक्वाहार पूर्ण संतुलित आहार है क्योंकि इससे जीवनपयोगी तत्व क्लोरोफिल एवं फाईबर प्राप्त होता है। इसमें विटामिन, खनिज, एंटी ऑक्सीडेंट्स, फाईटो न्यूट्रिएंट्स, एन्जाइम आदि पदार्थ, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं और पाए जाते हैं। मानसिक काम करने वालों के लिए अपक्वाहार अपना बहुत जरूरी है क्योंकि यह आलस्य दूर करता है।

अपक्वाहार सख्त आर्गेंस को लचीला बनाता है जिससे शरीर में उत्साह एवं मन में प्रसन्नता बनी रहती है। यह पाचन एवं निष्कासन क्रिया को सही रखता है, हार्मोनिक ग्रंथियों का विकास करता है, पसीने की बदबू तथा मुंह की गंदगी को दूर करता है और काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। अपक्वाहार लेने से जिसका वजन कम होता है उसका वजन बढ़ जाता है और जिसका वजन अधिक होता है उसका वजन कम हो जाता है। गर्मियों में अधिक गर्मी एवं सर्दियों में अधिक सर्दी नहीं लगती।

पक्वाहार : जब हम खाने को पकाते हैं तो उसके प्राकृतिक गुण तो नष्ट हो ही जाते हैं और साथ ही उसे पचाने के लिए शरीर को बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। ऐसे भोजन से शरीर में वेस्टप्रोडक्ट बढ़ता है और उसे निकालने के लिए शरीर को अधिक एनर्जी लगानी पड़ती है। उदाहरण – यदि आप हल्का भोजन खाते हैं तो उससे आलस्य और नशा आदि महसूस

नहीं होता लेकिन जब आप गरिष्ठ भोजन करते हैं तो आपको नशा एवं आलस्य महसूस होता है। यह संकेत है कि हमारे शरीर की एनर्जी डाईवर्ट होकर कम हो गयी है। इस तरह हम अपनी काफी एनर्जी वेस्ट करते हैं।

यदि हम केवल अपने आहार में सुधार कर लें तो सभी रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। मान लिया किसी को हम दवा देते हैं लेकिन उसके आहार में सुधार नहीं करते तो चाहे कितनी भी दवा दे दें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एकमात्र आहार में सुधार ही है जो हमें स्वस्थ रखने में पूरी तरह सक्षम है। आहार विज्ञान में लिखा है कि जिस आहार को बिना पकाए खाया ही नहीं जा सकता, वह आहार स्वास्थ्यप्रद नहीं रहता है।

श्रद्ध के लिए भोजन : बहुत से लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा खाएंगे, शरीर में उतनी ही ज्यादा ताकत आएगी लेकिन यह सोच गलत है। इसके लिए अपने ऊपर एक प्रयोग करके देखें – आप रोजाना जितनी मात्र में भोजन करते हैं, एक-दो दिन तक उसकी मात्रा में थोड़ी कमी कर दें। इसके बाद आप देखेंगे कि आपने पिछले दो दिन तक जितना भोजन किया है, तीसरे दिन उतने ही भोजन में आपका पेट भर गया और शरीर में भी उतनी ही फुर्ती एवं एनर्जी बनी रही। ऐसा इसलिए होता है, कि हम जितना अधिक खाते हैं उसे निकालने के लिए शरीर को उतनी ही एनर्जी लगानी पड़ती है और शरीर में एनर्जी कम होने से आलस्य आना तो स्वाभाविक है ही। इसलिए हम जितना कम खाएंगे शरीर को उसकी आदत लग जाएगी और उतनी ही एनर्जी शरीर में बनी रहेगी।

स्वाद – हम कहते हैं कि स्वाद किस चीज में है, कोई किसी में स्वाद बताता है, कोई किसी में स्वाद बताता है। क्या कोई बता सकता है कि सबसे ज्यादा स्वाद किस में है? सबसे ज्यादा स्वाद भूख में है। जिस समय



भूख लगी हो और कुछ नहीं मिल रहा हो तो उस समय जो भी मिले, उसी में स्वाद होता है।

जब कभी भी आलस्य घरे तो सलाद खाएं क्योंकि यह पोषणदायक होता है और पेट के लिए हल्का एवं स्वास्थ्यवर्धक रहता है। नियमित व्यायाम, सुगंधित स्नान और सही रूप में आराम करने से गर्मियों के मौसम में भी

ठंडक पाई जा सकती है। अच्छा होगा कि वॉक या व्यायाम के लिए हरे-भरे मैदानों का ही चयन किया जाए। हरा रंग अपनी प्रकृति के अनुरूप आंखों को राहत देता है। यह भी बहुत जरूरी है कि व्यक्ति कम से कम एक घंटा प्रतिदिन स्वयं को दे अर्थात् चिंता, तनाव, निर्णय से मस्तिष्क को दूर रखें।

गर्मी के मौसम में अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि खुले स्थान पर पूरी नींद ली जाए। जिस तरह सोने से पहले हाथ-मुंह धोए जाते हैं, ठीक वैसे ही सोने से पहले दिमाग को भी अच्छे से साफ कर लें अर्थात् बिस्तर पर जाते वक्त कोई विचार या बात ऐसी न हो जो तनाव या चिंता उत्पन्न करें।

जो आहार खाए जाने के बाद पानी की मांग करते हैं, वह शरीर के लिए रोगकारक होते हैं। अधिक भोजन करना सब तरह से अहितकारी होता है। सभी प्रकार के खाद्य-पदार्थों को उतनी ही मात्रा में खाने चाहिए कि पेट में न उस समय बोज़ मालूम हो, न बाद में भारीपन की शिकायत पैदा हो। जिस भोजन को करने के बाद थोड़ी भी सुस्ती आए या पेट भारी लगे तो समझना चाहिए कि आप भोजन को नहीं बल्कि भोजन आपको खा रहा है। जिस भोजन को करने के बाद ताजगी और फुर्ती का आभास हो तो समझना चाहिए कि आप भोजन को खा रहे हैं।

भोजन न तो बहुत गर्म और न बहुत ठंडा खाना चाहिए। इस तरह के खाद्य-पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं तथा पाचन क्रिया पर दुष्प्रभाव डालते हैं। जो भोजन हम खाते हैं वह सीधा हमारे शरीर, मन और व्यवहार को प्रभावित करता है। रोग के 'कारण' हमारे शरीर के अंदर नहीं बल्कि हमारे रहन-सहन के गलत तरीकों में होते हैं। रोग पैदा करने वाले कीटाणु उसी स्थान पर पैदा होते हैं जहां टॉक्सिन, गंदगी जमा होती है। इसलिए रोग तब तक शरीर को प्रभावित नहीं कर सकता जब तक उसके



कीटाणुओं को फलने-फूलने का आधार नहीं मिल जाता।

आधुनिक विज्ञान रोगों का स्तर बताता है लेकिन अच्छे स्वास्थ्य का स्तर नहीं। उत्सव, पिकनिक और पार्टियों में प्रयोग किए जाने वाले बनावटी पेय, तले और पके आहार, मिठाईयां, चाय, कॉफी और शराब जैसी वस्तुएं अपने और अपने प्रियजनों में रोगों की नींव डालते हैं। अगर किसी भी

उत्सव को फल, रस, प्राकृतिक मिठाईयों और सादे पके आहारों द्वारा मनाया जाए तो शरीर स्वस्थ रहने के साथ ही इसका मजा दुगना हो जाता है।

शिशु के लिए मां का दूध सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि मां के दूध में नैसर्गिक रूप में पीला तरल पदार्थ कोलोस्ट्रम पाया जाता है जिसमें उच्चस्तरीय प्रोटीन, जिंक तथा लेक्टोफेरीन होता है। इससे कई प्रकार के रोग उदाहरणार्थ गलसुआ खसरा, पोलियो, बदहजमी आदि से बच्चे को छुटकारा मिलता है। मां का दूध बिना किसी मिलावट के तथा अपेक्षित तापमान पर हमेशा उपलब्ध रहता है। भावनात्मक रूप में भी इस दुग्धपान से मां और शिशु को तृप्ति मिलती है। अगर किसी कारण वश मां का दूध शिशु को उचित मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो उस परिस्थिति में शिशु को आहार के रूप में भैंस, गाय और बकरी का दूध दिया जा सकता है।

शिशु के लिए माता का दूध ही सर्वोत्तम है। लेकिन किन्हीं कारणों से, यदि किसी पशु का दूध पिलाने की विवशता ही हो तो उस दूध को शिशु के आहार के योग्य बनाकर ही पिलाना चाहिए। उस के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना जरूरी है—

1. **पानी मिलाकर दूध पतला करना** - दूध की प्रोटीन और खनिज लवण की प्रतिशत मात्रा कम करने के लिये दूध में पानी मिलाकर उसे पतला कर लेना चाहिए। विशेषज्ञों की राय में दूध में समान मात्रा में पानी मिलाना (1-2 माह तक) उपयुक्त रहता है। बाद में पानी की मात्रा कम की जा सकती है।
2. **दूध को उबालना** - दूध को उबालने से कई भौतिक-रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिसमें उसमें खमीर उठाने की क्षमता 36 से 5 इकाई तक हो जाती है। यह दूध अब शिशु के लिये ज्यादा सुरक्षित है।
3. **वसा का संतुलन** - भैंस के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक (8.8%) होती है। उसे 3.5% तक लाना चाहिए। इसके लिए दूध में से क्रीम निकालना उचित विधि है। आजकल डेयरियों पर 'टोन्ड' दूध के नाम से ऐसा दूध मिलता है।
4. **जहां शिशु शक्कर मिला** - दूध में शक्कर मिलाने से शरीर को ज्यादा ऊर्जा मिलती है वहीं इससे दूध जल्दी पच भी जाता है। शक्कर की उचित मात्रा 5 प्रतिशत (100 ग्राम तैयार दूध में 5 ग्राम शक्कर) ठीक रहती है। इस तरह का आहार शिशु को एक साल तक दिया जाता है ताकि शिशु को उचित मात्रा में संतुलित आहार मिल सके।

प्रायः यह देखा गया है कि शिशु में विटामिन 'डी' की कमी रहती है, अतः इसके पूर्ति के लिए शिशु को घूप में रोजाना तेल से मालिश करना चाहिए, क्योंकि घूप विटामिन 'डी' का प्रमुख स्रोत है। शिशुओं के लिए आजकल बाजार में सूखा दूध और पूरक आहार सहित विशिष्ट भोज्य सामग्री (पाउडर के रूप में) बहुत प्रकार की उपलब्ध हैं। उनका प्रयोग भी निःसंकोच किया जा सकता है। इनके व्यावहारिक लाभ अनेक हैं —

1. किसी भी प्रकार की मिलावट की संभावना कम से कम रहती है।
2. ये बहुत दिनों तक रखे जा सकते हैं।
3. इनकी पोषक तत्वों की सत्यता प्रमाणित रहती है और काफी स्वच्छ—साफ स्थितियों में तैयार किए जाते हैं।
4. ये बाजार में सुविधाजनक रूप से उपलब्ध रहते हैं।
5. लाने—ले जाने तथा यात्रा आदि के समय भी ये सरलता से लाये—ले जा सकते हैं।

इन पाउडर दूधों में प्रस्तावित अनुसार छः से आठ गुने उबलते पानी को मिलाने पर यह शिशु के पिलाने योग्य हो जाता है। हां, इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि एक बार में उतना ही दूध बनायें जितनी जरूरत है। बने हुए दूध का पुनः प्रयोग नहीं ही करें। दूध बनाने की सरलतम विधि में आवश्यक मात्रा में पाउडर मिल्क लेकर उसमें थोड़ा गर्म पानी डालें और चम्मच से फेंटकर पेस्ट बना लें। अब उसमें चम्मच से हिलाते हुए बाकी उबले पानी को डालें। यह दूध अब शिशु के पीने योग्य तैयार है।

खान—पान की नजर से कुछ व्यक्ति 1. मांसाहारी और अन्य 2. शाकाहारी होते हैं। इस प्रकार भोज्य पदार्थ इस वर्गीकरण से भी अलग—अलग होगा। इसी प्रकार 1. अधिक शारीरिक श्रम करने वाले पुरुष और स्त्रियां, 2. बौद्धिक कार्य वाले लोग, 3. गर्भवती महिलाएं, 4. दूध पिलाने वाली महिलाएं आदि भी अन्य वर्गीकरण में आयेंगी।

परिपक्व व्यक्ति के लिए

भोजन व्यवस्था : व्यक्ति की यह अवस्था सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। व्यक्ति में अचानक बदलाव आ जाता है। इस अवस्था में जहां पुरुष जीविकोपार्जन के लिए कठिन परिश्रम करता है, वहीं स्त्रियां घर में अनेक ऐसे कार्य करने में जुट जाती हैं, जिनमें शारीरिक तथा मानसिक परिश्रम दोनों का समावेश होता है। पुरुषों को भी ऊंचे पदों पर बौद्धिक परिश्रम करना होत है, इस प्रकार ऐसी स्थिति में इनकी पोषक तत्वों तथा आहार प्रबंध में भी बदलाव हो जाता है।

काम कितने परिश्रम का है, उसका भी खान—पान व पोषक तत्वों की मात्रा में प्रभाव पड़ता है। आम तौर से श्रम को तीन भागों में विभक्त किया गया है।

- (1) कम श्रम साध्य — विशेषतः बैठकर
- (क) पुरुष वर्ग — पुजारी, मोची, अध्यापक, सेवानिवृत्त लोग, नाई, दर्जी, जर्मींदार, उच्च अफसर, चपरासी, विभिन्न लिपिक इत्यादि।
- (ख) महिला वर्ग — कसीदाकारी, घरेलू स्त्रियां, नर्स—दाई, शिक्षक,

सीना—पिरोना, सब्जी विक्रेता इत्यादि।

(2) मध्यम श्रम साध्य कार्य —

- (क) पुरुष वर्ग — बढई, श्रमिक, रिक्शा चालक, मिस्त्री, सुनार, कुम्हार, फीटर, कृषि कार्य, वेल्डर, टर्नर, जुलाहा, कुली, दुकानदार, ड्राइवर, टाइपिस्ट, पोस्टमैन आदि।
- (ख) महिला वर्ग — रोड़ी तोड़ने वाली, लोहा पीटने वाली, कपास ओटने वाली आदि।

55—60 साल तक के लोगों के लिए भोजन प्रबंध : इस उम्र तक के लोगों को वृद्ध माना जाता है। यह व्यक्ति के जीवन की अंतिम है। इस अवस्था में अनेक प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक बदलाव होने लगते हैं जिनमें शारीरिक रूप से चलने—फिरने में मुश्किल, कम दिखने की शिकायत, कम दिखने की शिकायत, घटनों में दर्द, हड्डियों का निरंतर हास, बालों का

रूखापन, दांतों का गिरना और बालों का सफेद हो जाने के बाद कम होना, सुनने में दिक्कत आना आदि मुख्य है। मानसिक रूप से भी याददाश्त में कमी, सोचने में अस्थिरता, एक ही बात को बार—बार दोहराने जैसे बदलाव, बहुत सामान्य हैं। अतः वृद्ध लोगों के लिए भी पोषकीय आवश्यकता होती है।

कम काम या बिना काम के कारण भी वृद्ध लोगों की पोषकीय तत्वों और भोज्य पदार्थों की जरूरत में बहुत परिवर्तन आ जाता है। अपचन जैसी समस्या के कारण भी कम कैलोरीज की मात्रा आहार व्यवस्था में उचित एवं उपयुक्त कमी विशेषज्ञों द्वारा बताई जाती है।

कम काम या बिना काम के कारण भी वृद्ध लोगों की पोषकीय तत्वों और भोज्य पदार्थों की जरूरत में बहुत परिवर्तन आ जाता है। अपचन जैसी समस्या के कारण भी कम कैलोरीज की मात्रा आहार व्यवस्था में उचित एवं उपयुक्त कमी विशेषज्ञों द्वारा बताई जाती है।



इन तथ्यों के आधार पर इस वर्ग के लोगों (पुरुष व स्त्रियां) की पोषकीय एवं आहार आवश्यकता को नीचे की तालिकाओं में उद्धृत किया गया है।

स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार : जिस आहार में सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में हो संतुलित आहार कहते हैं तथा जिसमें पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में न हो उसे असंतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि किस खाद्य पदार्थ में किस तरह के और कितनी मात्रा में पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं और शरीर को उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है?



धर्म क्षेत्रे कुरु क्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। मामका पाण्डुवाञ्छेव किम कुर्वत संजय॥



डॉ. ए.के. सिंह
मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं
महाप्रबंधक

गीता का आरंभ धर्म शब्द से होता है। गीता के आदेशानुसार ज्ञान और भक्ति से ओतप्रोत होकर परमात्मा के साथ एक संबंध स्थापित करना, निष्काम भाव से स्वधर्म रूप

कर्तव्यपालन करते रहना, सब कुछ प्रभु को अर्पण करते हुए निश्चित होकर मोक्ष प्राप्त करना या इससे भी श्रेष्ठ ईश्वरमय हो जाना यही धर्म का उद्देश्य है। यह मात्र सिद्धांत नहीं है। यह आचरण है यह मानव मात्र को धारण करता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में प्रथमतः धर्म ही है। इसके चार पाद हैं – सत्य, अहिंसा, दया और शांति। जहां धर्म है वहीं विजय है। यह हृदय में विराजमान हमारे घनिष्ठ स्वामी परमेश्वर के साथ सचेतन एवं सजीव नाता स्थापित करने की प्रेरणा देता है तथा मार्गदर्शन करके अंतर्मन को उज्ज्वल, उदस्त और शांत बनाता है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। धर्म का कर्म के साथ गहरा संबंध है। कुरुक्षेत्र में 'कुरु' की ध्वनि है – कर्म करो। संसार एक विशाल कुरुक्षेत्र है। यदि इसे हम धर्मक्षेत्र बनाए रहें तो हमारा और समाज का विकास, उत्थान और कल्याण अनिवार्य है। धर्म के बिना कर्म व्यर्थ है, धर्म से कर्म भूषित है। मानव की जीवन यात्रा को सफल और सम्पन्न बनाए रखने के लिए धर्ममय कर्म की अनिवार्यता है। महाभारत का संग्राम हमारे भीतर सत असत शक्तियों का संग्राम है जिसमें अनेक व्यूह निर्मित हैं। राजा धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं बुद्धि विवेक से भी अंधे हैं। वह महामोह का ऐतिहासिक प्रतीक है। कुमार दुर्योधन असत वृत्तियों के सेनापति हैं। युधिष्ठिर धर्मराज है। धर्म और चार पाद मानो पांचों पांडव हैं अथवा ये पांच ज्ञानेन्द्रियों के प्रतीक हैं जो दिव्य आत्मा के प्रकाश में अपनी सद्वृत्तियों की सेना की मदद से असद्वृत्तियों की विशाल सेना से निरन्तर संग्राम कर रहे हैं। भगवान श्रीकृष्ण परम प्रकाशमय परमात्मा के प्रतीक हैं। वे न्याय, धर्म और नीति के पक्षधर हैं। अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण के सखा एवं भक्त भी हैं। भगवान युद्ध भूमि में उनके रथ के सारथी हैं। भक्त मानव अपने जीवन के रथ की बागडोर प्रभु को सौंपकर निश्चित हो जाते हैं। गीता का प्रथम श्लोक महान एवं दिव्य गीता मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार है जिसमें गीता का समस्त तात्पर्य सन्निहित है। यह संसार धर्म क्षेत्र है, नैतिक संघर्ष के लिए समरभूमि है। निर्णायक तल मनुष्य के हृदय में विद्यमान है जहां ये युद्ध प्रतिदिन चल रहे हैं। संसार को कर्मभूमि भी कहा गया है। हम इसमें कार्य कर अपनी आत्मा की उपस्थिति के प्रयोजन को सिद्ध करते हैं। जो भी वस्तु भौतिक समृद्धि और आत्मिक स्वतंत्रता को बढ़ाती है वह धर्म है।

'धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे' शब्दों से जीवन का नियम ध्वनित होता है। जीवन एक संग्राम है – आत्मा का बुराई के विरुद्ध युद्ध। इस संसार में अपूर्णता, बुराई और अविवेक के तत्व हैं। हमें कर्म द्वारा तथा धर्म द्वारा इस संसार को बदलना है। युद्ध एक प्रतिशोधात्मक निर्णय के साथ ही साथ अनुशासनात्मक कर्म भी है। कुरुक्षेत्र को तपः क्षेत्र, तप या अनुशासन का क्षेत्र भी कहा जाता है। युद्ध मनुष्य के लिए दण्ड भी है और उसे स्वच्छ करने का साधन भी है। परमात्मा निर्णायक भी है और उद्धारक भी है। संसार समर में अर्जुन की भांति दुर्बल व

शक्तिहीन अनुभव करने पर साहस के रास्ते ज्ञानमयी आलोक में मानवीय दुर्बलताओं पर विजय पाने का ग्रंथ है गीता।

1. **वृष्टि क्रम** – प्रथम अध्याय से शुरु करके अठारहवें अध्याय तक अनुष्ठान क्रम चौबीस दिनों में नियमित 3 पाठ का है।

प्रस्ताव – पारिवारिक सुख शांति आध्यात्मिक दृष्टिकोण – इस क्रम से पाठ करने से साधक में कर्मयोगी बनने के बल का प्राकट्य।

2. **स्थिति क्रम** – छठे अध्याय से आरम्भ कर 18वें अध्याय तक फिर पांचवें अध्याय से प्रथम अध्याय तक चालीस दिन में तीन बार पाठ

प्रस्ताव – दरिद्रता निवारण

आध्यात्मिक दृष्टिकोण – साधक में भक्तिभाव का जन्म

3. **संहार क्रम** – अठारहवें (18वें) अध्याय से शुरु करके प्रथम अध्याय तक क्रमशः उल्टे क्रम में, तीन पाठ, चालीस दिनों में।

प्रस्ताव – कष्ट निवारण

आध्यात्मिक दृष्टिकोण – आध्यात्मिक भावना एवं प्रभु विश्वास के साथ संहार क्रम में 3 पाठ चालीस दिन में करने एवं इसकी पुनरावृत्ति से शान्ति, सुख एवं मोक्ष प्राप्ति।

इन पाठ्यक्रमों के अलावा गीता के कुछ श्लोकों के जप का भी विधान है।

1. गीता के दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक का जप करना सवा लाख जप चालीस दिनों में अथवा किसी शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरम्भ करके रात्रि में सोने के समय पवित्र भावदशा में इस श्लोक का नियमित एक माला जप। इससे गुरुकृपा व स्वपनादेश (स्वप्न में समस्या का समाधान मिलता है।)

कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पूच्छामि त्वं धर्मं संमूढचेता।

यच्छेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शधिमां त्वां प्रपन्नम्॥

(श्लोक 7, अध्याय 2)

हिंदी पद्यानुवाद – (हरि गीता श्री दीनानाथ भार्गव 'दिनेश')

कायर बनने से होगा सब नष्ट सत स्वभाव है।

मोहित हुई मति ने भुलाया धर्म का भी भाव है।

आया शरण हूँ आपकी मैं शिष्य शिक्षा दीजिए।

निश्चित कहो कल्याणकारी धर्म क्या मेरे लिए।।

2. गीता के अठारहवें अध्याय के 66वें श्लोक का

चालीस दिवसीय अनुष्ठान (सवा लाख जप) से महापा तक

नष्ट होते हैं। पूर्व जन्म के संचित कर्मों (पापों) का शमन होता है।

पुण्यों की प्राप्ति होती है लगातार पांच अनुष्ठान अति हितकारी होते हैं।

सर्व धर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज

अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयि स्यामि मां शुचः (श्लोक 66, अध्याय 18)

हिंद पद्यानुवाद – हरि गीता – श्री दीनानाथ भार्गव 'दिनेश'

तज धर्म सारे एक मेरी शरण को प्राप्त हो। मैं मुक्त पापों से करुंगा तू न चिंता व्याप्त हो।।

अनुष्ठान का शुभारम्भ श्रीमद्भागवत गीता दिवस (अगहन सदी 11) गुरु पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, वसंत पंचमी, नवरात्रि अथवा माह की शुक्ल पक्ष एकादशी या पूर्णमासी से करना अधिक उपयुक्त है।





काव्य स्रुधा



डॉ० जी.एन. सोमदेवे
सहायक महाप्रबंधक

ऐतबार

कसमे वादे निभाए जिनके लिए
उन्हें ख्याल हमारा न रहा।
किस जंजाल में मैं अटका पड़ा
न निकला, न छटपटाते रहा।
अपना कभी भी वक्त न था
न पाया, न कुछ खोते रहा।
भरी बरसात में मेरा तन-मन
न भीगा, न सुखा रहा।
हमने निभाई यारी-प्यारी
पर कोई दुश्मन, न दोस्त रहा।
उन फरिश्तों का डर नहीं
अब कोई स्वर्ग, नर्क न रहा।
उनकी बात हमें मालूम नहीं
पर कोई हमारा, कभी न रहा।
पाप पुण्य सब बराबर
अब कोई राम, रावण न रहा।
पछताने से क्या हासिल
न कोई चिड़िया, न खेत रहा।
मुंह फेर कर चल दिए सभी
मैं न अंदर, न बाहर रहा।
इस हाइब्रीड जमाने में
कोई न भादो, न सावन रहा।
गरीबी, मुफ्तखोरी और अमीरी में
कोई मानूस, न कोई इंसान रहा।
मतलबी दुनिया में ऐ खुदा
न कोई यार, न प्यार रहा।
गमे जिंदगी दर कटी इस कदर
जिंदगी तेरा, ऐतबार न रहा।
फिर भी, मुश्किले जरूर है,
मगर ठहरा नहीं हूँ मैं।
मंजिल से जरा कह दो,
अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं।
कदमों को बांध न पाएगी,
मुसीबत की जंजीरे।
रास्तों से कह दो,
अभी भटका नहीं हूँ मैं।
सब्र का बांध टूटेगा,
तो फना कर के रख दूंगा।
दुश्मन से जरा कह दो,
अभी गरजा नहीं हूँ मैं।
साथ चलता है,
दुआओं का काफिला।
किस्मत से जरा कह दो,
अभी तन्हा नहीं हूँ मैं।

स्वच्छ भारत निर्माण



पंकज चड्ढा
प्रबंधक

हम याद रखें, हम याद रखें, हम याद रखें यह बात ।
देश को बदलने में, अब दें सरकार का साथ ।
स्वच्छ भारत निर्माण में, हम दें सरकार का साथ ।

हर गांव शहर नगर संवरें, यहां कचरे के ना ढेर लगें ।
घर-घर अब शौचालय बनें, इस नई मुहिम से आओ जुड़ें ।
अब छोड़ पुरानी आदतें, करे नई शुरुआत ।
हम याद रखें..... ।
स्वच्छ भारत..... ।

गंगा की निर्मल धारा बहे, मल-मूत्र इसमें कोई न आ मिले ।
प्रदूषण मुक्त यह राष्ट्र बने, भावी पीढ़ी हम पर गर्व करे ।
आने वाली पीढ़ी को दें, स्वच्छ वातावरण की सौगात ।
हम याद रखें..... ।
स्वच्छ भारत..... ।

हर घर स्वच्छता की मिसाल बने, आदर्श बने हर गांव ।
गली-गली शहर-शहर चमके मेरा, दमके पूरा आवाम ।
स्वस्थ तन-मन के जरिए, बदले अपने हालात ।
हम याद रखें..... ।
स्वच्छ भारत..... ।

बापू के सपनों को साकार करें, रहन-सहन में स्वच्छता जाहिर करे ।
हर मन में ऐसी भावना जगे, तो क्यों न देश महान बने ।
मिले भारत को स्वर्णिम युग, बने विश्व सरताज ।
हम याद रखें..... ।
स्वच्छ भारत..... ।

कुछ कर के अब दिखलाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है ।
खोया सम्मान लौटाना है, देश को स्वर्ग बनाना है ।
सपनों को देने अमली जामा, मिलजुल कर आगे बढ़ना है ।

हम याद रखें, हम याद रखें, हम याद रखें यह बात ।
देश को बदलने में, अब दें सरकार का साथ ।
स्वच्छ भारत निर्माण में, हम दें सरकार का साथ ।



स्वच्छ भारत अभियान



राम नारायण चौधरी
उपप्रबंधक

जय हो स्वच्छ भारत अभियान, जय हो स्वच्छ भारत अभियान

काफी अरसे के बाद मिली, आपको अपने घर में ही सच्ची पहचान वतन से गंदगी मिटाने को, प्रधानमंत्री जी की सुनकर पुकार सारा देश एक सुर में भर रहा हुंकार

जोश, उत्साह उमंग के रंग में, देश का हर कोना-कोना हुआ सराबोर

बड़े-बड़े महारथी, कलाकार, देशव्यापी इस मिशन को सफल बनाने को हुए बेकरार

भले हो सलमान, अंबानी, थरूर, बाबा रामदेव और भारत रत्न तेन्दुलकर

आगे हम भी आये और आये भारत मां के तमाम पहरेदार, कर्णधार थाम ली है अपने हाथों में झाड़ू बड़े जतन से

कूड़े-कचरे को हमेशा के लिए दूर करना है वतन से खाई है सबने कसम और लिया है प्रण

स्वच्छ भारत अभियान होगा, अब जन-आंदोलन

जय हो स्वच्छ भारत अभियान, जय हो स्वच्छ भारत अभियान

जागरूकता फैलाने में सबसे आगे हैं मीडिया के साधन

तहेदिल से आपके स्वागत को आगे आए हैं,

अखबार, सोशल नेटवर्किंग, आकाशावाणी और दूरदर्शन

2019 तक के मुश्किल लक्ष्य को किसी भी हालत में हासिल है करना

भारत के कोने-कोने से कूड़े-कचरे का नामों-निशान है मिटाना

गर्व करेगी धरती मां उन संतानों पर, जो इनकी इज्जत को बदनाम होने से बचाएगा

विश्व के हर कोने-कोने में, यहां की सफाई के गुणगान का परचम फहरायेगा।

होगें सम्भव तभी, जब दिखावा कम, काम ईमानदारी से ज्यादा होवेगा दो अक्टूबर के जुनून, जोश, उमंग में धीमापन कभी नहीं आएगा।

हर नागरिक तन-मन-धन से अपनी जिम्मेदारी निभाएगा त्यागना होगा राजनीति से ग्रसित मानसिकता वाला प्रश्न

अरे गंदगी के इस कमल में नयापन क्या है?

'हाथ' तो पहले हमने बढ़ाया है,

'झाड़ू' भी तो 'आप' वालों ने ही थमाया है।

हाथ जोड़कर है हमारी विनती आप महानुभावों से,

दोस्तों छोड़ो अब तूं-तूं, मैं-मैं का गंदा खेल

आओ, हाथ पर हाथ रखकर, कदम-कदम पर बढ़ाये तालमेल

अभी तो शुरुआत हुई है, कूड़े-कचरे दूर करने की तैयारी,

घोटाले, भ्रष्टाचार, गरीबी-अशिक्षा उन्मूलन की भी आएगी बारी

पूरा होगा तभी स्वच्छ भारत अभियान

एक सुर में हम गर्व से गा पाएंगे, हमारा भारत महान, हमारा भारत महान



नत्थू अग्रवाल

मानव

भूतकाल को

दाह कर

वर्तमान में

बाह कर

वह भविष्य को

थाह रहा

मानव बस

अवगाह रहा।

गंगा में

अवगाहन करके

मैले तन को

पावन करके

तट की रेणु

फाँक रहा

नूतन की


अभिलाषा में

अनन्त शून्य में

झाँक रहा

मानव केवल

आँक रहा।



रिज़र्व बैंक हिंदी गृहपत्रिका प्रतियोगिता 2012-13





**राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK**

राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत एक शीर्षस्थ आवास विकास वित्त संस्थान के रूप में हुई थी। अपनी 25 वर्षों की यात्रा में, राष्ट्रीय आवास बैंक ने निम्न एवं मध्य आय वर्ग के परिवारों पर अपना ध्यान केन्द्रित रखने के साथ, जनसंख्या के सभी वर्गों की आवास आवश्यकताओं को संबोधित करने हेतु इस सेक्टर में क्षमता निर्माण पर कार्य किया है।

बैंक आवास वित्त बाजार में समग्र विस्तार एवं स्थिरता को प्रोत्साहित कर रहा है। राष्ट्रीय आवास बैंक की सहक्रियात्मक नीति समर्थन में आवास वित्त उद्योग की गहनता एवं पहुंच को विस्तारित किया है।

अपनी विनियामक भूमिका को सम्पूरित करने हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक पूरे देश भर के सभी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित जनसंख्या के सभी वर्गों को सेवा देने हेतु अपने उपभोगता आधार को भी व्यापक बना रहा है। राष्ट्रीय आवास बैंक के ताजातरीन प्रयासों में सरसाई (भारत सरकार द्वारा समर्थित केन्द्रीय रजिस्ट्री) और एनएचबी रेजीडेक्स एक टिकाऊ बाजार अवसंरचना वृद्धि की दिशा में चरण हैं जो कि बाजार में पारदर्शिता एवं संतुलनीयता को बढ़ाएंगे।

निम्न आय परिवारों की ऋण पात्रता को सुकर बनाने के क्रम में, बैंक ने आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के तत्वावधान में निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास की स्थापना की है।

अपने प्रोत्साहन अधिकार पत्र के एक हिस्से के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक रिवर्स मार्टगेज लोन (आरएमएल) उत्पाद के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के हितों को भी समर्थित कर रहा है।

राष्ट्रीय आवास बैंक आवास वित्त हेतु एशिया-प्रशान्त यूनियन की मेजबानी कर रहा है जो कि एशिया-प्रशान्त क्षेत्र में वित्तीय संस्थानों, सरकारी निकायों, केन्द्रीय बैंकों तथा सदस्य संस्थानों के बीच ज्ञान की साझेदारी एवं नेटवर्किंग हेतु एक वैश्विक मंच है।

राष्ट्रीय आवास बैंक पूरे देश भर में 13 कार्यालयों के माध्यम से राज्यों में अपनी स्थानीय उपस्थिति को विस्तारित कर रहा है।

रा.आ.बैंक के प्रयासों की विस्तृत जानकारी हेतु, कृपया वेबसाइट www.nhb.org.in को देखें।



**राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK**